तृतीय माला, खंड 47, अंक 10 बुधवार, 17 नवम्बर, 1965/26 कार्तिक, 1887 (शक)
Third Series, Vol. XLVII, No. 10 Wednesday, November 17, 1965/Kartika 26, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 47 में अंक 1 से 10 तक है
Vol. XLVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10—बुधवार, 17 नवम्बर, 1965/26 कार्तिक, 1887 (शक)

No. 10—*Wednesday, November* 17, 1965/*Kartika* 26, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
268	मंत्रियों द्वारा विदेशों के दौरे	Ministers' Visits Abroad . .	849-851
269	सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास	Development of Border Areas .	851-856
271	जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये व्यवस्था	Machinery for Redress of Public Grievances	856-859
273	बर्मा से वापिस आने वाले भारतीयों का पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates from Burma	859-863
274	तकनीकी कर्मचारियों के लिये सेना में अनिवार्य सेवा	Compulsory Army Service for Technical Personnel . .	863-865
275	पूर्वी पाकिस्तान से लोगों का बड़ी संख्या में आना	Exodus from East Pakistan .	865-867
276	अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Compulsory Primary Education .	867-868

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
272	तेल का आयात	Import of Oil	869
277	राज्यों के पारस्परिक विवादों को निपटाने के लिए व्यवस्था	Machinery to Settle Inter-State Disputes	869
278	फारस की खाड़ी के राज्यों से पेट्रोलियम के उत्पाद	Petroleum Products from Persian Gulf States	869-870
279	गोआ, दमण और दीव का विलय	Merger of Goa, Daman and Diu	870
281	अचल निष्क्रान्त सम्पत्तियां	Immovable Evacuee Properties .	870
282	रीवा के भूतपूर्व शासकों का धन भारत मंगाना	Repatriation of former Rewa Ruler's Funds . . .	870-871
284	एशियाई सरकारों की प्रमुख प्रशासनिक समस्याओं के बारे में एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग का प्रतिवेदन	ECAFE report on major administrative problems of Asian Governments . . .	871
285	दिल्ली नगर निगम के चुनाव	Elections to Delhi Municipal Corporation	871

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on floor of the House by that Member.

1—52 Lok Sabha/65.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
286	राजस्थान सशस्त्र पुलिस	Rajasthan Armed Constabulary	871–872
287	उर्वरक का उत्पादन	Fertilizer Production	872
288	एन्टीबायोटिक्स प्राजेक्ट, ऋषिकेश	Antibiotics Project, Rishikesh	872–873
289	मुख्य मंत्री सम्मेलन	Chief Ministers' Conference	873
290	काश्मीर में विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists in Kashmir	874
291	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	Aligarh Muslim University	874
292	शिक्षा के लिए धन आवंटन	Allocation of Funds for Education	875
293	विधायकों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्ध	Relationship between Legislators and the Administration	875
294	गैर-सरकारी क्षेत्र के तटवर्ती तेल शोधक कारखाने	Private Sector Coastal Refineries	875
295	स्कूलों में हठयोग अभ्यास	Hathayoga Exercises in Schools	875–876
296	बर्मा आयल कम्पनी को पेट्रोल की सप्लाई	Supply of Petroleum to Burmah Oil Company	877
297	विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता	Indiscipline Among Students	877
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
770	विस्थापित व्यक्तियों के लिये उल्हासनगर में बनाये गये मकानों का विक्रय	Sale of Houses Constructed for Displaced Persons in Ulhasnagar	877–878
771	केरल विश्वविद्यालय के अधीन शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान	Educational Research under Kerala University	878
772	केरल में किसानों की बेदखली	Eviction of Peasants in Kerala	878–879
773	विटामिन "ए" के सम्बन्ध में अनुसंधान	Research on Vitamin 'A'	879
775	विश्वविद्यालय में सामान्य शिक्षा	General Education in Universities	879–880
776	उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रबन्ध-मंडल	Boards of Management of Higher Secondary Schools	880
777	भारत का गजेटियर	Gazetteer of India	880–881
778	प्रव्रजकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Migrants	881
779	नजरबन्द व्यक्तियों के परिवार भत्ता सम्बन्धी नियम	Rules Regarding Family Allowances to Detenus	882
780	कर्मचारियों की संस्थाओं/संघों की मान्यता	Recognition of Service Associations/Unions	882
781	विज्ञान के शिक्षकों की कमी	Shortage of Science Teachers	882–883
782	भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग	Archaeological Survey of India	883
783	पेनिसिलीन का मूल्य	Price of Penicillin	883
784	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	High Court Judges	383–884
785	बेतूल (मध्य प्रदेश) में चीनी का कारखाना	Sugar Mill in Betul (M.P.)	884

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
786	हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्ज लिमिटेड	Hindustan Insecticides, Ltd.	884
787	अन्तर्राष्ट्रीय सहकार संबंधी राष्ट्रीय समिति	National Committee for International Co-operation	884–885
788	गृह-कार्य मंत्री की मिजो नेताओं से मुलाकात	Home Minister's Meeting with Mizo Leaders	885
789	डाक द्वारा शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् का सम्मेलन	Conference of International Council on Postal Education	885–886
790	संयुक्त राष्ट्र संघ का कला मेला	United Nations Arts Fair	886
791	पूर्वयोजित शिक्षा (प्रोग्राम्ड) इन्स्ट्रक्शन्स	Programmed Instructions	886
792	इन्द्रावती तथा साबरी नदी-क्षेत्र (बेसिन) का प्रौद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण	Techno-Economic Survey of Indravati and Sabri Basins	887
793	गौहाटी-सिलीगुड़ी पाइपलाइन	Gauhati-Siliguri Pipeline	887
794	दिल्ली में दूसरी भाषा के रूप में पंजाबी भाषा	Punjabi as Second Language in Delhi	887
795	चित्रों का गुम हो जाना	Loss of Paintings	888
796	पाकिस्तानी रेडियो सुनने पर प्रतिबन्ध	Ban on Listening to Pak Radio	888
797	नई दिल्ली में गुप्त सुरंग	Secret Tunnel in New Delhi	889
798	ज्वालामुखी में खुदाई (ड्रिलिंग)	Drilling in Jwalamukhi	889
799	केरल वक्फ बोर्ड	Kerala Wakf Board	889–890
800	राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षक	Instructors of the National Discipline Scheme	890
801	नेत्रा, पश्चिम बंगाल, में छिद्रण (ड्रिलिंग) कार्य	Drilling in Netra, West Bengal	890
802	शेख अब्दुल्ला के साथ श्री जय प्रकाश नारायण के दूतों की मुलाकात	J. P. Narayan's Emissaries meeting with Sheikh Abdullah	891
804	दिल्ली में होम गार्ड	Home Guards in Delhi	891
805	दिल्ली में किंग्ज़वे का पुनर्विकास	Re-Development of Kingsway, Delhi	891–892
806	राष्ट्रीय रक्षा कोष में केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों का अंशदान	Contribution by Central Ministers to N.D.F.	892
807	उड़ीसा के तटीया जिलों में तेल	Oil in Coastal Districts of Orissa	893
808	बिहार में पाकिस्तनी लोगों की घुसपैठ	Pak Infiltration in Bihar	893
809	उत्तर प्रदेश में पोलिटेक्नीक	Polytechnics in U. P.	893
810	प्रौढ़ साक्षरता	Adult Literacy	894
811	केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	Central Advisory Board of Education	894–895
812	डिग्री कालिजों के लिये मंजूर किये गये अनुदान	Grants sanctioned to Degree Colleges	895

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
813	सार्वजनिक (पब्लिक) पुस्तकालय	Public Libraries . . .	895
814	नेफा (उपूसी) का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण	Socio-Economic Survey of NEFA	895
815	कोरबा में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Korba .	896
816	राजस्थान में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant in Rajasthan .	896–897
817	इंजीनियरी की शिक्षा	Engineering Education	897
818	पाकिस्तानी अन्सारों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani Ansars	897
819	दंडकारण्य में कपड़ा मिल	Textile Mill in Dandakaranya .	897–898
820	जीवाणु सृजन सम्बन्धी अनुसन्धान	Research on creating Life .	898
821	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट)	National Book Trust	898
822	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का व्यय	Expenditure of National Book Trust	898–899
823	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	National Book Trust . .	899
824	उड़ीसा उच्च न्यायालय में लम्बित मामले	Cases pending in Orissa High Court	899
825	उड़ीसा में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत	Consumption of Petroleum Products in Orissa . . .	899
826	पुनर्वास उद्योग निगम	Rehabilitation Industries Corporation	899
827	उड़ीसा में पुलिस आवास योजना	Police Housing Scheme in Orissa	900
828	सहायक पदालि परीक्षा, 1963	Assistant's Grade Examination, 1963	900
829	तेल वाले क्षेत्र	Oil Bearing Structures . .	900
830	गुजरात में गैस का मूल्य	Prices of Gas in Gujarat . .	900–901
831	समाज सेवा शिबिर	Social Service Camps . .	901
832	बच्चों के थियेटर सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी	All India Seminar on Children's Theatre.	901
833	आज के विश्व में श्री नेहरू का योगदान	Nehru's Rule in Modern World .	901–902
834	केन्द्रीय स्कूल	Central Schools. . . .	902
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	दिल्ली में मजदूरों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना—	Alleged firing by police on labourers in Delhi—	
	श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Mishra . .	902–904
	श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav .	903–904
स्थगन प्रस्ताव के बारे में—(प्रश्न)		Re : Motion for Adjournment—(Query)	904–905

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	905
मंत्री के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में विनिर्णय	Ruling on Allegations made against a Minister	906-908
लोक-लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
इकतालीसवां प्रतिवेदन	Forty-first Report	908
समिति के लिये निर्वाचन—	Election to Committee—	
भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर	Indian Institute of Science, Bangalore	908
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion re : International Situation—	
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney	909
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	909-912
करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—	Taxation Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री रामचन्द्र विठ्ठल बड़े	Shri Bade	913-914
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	914-915
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	915
श्री मुरारका	Shri Morarka	915-917
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta	917
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	917-918
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	918
श्रीमती सहोदरा बाई राय	Shrimati Sahodra Bai Rai	918-919
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	919
श्री बिशन चन्द्र सेठ	Shri Bishanchander Seth	919-920
श्री कृ० चं० शर्मा	Shri K. C. Sharma	920
श्री रा० स० तिवारी	Shri R. S. Tiwary	920
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	920-921
श्री मान सिंह पृ० पटेल	Shri Man Singh P. Patel	921
श्री मुथिया	Shri Muthiah	922
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyy	922
श्री व० बा० गांधी	Shri V. B. Gandhi	922-923
श्री प्र० चं० बरुआ	Shri P. C. Borooah	923
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	923-926
सभा का कार्य	Business of the House	927
पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सिख लड़कियों तथा महिलाओं के बलपूर्वक अपहरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-An-Hour Discussion re : Forcible Capture of Sikh Girls and Women by Pakistan Army Personnel—	
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh	927-928
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	923-930

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 17 नवम्बर, 1965/26 कार्तिक, 1887 (शक)
Wednesday, November 17, 1965/Kartika 26, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मंत्रियों द्वारा विदेशों के दौरे

*268. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 सितम्बर, 1965 से 31 अक्तूबर, 1965 तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार के कितने मंत्री सरकारी काम से विदेशों के दौरे पर गए तथा उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया ;

(ख) उनके दौरे का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) इन पर कितना धन व्यय हुआ तथा इसमें कितनी विदेशी मुद्रा शामिल थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Shri Vishwa Nath Pandey : India has got embassies and ambassadors in all big countries. May I know whether these ambassadors are not able to explain properly India's point of view that the Union ministers have to be sent? Is it due to this reason or otherwise that these ministers were sent ?

श्री हाथी : मैंने यह नहीं कहा है कि वे सब इस प्रयोजन के लिये भेजे गये थे। मैंने कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know whether some person was sent to England also?

Shri Hathi : I think that no one was sent to England during this period.

श्री ज० सिं० सहगल : सूचना एकत्रित करने में कितना समय लगेगा ?

श्री हाथी : अधिक समय नहीं लगेगा । केवल बात इतनी है माननीय सदस्य ने सम्बन्धित व्यय के आंकड़े मांगे हैं जो एकत्रित करने हैं ।

श्री पु० र० चक्रवर्ती : क्या सरकार क्रमबद्ध आधार पर, न कि एक साथ मंत्रियों के शिष्टमंडल विदेशों में भेजना ठीक समझती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भिन्न है ।

Shri Kashi Ram Gupta : Whether the hon. Minister be pleased to state that the purpose of their visit is not decided in advance he is not able to give this information.

Shri Hathi : That is so.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि कुछ व्यक्ति जो मंत्री नहीं थे, मंत्री बनाये गये थे—उन्हें मंत्री का दर्जा दिया गया था—और उन्हें अफ्रीका और यूरोप की राजधानियों में भेजा गया था, यदि हां, तो वे कौन थे और वे कौन सी राजधानियां थीं तथा उन्हें क्या सफलता मिली ।

श्री हाथी : मैं केवल मंत्रियों के बारे में उत्तर दे रहा हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें मंत्री का दर्जा दिया गया था । श्रीमान्, क्या आप सहमत नहीं हैं कि इसलिये वे मंत्री हुए ?

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया गया था ।

श्री हाथी : किसी को मंत्री नियुक्त नहीं किया गया था ।

श्री हरि विष्णु कामत : समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या किसी व्यक्ति को यह दर्जा प्रदान किया गया था ?

श्री हाथी : जी, नहीं ।

Shri Prakash Vir Shashtri : May I know whether in view of the foreign exchange stringency, the Ministry of Home Affairs or Government have taken some such decision that the number of ministers proceeding on tours should be reduced as far as possible so as to save foreign exchange?

Shri Hathi : Certainly.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Whether the ministers were accompanied by members of their families and some of their private secretaries also ? If so, whether Government have made any assessment of expenditure incurred on them.

Shri Hathi : The expenditure incurred by embassies will also have to be taken into account that is why I said that the information would be laid on the table of the House.

श्री कपूर सिंह : क्या यह सामान्य धारणा ठीक है कि राजनयिक आवश्यकता के अतिरिक्त इन दौरों का उद्देश्य मीठे शब्दों में स्वास्थ्य लाभ भी था ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई भी मामला स्वास्थ्य लाभ के लिये था।

Shri Bade : Whether hon. Minister would consider it proper that ministers of other countries are invited here instead of our ministers going abroad so as to conserve foreign exchange?

Shri Hathi : There are certain matters in connection with which it is essential to pay a visit.

Shri Onkar Lal Berwa : How much foreign exchange was earmarked for States and how much was saved by them or did they ask for more?

Shri Hathi : This will be replied by the Finance Minister.

श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा दौरों की तिथि नियत करते समय गृह-कार्य मंत्रालय कोई देखभाल करता है ?

श्री हाथी : गृह-कार्य मंत्रालय यह काम नहीं करता।

Shri Ram Sewak Yadav : Whether the amount spent on foreign tours of Ministers in April, May, June and July exceeded this amount or was it lesser than that?

Mr. Speaker : Figures about June and July are not available.

श्री वारियर : क्या यह देखने के लिये कि ये दौरें प्रशासनिक प्रयोजनों अथवा अन्य प्रयोजनों के लिये वास्तव में आवश्यक हैं, कोई मंत्रिमण्डल की व्यवस्था है ? क्या मंत्रिमंड़ल इनकी छानबीन करता है ?

श्री हाथी : मंत्रिमंडल इन मामलों पर विचार करता है।

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

+

*269. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री हेडा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री गुलशन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पड़ोसी देशों से ख़तरे को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को हथियारों के लिये बेरोकटोक लाइसेंस देने का है ; और

(ग) लोगों का मनोबल उंचा बनाये रखने के लिये उन्हें प्रशिक्षण तथा सुविधाये देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) शायद माननीय सदस्यों का इशारा सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास और परिवहन तथा संचार व्यवस्था में सुधार की तरफ है। सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये बहुत से कदम उठाये गये हैं जिनमें केन्द्र की काफी मदद है। इनका ब्यौरा 22 सितम्बर, 1965 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2612 के उत्तर में दिया गया है।

सड़कों की संचार व्यवस्था में सुधार की भी अनेक योजनायें अभी हाल में मंजूर की गयी हैं और कुछ अन्य योजनाओं की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) : पिछले कुछ समय से भारत सरकार का ध्यान इस प्रश्न की ओर है। 8 नवम्बर, 1965 को होने वाले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सीमावर्ती क्षेत्रों में होम गार्डों की संख्या बढ़ाने का निश्चय किया गया।

Shri Yashpal Singh : May I know whether border areas have been provided with a direct telephone link with Delhi or there are such areas also which are not connected with Delhi through direct telephone line?

Shri L. N. Mishra : As I said, we have tried to increase transport and communications facilities and some places have a direct link with Delhi. I cannot say which places do not have a direct link with Delhi. But many places have got direct link with Delhi.

Shri Yashpal Singh : Whether all the adults in those areas have been given arms or some of them have not been given?

Shri L. N. Mishra : We considered this issue and thought that it would not be proper to give arms to everybody indiscriminately. The number of home guards in the border areas will be increased and they will also be trained in handling of arms.

श्री हिम्मतसिंहका : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान हमेशा सीमावर्ती गांवों पर गोलीबारी करना शुरू करता है, क्या सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के इन गांवों में सभी समर्थ युवकों को हथियार देने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस पर विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन में किये गये निर्णयों में से कुछ ये थे।

(1) सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को बिना सोचे समझे हथियार देना उचित नहीं होगा।

(2) सीमावर्ती क्षेत्रों में असैनिक लोगों के प्रभावी शस्त्रीकरण के लिये गृह-रक्षी योजना के अतिरिक्त कोई अन्य योजना नहीं होनी चाहिये और असनिक लोगों का शस्त्रीकरण गृह-रक्षी योजना के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(3) सीमावर्ती क्षेत्रों को शक्तिशाली बनाने के लिये, ऐसे व्यक्तियों तथा असैनिक लोगों को जिन्हें हथियार दिये जाने हैं, गृह-रक्षी योजना में सम्मिलित कर लेना चाहिये ताकि हथियारों के प्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण भी रखा जा सके।

Shri Madhu Limaye : In order to face the Chinese agression effectively, whether Government have advised Sikkim and Bhutan to establish a democratic Government there so that the people may feel satisfied and be able to face the Chinese agression with all their might?

Shri L. N. Mishra : This is their internal affair, we can't interfere in it.

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir, China has been launching ideological attack against us. This sort of bureaucratic Govt. cannot meet that challenge.

Mr. Speaker : There is no point of order involved in it.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ राज्य सरकारों ने भारत सरकार से कहा है कि वे गृह-रक्षियों पर व्यय वहन नहीं कर सकेंगे और उनकी वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं के लिये पूरी सहायता देने की मांग की है और यदि हां, तो गृह-रक्षी संगठन तथा अन्य नागरिक सुरक्षा योजनायें बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार का विचार कितनी सहायता देने का है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सच है कि जब यहां गृह-मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो उन्होंने अपनी कठिनाई बताई थी और कहा था कि अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना उनके लिये कठिन होगा, विशेष रूप से इसलिये कि इन सब पर व्यय गैर-योजना व्यय माना जाता है। इस पर ध्यान दिया गया है और इन शीर्षकों के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के ढांचे में परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है ।

Shri Kishen Pattnayak : Whether it is a fact that a grant of Rs. 1 lakh was given to Rajasthan Government for construction of roads in the border areas during 1964-65 and whether no progress could be made in the work as Rajasthan Government could not appoint engineers in time because of interal rift?

Shri L. N. Mishra : We have given not one lakh but crores of rupees to the Governments of Rajasthan and Gujarat for construction of roads etc. and the work is proceeding speedily and good progress has been made in this direction.

Shri Ram Sewak Yadav : Whether Central Government have been assessing the progress of work in connection with construction of roads and other works in the border states for which centre has been providing funds? If so, what steps have been taken to accelerate the pace of work?

Shri L. N. Mishra : There are two points. As I already stated, one is economic development. There are many schemes under the Third Five Year Plan for the development of border areas, the details of which are very lengthy. There has been considerable development especially in his State of Uttar Pradesh though works are proceeding in other States as well. The Evaluation cell of the Planning Commission makes evaluation of the progress of work in the same manner as in other cases and to that extent we exercise check.

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, Sir, my question was whether any evaluation was being made by Government ?

Shri L. N. Mishra : As I have already stated the Evaluation cell of the Planning Commission makes evaluation of all these works. Since the central Government gives grants to states and up-to 75 to 90 per cent particularly in the case of border areas, the responsibility for that is much higher and we excercise proper check.

Shri Gulshan : Whether it is a fact that Government had not taken positive steps to strengthen the defences on the border of East Punjab and Rajasthan prior to August-September, 1965. If so, may I know whether Government have any intention to build defence structures like those in the Ichhogil Canal area in Pakistan, in border areas of Rajasthan or Punjab or any other border area ?

Shri L. N. Mishra : The hon. Member has referred to Ichhogil Canal, it is a matter of defence strategy to decide the nature and location of defence arrangements which is the concern of the ministry of Defence.

As far as Ichhogil Canal is concerned, it is difficult to say whether it had proved of any special advantage to Pakistan, but as regards the strengthening of border defence in Rajasthan and Punjab, we are increasing the number of police pickets and police posts. We want to increase the number especially in Rajasthan, the Border police in Punjab have done a good job.

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know the amount of Central aid given so far to U.P., Punjab, Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh for the development of border areas?

Shri L. N. Mishra : As far as question of giving aid to Uttar Pradesh is concerned we have given aid 75 to 90 per cent in many areas and in some areas even up to 100 per cent. In case of Kannaur a District of Himachal Pradesh cent per cent aid was given. For Kashmir the pattern of aid has been different. In some cases 50 per cent aid has been given.

Shri G. S. Musafir : The question of issuing licences for arms to the people of the border areas is very old one. In view of the fact that there are no natural boundaries between India and Pakistan, like Ichhogil Canal which would have served as a natural boundary, may I know whether Government intend to give licences for arms to more and more people in the border areas and what definite steps have been taken in this direction?

Shri L. N. Mishra : This issue has been engaging the attention of the Punjab Government since 1954-55, who had submitted a scheme in 1957 also and we advised them to issue licences to individuals in the border areas on a liberal scale. As you know we amended the Arms Act for the purpose. There are instructions that as far as possible all the people in Punjab and border areas should be given licences for arms. Apart from this we are formulating a scheme to give rifle training to the general public in some of the districts of Punjab and other border Districts. As the hon. member must be aware of the fact that during the last emergency people of Punjab and Jammu area were given rifles in large numbers.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान की विकास परियोजनाओं की ओर आकर्षित किया गया है जिन्हें संकट के समय सुरक्षा परियोजनाओं में बदल दिया गया, जैसे इच्छोगिल नहर ? इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास-एवं-सुरक्षा परियोजनायें बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह युद्ध नीति का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर प्रतिरक्षा मंत्री दे सकते हैं। इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

Shri Sheo Narain : Keeping in view the development of border areas, may I know whether it is proposed to make N.C.C. training compulsory in the high schools and colleges in the border areas? I will also like to repeat the demand that a railway track *via* Basti District and Gorakhpur should be laid, I would like to know the amount actually spent for the development work in U.P.

Shri L. N. Mishra : We have given aid for the plans of U.P. The hon. member is aware that four, five new Districts and new Divisions have been created. We have provided fund for their plan for the development of hill areas. As regards N.C.C. it is compulsory even for the students in other areas, what to say of border areas.

श्री जसवन्त मेहता : पहले गत समय में हमारा यह अनुभव रहा है कि संचार व्यवस्था न होने के कारण कच्छ के रेगिस्तान को पार करना बहुत कठिन है। सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? उस क्षेत्र में वर्तमान स्थिति क्या है? क्या इस प्रयोजन के लिए निश्चित समय में पूरा करने के लिए कोई कार्यक्रम तयार किया गया है और यदि हां, तो उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

श्री ल० ना० मिश्र : राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती राज्यों में सड़क परिवहन और संचार के विकास के लिए हमने विशेष व्यवस्था की है। एक क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और कुछ ही महीनों में इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जायेगी;

श्री ओझा : मैं जानना चाहता हूं कि टेंडर मंजूर करने और स्वीकार करने के बारे में राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्ति प्रदान करने में केन्द्रीय सरकार की अनिच्छा के कारण सड़क के निर्माण में, विशेष रुप से गुजरात में बहुत बिलम्ब हुआ है?

श्री ल० ना० मिश्र : विलम्ब हुआ है और हमें उसका फल भुगतना पड़ा है। मैं यह नहीं कह सकता कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है। मैं तो इतना कह सकता हूं कि हमने विशेष व्यवस्था की है और स्थिति में सुधार होगा।

श्री बूटा सिंह : पाकिस्तान के साथ युद्ध में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र के औद्योगिक नगर विशेष रुप से दोहारता, अमृतसर और फीरोजपुर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गये थे और इसके परिणामस्वरूप बैंकों इन उद्योगपतियों वित्तीय सहायता देना अस्वीकार कर दिया है? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों को सहायता करने के लिए रिज़र्व बैंक को निदेश दिये हैं? का सरकार ने पंजाब के उद्योगों को हुई क्षति का कोई अनुमान लगाया है? इन उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

Shri L. N. Mishra : Mr. Speaker, Sir, I can only say that this issue was also raised in Chief Ministers' Conference and the Home Minister had said that the resources of the country as a whole should be pooled and help given wherever needed. As regards the past loss, a Scheme for the rehabilitation of the industries is being chalked out by the Finance Ministry.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सीमा क्षेत्रों के विकास तथा उनकी प्रतिरक्षा के बारे में तीन या चार अनुपूरक प्रश्न पूछे गये हैं और माननीय मंत्री ने उत्तर भी दिया है कि इस की जिम्मेवारी प्रतिरक्षा मन्त्रालय की है। सीमा क्षेत्रों पर या तो राज्य सरकारों का नियंत्रण है या फिर गृह-मंत्रालय का नियंत्रण है। वे प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अधीन नहीं आते। क्या माननीय मन्त्री स्पष्ट उत्तर देंगे कि इस का उत्तरदायित्व किस पर है?

Shri Madhu Limaye : Nobody's responsibility.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नहर आदि के बारे में बताया है। वह अपना उत्तरदायित्व मानते हैं।

Shri Bade : Whether contracts have been given in Jaisalmer area for construction of roads and whether that work is in progress, because Pakistan has been propagating that she has captured twelve posts in Jaisalmer and how much amount has recently been given to Rajasthan?

Shri L. N. Mishra : We are paying special attention to Jaisalmer area in Rajasthan and the roads are under construction there. I want to make one thing clear. One hon. member has said that we have been throwing our responsibility on the Ministry of Defence. Questions have been raised here about the defence strategy and financial and economic development. As far as the question of defence strategy is concerned, that is the responsibility of the Defence Ministry. Economic and development are the concern of the Finance Ministry. But, unless the actual war-like condition develop on the borders, responsibility regarding protection of borders, lies with this Ministry. That is our responsibility and we have not tried to throw it on others. It is inappropriate to say that we have thrown our responsibility on the Ministry of Defence.

जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये व्यवस्था

+

*271. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री प्र. चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता की शिकायतें दूर करने के लिए पर्याप्त संस्थात्मक व्यवस्था स्थापित करने के लिए अन्तिम रूप से योजना तैयार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : जनता की शिकायतों के बारे में पहली सितम्बर 1965 को दिये गए तारांकित प्रश्न संख्या 366 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

डा० लक्ष्मीमल सिंघवी : मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि सभा का बहुत कम मान किया जाता है। हमारा ध्यान 18 अगस्त को दिये गये उत्तर तथा उसमें संलग्न विवरण की ओर आकर्षित कराया गया है। क्या मैं यह मान लूं कि 18 अगस्त के पश्चात, जब कि सभा पटल पर यह विवरण रखा गया था, कोई प्रगति नहीं हुई है और इस के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है और क्या सरकार वास्तव में जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं करना चाहती ?

श्री हाथी : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इस ओर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई है। इस के लिये माननीय सदस्यों का एक दल है, जिसके सदस्य माननीय सदस्य भी हैं। ओम्बुडज़मैन के बारे में साहित्य का अध्ययन किया जा रहा है और प्रक्रिया के बारे में भी साहित्य का अध्ययन किया गया है। हमने कार्यवाही करने के लिये एक योजना बनाई है और वर्तमान न्यायाधिकरणों तथा दूसरे विभिन्न तरीकों का भी अध्ययन किया गया है। मेरा विचार है कि इस प्रश्न पर हमने उस दल में चर्चा की थी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : सरकार ने ओम्बुडज़मैन के सिद्धान्त को इस सभा में स्वीकार किया है। इस के पश्चात ओम्बुडज़मैन के सिद्धान्त को समिति ने मंजूर किया था। क्या सरकारने देश में इस व्यवस्था को लागू करने के लिये कोई विशेष कानून बनाने के लिये कार्यवाही की है या सरकार इस सभा को धोखा देने के लिये ही बारबार समितियां नियुक्त करना चाहती है और इस बारे में कुछ काम करना नहीं चाहती ?

श्री हाथी : मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य श्री सिंघवी को 'सभा को धोखा देने' शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और उस समिति की बैठक में, जिसके डा० सिंघवी भी सदस्य हैं, वर्तमान न्यायाधिकरणों में सुधार करने के संबंध में अध्ययन करने का निश्चय किया गया था, ताकि शीघ्रता से और आसानी से उचित और निष्पक्ष निर्णय किये जा सकें। प्रक्रिया के प्रमाणीकरण, दूसरे विभागों में न्यायाधिकरण प्रणाली का विस्तार, प्रकीर्ण मामलों के लिये आम न्यायाधिकरणों और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कार्य को देखने के लिये न्यायाधिकरणों की परिषद की स्थापना ; अपीलीय न्यायाधिकरणों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा न्यायाधिकरणों के कार्य को संविधान के अनुच्छेद 227 तथा अन्य सम्बंधित अनुच्छेदों के अनुसार बनाने, प्रशासनिक प्रक्रिया के लिये कानून में और दीवानी या फौजदारी संहिता की तरह न्यायाधिकरणों के लिये प्रशासनिक संहिता बनाने के बारे में भी निर्णय किये गये हैं। उप-समिति ने सिफारिश की है कि वही समिति ओम्बुडज़मैन की संस्था की स्थापना के बारे में सभी राजनीतिक तथा कानूनी पहलुओं पर जांच करेगी और प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और ओम्बुडज़मैन एक दूसरे को सहायता करेंगे। यह कहना ठीक नहीं है कि हम इस मामले में प्रगति नहीं कर रहे हैं। हमें इस की प्रश्नावलि तैयार करनी है। मेरा विचार है कि इस की प्रति सदस्यों को भेज दी गई है। वास्तव में हम सदस्यों से और दूसरे लोगों से इतने सुझाव लेते हैं, जितने हम इस मामले में प्रगति करने के लिये ले सकते हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिये और कल्याण के लिये देश में प्रशासनिक तंत्र की एक शृंखला है। वहां भ्रष्टाचार विरोधी, विशेष पुलिस विभाग और सतर्कता आयोग आदि कई व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी हैं। फिर भी लोगों की शिकायतों में वृद्धि हो रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो व्यवस्था की जायेगी या की जाने वाली है, क्या यह वर्तमान व्यवस्थाओं की तरह ही लोगों की शिकायतों में वृद्धि करने वाली एक व्यवस्था होगी अथवा क्या सरकार को आशा है कि शिकायतों में कमी हो जायेगी ?

श्री हाथी : संभवतः माननीय सदस्य जानते हैं कि जब ओम्बुडज़मैन के प्रश्न पर यहां चर्चा हो रही थी तो सदस्यों ने ऐसी संस्था बनाये जाने के लिये बड़ी रूचि प्रगट की थी। ऐसा विचार है कि यह व्यवस्था जनता की शिकायतों को दूर कर सकेगी। अब यह समिति मालूम करना चाहती है कि वर्तमान व्यवस्थाओं में कुछ न्यायाधिकरण भी हैं, वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं और क्या उन के कार्य में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है और समिति यह भी देखेगी कि किस प्रकार ओम्बुडज़मैन संस्था दूसरी संस्थाओं के साथ मिल कर काम करेगी। यह दल इन सब बातों का अध्ययन करेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : हम गत $1\frac{1}{2}$ वर्ष से ओम्बुडज़मैन संस्था बनाने के बारे में सुन रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहती हूं यह संस्था कब तक बन जायेगी—इस प्रशासनिक विलम्ब का इस को गृह-मंत्रालय द्वारा अन्तिम रुप दिये जाने पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

श्री हाथी : इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। जैसा कि मैंने पहले बताया है, हमने विभिन्न न्यायाधिकरणों के कार्य का अध्ययन करना है .....

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बता सकते हैं कि यह संस्था कब तक बन जायगी। सदस्य यही जानना चाहते हैं।

श्री हाथी : मैं समय नहीं बता सकता।

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस विषय पर विचार करने के लिये संसद् सदस्यों की विशेष सलाहकार समिति बनाई गई है और उस की कई उप-समितियां बनाई गई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि रिपोर्ट कब तक तैयार हो जायेगी, विशेषकर ओम्बुडज़मैन के मामले पर मेरा विचार है कि इस रिपोर्ट में सब बातों पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि मैं ने मन्त्री महोदय को ठीक सुना है तो उन्होंने कहा है कि हम ने — अर्थात गृह-कार्य मंत्रालय ने ओम्बुडज़मैन की संस्था के बारे में साहित्य को बांट दिया है। हमें केवल एक विवरणिका मिली थी जो लोक सभा सचिवालय की ओर से थी। क्या मैं यह मान लूं कि इस कार्य के लिए गृह-मंत्रालय श्रेय स्वयं लेना चाहता है ?

श्री हाथी : जिस समय मैंने यह कहा था कि हमने साहित्य बांट दिया है उस समय मैंने उस विवरणिका का उल्लेख किया था जो सभी सदस्यों को नहीं बांटी गई थी। वह विवरणिका केवल सलाहकार ग्रुप के सदस्यों को दी गई थी और वह लोक सभा सचिवालय की ओर से दी गई विवरणिका के अतिरिक्त थी।

श्रीमती रेणूका राय : यदि सरकार किसी विशेष मामले में विलम्ब करना चाहे तो उसके पास यह तरीका है कि वह उस के लिये एक समिति बना देती है। क्या सरकार ओम्बुडज़मैन टाइप संस्था बनाने के कार्य को तब तक के लिये स्थगित कर रही है जब तक कि नया प्रशासन सुधार आयोग जो कि स्थापित किया जानेवाला है स्थापित न हो जाये और अपनी रिपोर्ट न दे दे।

श्री हाथी : ऐसा नहीं होगा।

श्री रंगा : इस बात को देखते हुए कि गृह-मन्त्री बार बार कहते हैं कि वह ओम्बुडज़मैन संस्था की स्थापना के पक्ष में हैं और कि गृह-मत्रालय ने ओम्बुडज़मैन संस्था की स्थापना की आवश्यकता को सिद्धान्तरुप में स्वीकार कर लिया है, क्या सरकार के लिये इन प्रस्तावों पर विचार करने का यह उपयुक्त समय नहीं है और ओम्बुडज़मैन की संस्था के सम्बन्ध में जो न्यायाधिकरण और संस्थायें पहले ही स्थापित हो चुकी हैं उन का समायोजन किया जाय इसकी बजाय कि नई समिति बनाई जाये और समय नष्ट किया जाये ?

श्री हाथी : ऐसा नहीं है कि इस समिति नियुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस के लिये समिति तो पहले ही है। यह तो वास्तव में हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व अध्ययन कर रहे हैं।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या संसद सदस्यों के सलाहकार ग्रुप की समिति और प्रशासन सुधार आयोग जिनको नियुक्त करने का प्रस्ताव है अलग अलग कार्य करेंगे या ये एक दूसरे से किसी प्रकार के सहयोग से कार्य करेंगे ?

श्री हाथी : इस बात का बाद में फैसला किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : इस से पूर्व कि समिति अपनी रिपोर्ट पेश करे या इस रिपोर्ट को अन्तिमरूप दिया जाये क्या सरकार लालफीताशाही को दूर करने के लिये कोई कड़ी कार्यवाही करने वाली है क्योंकि न्याय में विलम्ब होने का यह भी एक कारण है और यह न्याय न करने के बराबर ही है ?

श्री हाथी : समिति ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह था कि क्यों कि समिति को अपनी रिपोर्ट देने में अभी कुछ समय लगेगा इस लिये क्या सरकार लालफीताशाही को दूर करने के लिये इस बीच कोई कार्यवाही करने वाली है। लालफीताशाही का चालू रहना न्याय न होने के बराबर ही है।

श्री हाथी : इस सम्बन्ध में कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। उन महत्वपूर्ण मन्त्रालयों में जिनका सम्बन्ध जनसाधारण से है लोगों की शिकायतों पर विचार करने के लिये सैल बनाये गये हैं।

श्री हेम बरुआ : पिछले विश्व युद्ध में सरविंस्टन चर्चिल ने जो प्रथम कार्य किया था वह यह था कि उन्होंने प्रशासन से कहा था कि वह ऐसा कार्य न करें जिस से जनता को परेशानी हो। क्या वर्तमान आपात काल के दौरान हमारी सरकार ने इस प्रकार के कदम उठाये हैं कि जिस से लोगों को कोई परेशानी न हो।

श्री हाथी : आपात हो या न हो लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न अलग था। मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार ने वर्तमान आपात में ऐसे कुछ कदम उठाये हैं जैसे चर्चिल ने उठाये थे अर्थात् प्रशासन को कोई अनुदेश जारी किये हैं ?

Shri A. S. Saigal : At present Anti-corruption, Vigilance Department and Special Police Establishment are functioning. The fourth institution will be included in them. May I know whether these three departments will be separated ?

Shri Hathi : These three departments are not separated. They work together. This fourth will be a separate institution but will do the same work.

Shri Yashpale Singh : May I know whether it is a fact that the highest Officer who was appointed to hear the complaints from public have became hards of hearing ? I want to know how a person will listen to complaints who has lost his power of hearing?

Mr. Speaker : Swamiji.

Shri Yashpal Singh : The person who has lost his power of hearing....

Mr. Speaker : He has not yet lost his power of hearing....

Shri Yashpal Singh : The officials who have been appointed their power of hearing. ..

Shri Yashpal Singh : If you permit me I may call....

Mr. Speaker : Not at this movement you give in writing.

Shri Rameshwar Nand : May I know whether Committees will also be set up in the States on the basis of this Committee which has been set up to hear the public complaints? If so, whether the concerned departments will hear to the complaints or the other departments?

Shri Hathi : The present Committees have not been set up by the Government. The Government have established the following :

प्रत्येक राज्य में सतर्कता आयुक्त और यहां केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं। बाहर के आक्रमण और देश के अन्दर भ्रष्टाचार ने बड़े बड़े साम्राज्यों को बरबाद कर दिया है।

बर्मा से वापिस आने वाले भारतीयों का पुनर्वास

+

*273. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री धर्मलिंगम् :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बर्मा से भारत वापिस आये सभी व्यक्तियों को ठीक प्रकार से बसाया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख) : लौटने वाले 92,170 व्यक्तियों या लगभग 18,430 परिवारों में से जो अब तक बर्मा से समुद्र द्वारा आये हैं उनमें से 10,867 परिवारों को पुनर्वास सहायता दी जा चुकी है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि ऐसे नागरिकों को, जो वहां रेलवे विभाग तथा अन्य सरकारी विभागों में काम कर रहे थे और जिन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि यहां भी उन्हीं विभागों में उन्हें वैसी ही नौकरी उपलब्ध कराई जायेगी, ऐसी नौकरी नहीं दी गई है ; और यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

श्री त्यागी : यह सच है कि उन सब को यहां वैकल्पिक नौकरियां नहीं दी जा सकी हैं। परन्तु गृह-कार्य मंत्रालय को हिदायतें भेजी गई हैं कि बर्मा से वापस आने वाले इन व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में तरजीह दी जाये ; आयु सीमा आदि के बारे में रियायतों की मंजूरी भी दी गई है और इन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि ये लोग, जो अपनी सब सम्पत्ति बर्मा में छोड़ आये हैं; एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भटक रहे हैं ; और यदि हां, तो क्या विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर ऐसी कोई समन्वित योजना बनाने का विचार है जिससे यह समस्या सदैव के लिये हल हो जाये।

श्री त्यागी : पुनर्वास-कार्य पूरी तरह समन्वित है। बात यह है कि बुनियादी तौर पर यह काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है . . . .

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने मेरा प्रश्न गलत समझा है।

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रश्न का उत्तर आ जाने दें, फिर हम देखेंगे कि क्या प्रश्न को गलत समझा गया है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार का प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। मैं इन कर्मचारियों की ओर से पुनर्वास मंत्रालय को पत्र लिखता रहा हूं . . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहरायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि नौकरी प्राप्त करने के लिये ये व्यक्ति एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भटक रहे हैं ; और यदि हां, तो क्या विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर ऐसी कोई समन्वित योजना बनाने का विचार है जिससे यह समस्या सदैव के लिये हल हो जाये ?

श्री त्यागी : सरकारी कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में इन लोगों की नौकरियों का प्रबन्ध करना होगा। सभी नियोजन कार्यालय उनके लिये काम कर रहे हैं और उन सब को यह हिदायतें दी गई हैं कि इन लोगों को प्राथमिकता दी जाये और उन्हें वही नौकरियां दी जा रही हैं, जिनकी उन्हें जानकारी है और इस दिशा में भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। यदि मेरे माननीय सदस्य को कोई विशेष सुझाव देना है, तो हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं पत्र लिखता रहा हूं परन्तु कुछ परिणाम नहीं निकला है। इसीलिये मैंने प्रश्न पूछा है।

श्री मुथिया : वापिस आने वालो ये व्यक्ति किन-किन राज्यों में बसाये गये हैं ?

श्री त्यागी : ये लोग अधिकतर मद्रास, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में बसाये गये हैं। मुख्यतया यही राज्य हैं जहां ये लोग बसाये गये हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : What is the number of employees who have bee n repatriated from Burma and how many from amongst them have been provided with employment. Besides, what help is being given to the persons who are still unemployed?

श्री त्यागी : इस समय ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

Shri Sheo Narain : May I know whether some sort of assistance is being given to the persons who could not be accommodated by the Ministry of Rehabilitation.

Shri Tyagi : As has just now been said, the State Governments have been advised to give financial assistance to the tune of Rs. 2,000 or so to the families coming from Burma to start their respective trades. Every effort is being made to accommodate such persons who were in service. I am fully satisfied that the State Governments are working properly in this direction.

Shri G. S. Musafir : May I know the steps Government are taking to ensure that the businessmen who have come from Burma are paid some compensation by the Burmese Government for the properties left by them there.

Shri Tyagi : In my opinion, the Ministry of External Affairs would be able to answer this question properly. In so far as assets are concerned, it is fact that the Burmese Government did not allow any of the assets to be brought here. Although we had extended the necessary help regarding customs etc. but all could not bring their assets from Burma.

श्री रंगा : क्या सरकार को बर्मा से वापस आये ऐसे व्यक्तियों से, जो उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश और विशेषकर विशाखापटनम्, श्रीकाकुलम तथा गंजम जिले में, जहां से वे बड़ी संख्या में पहले बर्मा गये थे, वापस आये हैं, कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और यदि हां तो क्या उन्हें विशाखापटनम् तथा राउरकेला और अन्य सरकारी उपक्रमों में बसाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ?

श्री त्यागी : केवल मद्रास ही में 1,814 व्याक्तियों को नौकरियां दिलाई गई हैं और 5,353 व्यक्तियों को व्यापार के लिये ऋण दिये गये हैं । उदाहरणार्थ आन्ध्र प्रदेश में 1,331 व्यक्तियों को व्यापार के लिये ऋण दिये गये हैं तथा 973 व्यक्तियों को नौकारियां दी गई हैं। उन विस्थापित व्यक्तियों को विभिन्न राज्यों में इस प्रकार बसाये जाने के बारे में आंकडे उपलब्ध हैं ।

श्री रंगा : क्या सरकार को उनसे कोई आभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : Mr. Speaker, I rise on a point of order. The hon. Minister replied to my question that the figures were not available. But he has given the figures to some other hon. Member. I would like to know the mistake in my question.

Shri Tyagi : The hon. member had asked the number of repatriates profession-wise.

Shri Onkar Lal Berwa : This was not my question. My question was regarding Government employees who have come back and the number of such employees who have been provided with alternate jobs.

Mr. Speaker : I would like the hon. Minister to lay a statement on the table of the House.

Shri Raghunath Singh : The hon. Minister has just now said that the Burmese repatriates could not bring any of their assets from Burma. They were not allowed to do so. I would like to know what would become of these assets left there.

Shri Tyagi : All the assets of these people left over there have been nationalised by the Burmese Government, wholesale and the retail business, export and import trade and the factories have been nationalised. The labourers etc. have been removed from service.

Shri Shiv Charan Gupta : I would like to know the value of the assets left there by these people and whether some discussion have taken place with Burmese Government to permit these people to bring their assets here?

Shri Tyagi : No estimates of the value of these assets have been made.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या जम्मू तथा काश्मीर की सरकार से भी इस सम्बन्ध में कोई बातचीत की गई है कि क्या वह इन आश्रयहीन लोगों को वहां इस दृष्टि से बसाने के लिये तैयार है कि वहां बहुत सा कार्य किया जाना है ।

श्री त्यागी : वापस आने वाले से व्यक्ति मूलतः भारतीय राष्ट्रजन थे, जो बर्मा चले गये थे; इन लोगों के यहां भारत में निकट सम्बन्धी हैं । जहां तक सम्भव है, इन लोगों को उन्हीं स्थानों में बसाने का प्रयत्न किया जा रहा है जहां से ये बर्मा गये थे ।

श्री हरि विष्णू कामत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने मंत्री महोदय का पहला उत्तर सुना . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह समझ लिया है । माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार से इस सम्बन्ध में पूछा गया है । परन्तु माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया है कि इन लोगों को उन्हीं राज्यों में बसाया जा रहा है जहां इनके सम्बन्धी रहते हैं और जहां ये लोग बसना चाहते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वह भिन्न-भिन्न राज्यों के नाम दे सकते हैं ? क्या सभा यह समझे कि उन सभी विस्थापित व्यक्तियों को केवल उन्हीं राज्यों में बसाया गया है जहां उनके सम्बन्धी रहते है और किसी अन्य राज्य में नहीं ?

श्री त्यागी : नहीं, श्रीमान्, जहां तक सम्भव है इन लोगों को उन्हीं राज्यों में बसाया जा रहा है जहां वे पहले रहते थे ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह एक सुविधाजनक वाक्य है ।

श्री त्यागी : वे उन राज्यों में रहते थे । कोई भी व्यक्ति जम्मू तथा काश्मीर राज्य का रहने वाला नहीं है ।

Shri Ram Sewak Yadav : I would like to know the number of Burmese repatriates who were in the Burmese Government Service and the number of such persons who have been provided with jobs.

Shri Tyagi : I have already submitted that the deta ls are not available just now.

श्री जसवंत मेहता : माननीय मंत्री ने कहा है कि हमारे राष्ट्रजनों की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण किया गया है । क्या सरकार ने बर्मा की सरकार से इस बारे में बातचीत की है कि इस सम्पत्ति का कुछ प्रतिकर दिया जाये ?

श्री त्यागी : मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री इकबाल सिंह : इतने निर्णय किये जाते हैं परन्तु उन्हें लागू नहीं किया जाता । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या पग उठा रही है कि राज्य सरकारें इन निर्णयों को लागू करें और इनका परिणाम क्या है ?

श्री त्यागी : मेरा विचार है कि इस मामले में बर्मा सरकार से बातचीत चल रही है । मेरा मंत्रालय इस प्रकार सीधे बातचीत नहीं कर सकता ।

श्रीमती सावित्री निगम : माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को इन व्यक्तियों को प्रति परिवार 2,000 रुपये देने तथा इन्हें बसाने के लिये कहा गया है । क्या उन्होंने राज्य सरकारों को यह भी सुझाव दिया है कि यदि इन में से कोई व्यक्ति रुपये के बदले लाइसेंस अथवा भूमि अथवा नौकरी जैसी अन्य सुविधायें मांगे तो उसे उच्च प्राथमिकता के आधार पर वही सुविधा दे कर बसाया जाये ?

श्री त्यागी : हां, श्रीमान् । राज्य सरकारों ने यह स्वीकार किया है कि इन सुविधाओं के सम्बन्ध में उन व्यक्तियों को दूसरे पर प्राथमिकता दी जायेगी ।

Shri Rameshwaranand : I would like to know whether all the Indian nationals have been repatriated from Burma or whether some of them are still there; if so whether steps would be taken to repatriate some Burmese nationals putting up here.

Shri Tyagi : The number of such people putting up in Burma was five lakhs. Out of them, 1,27,797 persons have come over here. I have told that 92,170 persons have come by ship. A question has been put regarding rehabilitation of these people. It is estimated that 35,000 people have come by air. They are financially well off and generally do not need any rehabilitation facilities.

तकनीकी कर्मचारियों के लिये सेना में अनिवार्य सेवा

*274. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों ने अपनी कुछ सेवाओं, जैसे डाक्टरों तथा इंजीनियरों की भर्ती के लिए यह शर्त लगा दी है कि नियुक्ति होने पर उनको कम से कम कुछ वर्षों के लिए सेना में काम करना होगा, और

(ख) यदि हां, तो ठीक-ठीक ये शर्तें क्या हैं तथा किन सेवाओं के लिए ये शर्तें रखी गई हैं तथा ये राज्य कौन-कौन से हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

सेना सम्बन्धी सेवा के लिये सुसंगत शर्तें ये हैं :—

(एक) सेना के पदों, जिनपर नियुक्ति सम्बन्धी नियम इस प्रकार संशोधित किये गये हैं कि ये उपबन्ध भी उनमें आ जायें, पर नियुक्त होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह इंजीनियरी स्नातक हो अथवा मैडिकल स्नातक, किसी प्रतिरक्षा सेवा अथवा प्रतिरक्षा से सम्बन्ध किसी पद पर उस अवधि तक काम करना होगा जो चार वर्ष से कम न हो ;

(दो) इस अवधि में प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई है, भी सम्मिलित होगी ;

(तीन) फिर भी नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ;

(चार) आगे यह कि किसी व्यक्ति की, यदि वह इंजीनियरी स्नातक है तो 40 वर्ष से अधिक और मैडिकल स्नातक है तो 45 वर्ष से अधिक ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी ।

2. उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार संशोधन के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :—

राज्य	इंजीनियरी पद	मैडिकल पद
आन्ध्र प्रदेश	नियमों में संशोधन किया गया ।	नियमों में संशोधन किया गया ।
आसाम	तदैव	तदैव
बिहार	तदैव	तदैव
गुजरात	तदैव	राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श के साथ विचाराधीन ।
जम्मू तथा काश्मीर	नियमों में संशोधन किया जा रहा है ।	नियमों में संशोधन नहीं किया गया ।
केरल	निष्पादन आदेश जारी किये गये	निष्पादन आदेश जारी किये गये ।
मध्य प्रदेश	निर्णय किया गया है । नियमों में संशोधन किया जा रहा है ।	निर्णय किया गया है । नियमों में संशोधन किया जा रहा है ।
मद्रास	नियमों में संशोधन किया गया ।	नियमों में संशोधन किया गया ।
महाराष्ट्र	आदेश जारी किये गये हैं । नियमों में संशोधन किया जा रहा है ।	आदेश जारी किये गये हैं । नियमों में संशोधन किया जा रहा है ।
मैसूर	नियमों में संशोधन किया गया ।	नियमों में संशोधन किया गया ।
नागालैण्ड	नियमों में संशोधन किया जा रहा है ।	नियमों में संशोधन नहीं किया गया ।
उड़ीसा	लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियमों में संशोधन किया जा रहा है ।	लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियमों में संशोधन किया जा रहा है ।
पंजाब	नियमों में संशोधन किया गया ।	नियमों में संशोधन किया गया ।
राजस्थान	तदैव	तैदव

राज्य	इंजीनियरी पद	मैडिकल पद
उत्तर प्रदेश	नियमों में संशोधन नहीं किया गया ।	नियमों में संशोधन नहीं किया गया ।
पश्चिमी बंगाल	नियमों में संशोधन किया गया ।	नियमों में संशोधन किया गया ।

श्री श्रीनारायण दास : विवरण से यह पता लगता है कि कुछ राज्य सरकारों ने इंजीनियरी तथा मैडिकल, इन दोनों श्रेणियों के पदों के लिये नियमों में संशोधन किया है जबकि अन्यों ने एक ही श्रेणी के पदों के लिये ऐसा किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको दोनों श्रेणियों के पदों सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने का परामर्श दिया गया है अथवा यह कार्य उनकी अपनी इच्छा पर छोड़ दिया गया है ।

श्री हाथी : नहीं, श्रीमान्, उन्हें यह परामर्श दिया गया है कि वे दोनों सेवाओं सम्बन्धी नियमों में संशोधन करें ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : नियुक्ति सम्बन्धी इन नियमों में संशोधन करने का क्या कारण था ? क्या देश के तकनीकी कर्मचारी इन सेवाओं में भाग नहीं लेना चाहते थे ?

श्री हाथी : हां । इन तकनीकी कर्मचारियों की कमी थी ।

श्रीमती रेणुका राय : क्या यह नर्सों सम्बन्धी सेवा पर भी लागू किया जा रहा है; यदि नहीं तो किन कारणों से ?

श्री हाथी : यह इंजीनियरी तथा मैडिकल स्नातकों के लिये है । नर्सों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि डाक्टरों तथा इंजीनियरों जैसे तकनीकी कर्मचारियों को, जो पहले ही सेना सम्बन्धी सेवाओं में आ चुके हैं, काफी कठिनाइयां होती हैं और उन्हें वे सभी सुविधायें नहीं मिलती जो उन्हें नियमों के अन्तर्गत मिलनी चाहिये । क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि इस सम्बन्ध में क्या स्थिती है और शिकायतों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ?

श्री हाथी : इस ओर ध्यान दिया जायेगा ।

पूर्वी पाकिस्तान से लोगों का बड़ी संख्या में आना

+

*275. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् को दी गई पिछली रिपोर्ट के बाद से पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का आना बढ़ गया है;

(ख) यदि हां तो कितना; और

(ग) पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) और (ख) । पहली अगस्त, 1965 से 9,355 विस्थापित पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं और उनकी दैनिक औस्त 101 है । अगस्त सत्र में दी गई जानकारी के अनुसार अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई के महीनों की दैनिक औस्त 204 थी ।

(ग) 32,664 परिवारों के बसाने के लिये अब तक 84 पुनर्वास योजनायें--कृषि, औद्योगिक तथा अन्य कृषि-भिन्न तथा प्रशिक्षण योजनायें--10.15 करोड़ रुपये की लागत की मंजूर की जा चुकी हैं । ये योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं और 7,944 परिवार पुनर्वास स्थानों में भेजे गये हैं । इसके अतिरिक्त 2,451 परिवारों को स्थायी रोजगार पर लगाया गया है ।

Shri Yashpal Singh : I would like to know the number of persons from amongst these migrants who possessed passports but were not allowed by the Pakistani Rifles to come over to this place and were harassed.

डा० म० मो० दास : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

Shri Yashpal Singh : The hon. Rehabilitation Minister had given to understand that this problem would be solved and if some territory would be required for this purpose, that would be demanded from Pakistan. May I know what steps are being taken in this regard ?

डा० म० मो० दास : यह एक कठिन प्रश्न है । शायद इस सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार सभा को है ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether this question of atrocities being penetrated by Pakistan on minorities will also be discussed during the political talks which would be held with Pakistan as a result of the Security Council Resolution and also during the Tashkent Talks?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : Until some decision is taken regarding this important problem, any discussion cannot be successful. Therefore, if there is any talk, this problem will be discussed there.

Shri Raghunath Singh : May I know whether the Hindus are coming over to India in a large number since the recent Indo-Pak conflict; if so, whether it is because the Pakistanis have started a campaign to oust the Hindus from Pakistan?

डा० म० मो० दास : मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि हाल के महीनों में प्रवजकों की संख्या 205 प्रतिदिन से घटकर 101 प्रतिदिन रह गई है। सितम्बर में पश्चिम बंगाल में 631 व्यक्ति आये, आसाम में 83 और त्रिपुरा में 181, इस प्रकार कुल, 895 व्यक्ति आये। अक्तूबर में 1100 व्यक्ति आसाम में आये और 436 त्रिपुरा में। इस प्रकार कुल 1536 व्यक्ति आये ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि हाल में 250 परिवार, जिनमें 1200 से अधिक सदस्य थे, पूर्वी पाकिस्तान के गारो पहाड़ी और आसाम में चले गये हैं और उन्होंने श्री बैद्यनाथ मुकर्जी को अपने कष्टों की मर्मस्पर्शी गाथा सुनाई।

डा० म० मो० दास : जी, हां। हमने यह समाचार पढ़ा है और इस बारे में जांच की जा रही है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तानी रेडियो के एक हाल के इस प्रसारण की ओर दिलाया गया है जिसमें लोगों से कहा गया है कि वे काफिरों और अपवित्र व्यक्तियों का दमन करें जैसा कि महमूद ने किया था ? क्या यह सच नहीं है कि इस धमकी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल और आसाम में नये शरणार्थी आये हैं और यदि हां, तो सरकार ने उनका स्वागत करने और उनके पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

डा० म० मो० दास : इस जानकारी के लिये हम माननीय सदस्य का धन्यवाद करते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है और मैं यह नहीं समझ सका कि इसमें मुख्य प्रश्न क्या है।

मैं बता ही चुका हूं कि पिछले दो महीनों में प्रव्रजक के आने की संख्या में कमी हुई है। अतः कोई नये शरणार्थी नहीं आये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री हेम बरुआ : अभी अभी मंत्री महोदय ने बताया कि सितम्बर में आसाम में लगभग 85 शरणार्थी आये, फिर अक्तूबर में यह संख्या 1100 हो गयी। इसमें वृद्धि हुई है। फिर वह यह कैसे कह सकते हैं कि इसमें कमी हुई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पहले यह बताया गया था कि लगभग 800 व्यक्ति आये हैं। और फिर बताया गया कि यह संख्या 1100 है। निष्कर्ष यह निकला कि संख्या में कमी हो गयी है । **(अन्तर्बाधा)**

श्री त्यागी : अगस्त में दैनिक औसत 223 थी ।

अध्यक्ष महोदय : संभा में बताया गया था कि एक महीने के आंकड़े 800 हैं और उसके बाद के महीने के 1100 हैं। प्रश्न यह है कि क्या ये दोनों आंकड़े सही हैं।

श्री त्यागी : ये ठीक हैं। वास्तव में यह औसत 24000 होती थी। मार्च में इनकी कुल संख्या 4293 रही, अप्रेल में 4000, मई में 5000, जून में 8000, जुलाई में 7200, अगस्त में 6200, सितम्बर में 895 और अक्तूबर में 1500।

श्री हेम बरुआ : मैंने भी यही कहा है। इसमें वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। यदि मंत्री महोदय ने पहले के महीनों के आंकड़ों से तुलना की है तो इसमें सितम्बर में कमी हुई है हालांकि अक्तूबर में संख्या में फिर वृद्धि हो गई है । यह बात तो समझ में आती है। लेकिन उन्होंने दो महीनों के आंकड़े बता कर यह कह दिया कि इनमें कमी हुई है। प्रश्न यह था।

श्री त्यागी : ये आंकड़े हर महीने में भिन्न भिन्न रहे । युद्ध के दिनों में औसत बहुत कम हो गयी ।

Compu sor y Primary Education

***276. Shri M. L. Dwivedi :** +
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Parashar :
Shri S. N. Chaturvedi :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether there is any co-ordination between the Central Government and the Delhi Administration in the matter of compulsory primary education in Delhi;

(b) the steps Delhi Administration and the Central Government propose to take to reduce the number of schools working in tents and to construct buildings for them; and

(c) the ratio of Government and private schools in Delhi and whether Government propose to take over the private schools ; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran): (a) to (d). A statement is laid on the table of the Sabha. **[Placed in Library, See No. L. T. 5165/65.]**

Shri M.L. Dwivedi : In the statement it is stated that the number of private Schools in Delhi is 15 per cent and the policy of Government is to encourage good private Schools and not to take over them. I want to know the basis on which it will be proved that private schools are not earning shops but good ones and what steps Government have taken for thier improvement.

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : गैर-सरकारी स्कूलों को आवर्ती व्यय का 95 प्रतिशत दिया जाता है; यह प्रतिशतता स्वीकृत खर्चे पर निकाली जाती है। एक अभ्यावेदन किया गया था कि इसमें वृद्धि की जाये लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि इमारतों और अनावर्ती व्यय के लिये दो-तिहाई या एक लाख रुपया, जो कि कम हो, दिया जाता है। इसकी जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासन की है। शिक्षा मंत्रालय पद्धति के अनुसार वित्तीय सहायता देती है चाहें वह योजना में शामिल योजना हो अथवा योजना के बाहर की योजना हो।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरा प्रश्न यह था कि ये गैर-सरकारी स्कूल अच्छे स्कूल नहीं है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं कि ये स्कूल कमाई करने वाली दुकानें ही नहीं हों बल्कि वास्तव में अच्छे स्कूल हों ?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : दिल्ली प्रशासन से सम्बद्ध एक शिक्षा निदेशालय है। ये इन सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के स्तर और वित्तीय वचनों के बारे में कड़ी निगरानी रख रहें हैं। यदि कभी कोई शिकायत मिलती है तो इस पर ध्यान दिया जाता है और जब आवश्यक होता है कार्यवाही भी की जाती है।

श्री स० चं० सामन्त : विवरण में यह बताया गया है कि "विभिन्न कारणों से यह सम्भव नहीं है कि सभी तम्बुओं वाले स्कूलों को स्थान देने के लिये अपेक्षित गति से स्कूल बनाये जाय।" क्या मैं जान सकता हूं कि वे विभिन्न कारण क्या हैं क्या और भूमि के बारे में केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन के बीच कोई विवाद है ?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : जी, नहीं; केवल एक मामला ऐसा है जिसमें भूमि देनी पड़ी है। दूसरे मामले में इमारत तो है लेकिन इसमें अस्थायी रूप से कालिज चलाया जा रहा है। जैसे ही कालिज स्थानान्तरित हो जाएगा इस इमारत में स्कूल चलाया जायगा। 240 सरकारी हायर सैकन्डरी स्कूलों में से केवल 42 तम्बुओं में हैं। इन 42 में से 12 की इमारतें बन रही हैं। 15 के बारे में इमारतें मंजूर कर दी गयी हैं 8 स्कूलों के इमारतों बनाने का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर जो कदम उठाये गये हैं वे संतोषजनक हैं। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो रही है कि निर्माण कार्यक्रम उसकी गति से मेल नहीं खा सका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तेल का आयात

*272. **श्री कर्णी सिंहजी :**

श्री दलजीत सिंह :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ष तेल के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है;

(ख) हमारी तेल की कुल वार्षिक मांग का कितने प्रतिशत तेल देश में पैदा होता है;

(ग) क्या गुजरात क्षेत्र में, जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वहां पर तेल के सब से अधिक भण्डार हैं जांच पूरी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) 1964 में कच्चे तेल और शोधित उत्पादों के आयात पर खर्च की गई धनराशि लगभग 96 करोड़ रुपये थी ।

(ख) 1964 में उत्पादित कच्चा तेल कुल आवश्यकताओं का लगभग 25 प्रतिशत था और स्थानीय शोधनशालाओं में तैयार किये गये शोधित उत्पाद कुल खपत का 74 प्रतिशत था ।

(ग) और (घ) : गुजरात में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज प्रगति पर है । अब तक किये गये कार्यों से गुजरात से तथा पश्चिमी तट के साथ साथ अतटीय क्षेत्र में कई दिलचस्प संरचनाओं की मालूमात हुई हैं । एक तेल क्षेत्र और एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र की स्थापना हुई है और दूसरे कुछ क्षेत्रों में तेल और गैस का पता लगा है ।

राज्यों के पारस्परिक विवादों को निपटाने के लिए व्यवस्था

*277. **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री मधु लिमये :

श्री बागड़ी :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 8 सितम्बर 1965 को तारांकित प्रश्न संख्या 494 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के पारस्परिक विवादों को निपटाने के लिये सरकारी व्यवस्था बनाने के प्रस्ताव पर अग्रेतर और पूर्ण रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : मामला अभी तक विचाराधीन है ।

फारस की खाड़ी के राज्यों से पैट्रोलियम के उत्पाद

*278. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान समेत फारस की खाड़ी के किसी राज्य द्वारा खनिज तेल, विमान में प्रयुक्त होने वाला तेल (एवियेशन फ्यूल) तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पादों की भारत को सप्लाई बन्द किये जाने का कोई खतरा था;

(ख) यदि हां, तो आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा सप्लाई के विश्वस्त बाह्य साधन बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ग) क्या पाकिस्तान तथा भारत के बीच हुए हाल के युद्ध का ईरान के तट के निकट के क्षेत्रों में तेल की खोज के बारें में ईरान से हुए प्रबन्ध पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ग) : जी नहीं।

(ख) सरकार ने देश के अन्दर तथा विदेश में तेल की खोज के साधनों में वृद्धि की है तथा तेल उत्पादों में आत्म-निर्भरता को प्राप्त करने के लिये शोधन-क्षमता को यथासम्भव बढ़ा रही है।

Merger of Goa, Daman and Diu

*279. **Shri Bagri :** **Shri R. S. Pandey :**
Shri Madhu Limaye : **Shri Rajeshwar Patel :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the decision taken by Government in connection with the merger of Goa with Maharashtra and of Diu and Daman with Gujarat ; and

(b) when this decision is likely to be implemented ?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : (a) No decision has been taken.

(b) Does not arise.

अचल निष्क्रान्त सम्पत्तियां

*281. **श्री हेमराज** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अचल निष्क्रांत सम्पत्तियों की समस्या को सुलझाने के लिये पाकिस्तान के साथ कोई करार हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार की लगातार कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान ने इस प्रश्न के समझौते को टाल दिया है।

रीवा के भूतपूर्व शासकों का धन भारत मंगाना

*282. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री दाजी :**
श्री बृजराज सिंह : **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री गौकरन प्रसाद : **श्री चाण्डक :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री बड़े :**
डा० चन्द्रभान सिंह : **श्री अ० सिं० सहगल :**
श्री वाडीवा : **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**
श्री पाराशर : **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्रीमती मिनीमाता :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय महाराजा गुलाब सिंह द्वारा विदेशी बैंकों में जमा कराये गये धन को भारत मंगाने के सम्बन्ध में रीवा के वर्तमान शासक के साथ कोई समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) धन के कब तक भारत लाये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

एशियाई सरकारों की प्रमुख प्रशासनिक समस्याओं के बारे में एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग का प्रतिवेदन

*284. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**

श्री बृजराज सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक-आयोग का वह प्रतिवेदन मिल गया है जो उसने एशियाई सरकारों की प्रमुख प्रशासनिक समस्याओं के बारे में उस विषय के कार्यकारी विशेषज्ञ दल को आज कल बैंकाक में हो रही मीटिंग में पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) सम्भवत: "एशियाई सरकारों की प्रमुख प्रशासनिक समस्याओं के विशेषज्ञों के दल" के विचारार्थ एशिया तथा दूर पूर्व के लिये आर्थिक-आयोग के सचिवालय द्वारा तैयार किये गए वृत्त-पत्रक की ओर संकेत किया गया है । इस पत्रक की प्रति भारत सरकार को प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली नगर निगम के चुनाव

*285. **श्री शिव चरण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान दिल्ली नगर निगम की कार्यावधि मार्च, 1966 में समाप्त हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह अभ्यावेदन किया गया है कि कार्यावधि 1967 तक बढ़ा दी जाये तथा इसके चुनाव आम-चुनाव के साथ किये जायें; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) वर्तमान आपातकालीन स्थिति को देखते हुए दिल्ली नगर निगम के सभी सदस्यों की कार्यावधि को एक वर्ष के लिये बढ़ाने का निश्चय किया गया है ।

राजस्थान सशस्त्र पुलिस

*286. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के एक दल ने, जिसने हाल में राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में अग्रिम इलाकों का दौरा किया था, सुझाव दिया है कि राजस्थान सशस्त्र पुलिस को सेना का रूप दिया जाये अथवा उसके स्थान पर नियमित सेना रखी जाये और वहां के कुछ लोगों को हथियार दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) सरकार का राजस्थान सशस्त्र पुलिस को सेना का रूप देने या उसके स्थान पर नियमित सेना रखने का कोई इरादा नहीं है। फिर भी राजस्थान की सीमा सुरक्षा शक्ति के, अन्य सीमावर्ती राज्यों के समान ही, केन्द्र द्वारा अपने अधीन ले लिये जाने के बाद उनकी कुशलता की सर्वतोमुखी उन्नति का प्रश्न भी सामने आयेगा।

होम गार्ड योजना के अधीन जो कुछ व्यवस्था है उसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को हथियार देने की कोई योजना नहीं है।

उर्वरक का उत्पादन

*287. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजनावधि के अन्त तक तृतीय योजना का उर्वरक का उत्पादन का लक्ष्य कितना पूरा हो जायेगा तथा कितनी कमी रह जाने की संभावना है;

(ख) इस कमी के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र कहां तक जिम्मेदार है जिसे उर्वरक कारखाने लगाने के लिए लाइसेन्स दिये गये परन्तु कारखाने न लगा सका; और

(ग) चालू योजना अवधि के अन्त तक उर्वरक संयन्त्र मशीनरी के बारे में भारत के कितना आत्म-निर्भर हो जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तीसरी योजना के अन्त-तक नाइट्रोजन के निर्धारित किये गये 800,000 मीटरी टन के लक्ष्य के मुकाबलें में नाइट्रोजनमय उर्वरकों के 320,000 मीटरी टन उत्पादन होने की आशा है।

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यान्विति के लिए स्वीकृत 636,250 मीटरी टन की क्षमता के मुकाबले में तीसरी योजना के अन्त तक केवल 18,250 मीटरी टन की क्षमता स्थापित होगी।

(ग) देश में निम्न दाब भाण्डों, (Low Pressure Vessels) पम्पों और अन्य समरुप सामान्य कार्य सामग्री (Similar Normal Duty Equipment) के निर्माण की क्षमता उपलब्ध है। किन्तु उच्च दाब संपीडकों, (High pressure compressors) तथा पम्पों, मध्य एवं उच्च दाब भांडों तथा वाल्व आदि की काफी सुविधा नहीं है। इन मदों को भी तैयार करने के लिए सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।

एन्टीबायोटिक्स प्राजेक्ट, ऋषिकेश

*288. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 अक्तूबर, 1965 को ऋषिकेश में एन्टीबायोटिक्स प्राजेक्ट के पायलट प्लान्ट का परीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) संयंत्र में नियमित रूप से कब तक उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख) : 31 अक्तूबर, 1965 को पायलट प्लांट चालू किया गया।

(ग) 1966 के मध्य में मुख्य प्लांट के उत्पादन करने की आशा है।

मुख्य मंत्री सम्मेलन

*289. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 8 नवम्बर, 1965 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई;

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये; और

(घ) क्या सभी मुख्य मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य-मंत्रियों तथा गृह-मंत्रियों (यदि स्वयं मुख्य मंत्री ही गृह मंत्री न थे) का एक सम्मेलन 8 नवम्बर 1965 को बुलाया गया था।

(ख) इस में मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा प्रबन्धों, साम्प्रदायिक स्थिति, होम गार्डों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा उन्हें लैस करने और जनशक्ति, ख़ास तौर पर सीमावर्ती इलाकों के लोगों के नागरिक सुरक्षा के लिये उपयोग आदि विषयों पर विचार हुआ।

(ग) सम्मेलन के विचारार्थ प्रस्तुत विषयों से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार किया गया और हमारी योजनाओं में सुधार करने तथा उनको अच्छी तरह लागू करने के लिये किये गए फ़ैसले किये गए।

(घ) आसाम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नागालैण्ड तथा गोआ दमण और दिवु के मुख्य मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। आसाम के मुख्य मंत्री दिल्ली नहीं आ सके क्योंकि उनकी हवाई यात्रा रद्द हो गई। उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने पहले सूचित किया था कि वे सम्मेलन में आयेंगे किन्तु बाद में सूचना मिली कि वे तबियत ख़राब होने के कारण आने में असमर्थ थे।

नागालैण्ड के मुख्य मंत्री, नागालैण्ड में सशस्त्र कार्यवाही के स्थान की तिथि, जो 15 नवम्बर, 1965 को समाप्त होनी थी, बढ़ाने के बारे में बातचीत के ख्याल से आने में असमर्थ थे। आसाम की तरफ़ से श्री फ़ख़रुद्दीन अहमद ने भाग लिया। उड़ीसा के उप मुख्य मंत्री श्री नीलमणि राउत्रा ने भाग लिया जो वहां के गृह-मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की ओर से भी वहां के गृह मंत्री श्री हरगोविंद सिंह ने भाग लिया।

काश्मीर में विदेशी पर्यटक

*290. श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर में आजकल कितने विदेशी पर्यटक हैं तथा वे किन-किन देशों के हैं ;

(ख) क्या ये पर्यटक काश्मीर में तथा विदेशों में भारत-विरोधी प्रचार कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 48 इन विदेशी पर्यटकों की राष्ट्रीयता इस प्रकार है :—

ब्रिटिश	28
मलयेशियाई	8
अमरीकन	3
डेनिश	2
आयरिश	2
डच	1
नेपाली	1
जर्मन	1
दक्षिण अफ्रीकी	1
चीनी	1

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

*291. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 1965 के प्रख्यापन तथा उसका स्थान लेने वाले संशोधन विधेयक से विश्वविद्यालय क्षेत्र में सामान्य स्थिति कायम करने में सहायता मिली है; और

(ख) विश्वविद्यालय के कार्य में सुधार करने के लिये व्यापक विधेयक को जिसके लिए वचन दिया गया था कब पेश किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में एक विधेयक संसद में जल्द से जल्द पेश किया जाएगा जिसमें दीर्घकालिक वैधानिक प्रस्तावों का समावेश होगा।

शिक्षा के लिए धन आवंटन

*292. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री 15 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 636 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1963–64 के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है जिसमें कहा गया है कि तीसरी योजना अवधि में शिक्षा के लिए नियत किया गया धन विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : चालू वर्ष के दौरान सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान देने के लिए विचार कर रही है, जो तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के पहले चार वर्षों में दिए गए अनुदानों के साथ साथ, इस कार्य के नियत किए गए मूल आवंटन से बढ़ जाएगी।

विधायकों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्ध

*293. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद और राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्धों को विनियमित करने वाली प्रारूप संहिता को अन्तिम रूप देने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यह कब तक सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : प्रारुप संहिता अभी तक विचाराधीन है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के तटवर्ती तेल शोधक कारखाने

*294. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 15 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 652 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक तटवर्तीय तेल शोधक कारखाने की पुनरीक्षित उत्पादन प्रणाली के अन्तर्गत बनने वाले अनेक उत्पादों का स्वरूप विवरण तथा मात्रा क्या होगी; और

(ख) इन उत्पादों में से प्रत्येक की देश में वार्षिक मांग कितनी है तथा देश में उपलब्ध साधनों से इस समय प्रत्येक की वार्षिक उपलब्धता क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख) : भारत प्रतिरक्षा नियमावली 1962 के नियम 52 के अन्तर्गत अपेक्षित ब्यौरा "प्रतिबन्धित सूचना" है और नहीं बताया जा सकता।

स्कूलों में हठयोग अभ्यास

*295. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के स्कूलों और कालेजों के व्यायाम शिक्षा पाठ्यक्रम में आसन और प्राणायाम अभ्यास पाठ्यक्रम शामिल किया गया है अथवा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) देश के स्कूलों में 1965–66 शिक्षा वर्ष से लागू किए गए शारिरीक शिक्षा के एक समेकित कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के पाठयविवरण में अन्य बातों के साथ-साथ चुनी हुई योगिक क्रियाएं जैसे आसन आदि भी शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर, शिक्षा प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में एक अनिवार्य पाठ्यचर्या कार्यकलाप है। शारिरीक शिक्षा की पाठ्यचर्या में सातवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक कार्यकलापों में से निम्नलिखित योगिक क्रियाओं को भी एक कार्यकलाप के रूप में शामिल किया गया है :—

श्रेणी VII

1. भुजंग-आसन
2. अर्ध-शलभ-आसन
3. धनुरासन ।
4. हलासन ।
5. पश्चिमोत्तान-आसन ।
6. चक्रासन ।
7. वक्रासन ।
8. उत्कटासन ।
9. योग-मुद्रा ।

आठवीं श्रेणी VIII

10. वृक्षासन ।
11. शलभासन ।
*12. तोलंगुलासन ।
13. अर्ध-मत्स्येन्द्रासन ।
14. वक्रासन ।
15. कुक्कुटासन ।
16. वज्रासन ।

श्रेणी IX

17. सर्वांगासन ।
18. मत्स्यासन ।
**19. उड्डीयन ।
**20. अग्निशर।
**21. उज्जयी ।
22. सुप्रावज्रासन ।

श्रेणी X

23. शीर्षासन ।
*24. मयूरासन ।
**25. कपालभाती ।

नोट:—1. एक तारे से चिन्हित आसन लड़कियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।
2. दो तारों से चिन्हित आसन केवल प्रशिक्षित योगिक अनुदेशक के मार्ग दर्शन में किए जाने चाहिए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बर्मा आयल कम्पनी को पेट्रोल की सप्लाई

*296. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 15 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 656 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयल कारपोरेशन प्रत्येक वर्ष पैट्रोलियम के सभी प्रकार के उत्पादों को कितनी मात्रा में बर्मा आयल कम्पनी को सप्लाई कर रहा है तथा किन शर्तों पर ;

(ख) क्या कुछ और गैर-सरकारी तेल कम्पनियां रूपय में भुगतान वाले देशों से पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिये तैयार हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या तथा किन शर्तों पर; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन कम्पनियों से इस मामले में कोई बातचीत हुई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायन कबिर) : (क) इण्डियन आयल कारपोरेशन अपनी गोहाटी स्थित शोधनशाला से विनिमय आधार पर बर्मा आयल कम्पनी को पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई करती है। हर साल मात्रायें भिन्न होती है। 1964 में इण्डियन आयल कारपोरेशन ने बर्मा आयल कम्पनी को लगभग 58,000 किलोलीटरज़ के विभिन्न उत्पादों की सप्लाई की। सप्लाई एवं विनिमय की शर्तें दोनो पार्टियों के बीच द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत हैं।

(ख) और (ग) : ट्रेड प्लान (Trade plan) के अन्तर्गत विदेशी तेल कम्पनियां अर्थात् बर्मा-शेल, एस्सो और कालटैक्स यूगोस्लाविया से भारत में केवल लुब्रीकेटिंग बेस आयल (Lubricating Base Oils) का आयात करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता

*297. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा तथा गृह-कार्य मंत्रालयों के दो वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा कुछ समय पहले पेश किये गये उस योजना के प्रारूप पर विचार कर लिया गया है जो देश में विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता कम करने के बारे में है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) योजना की ऐसी कोई रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Sale of Houses Constructed for Displaced Persons in Ulhasnagar.

770. Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the houses constructed by the Centre for the displaced persons from Sindh in Ulhasnagar (Maharashtra) are being sold to persons other than the displaced persons ;

(b) whether one of the conditions to purchase these houses is that one-fourth of the value of the houses should be paid in one instalment in the beginning; and

(c) whether a provision for payment in monthly instalments is being made to enable the Harijans to purchase these houses ?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : (a) to (c). Non claimant diplaced persons from West Pakistan in occupation of allotable compensation pool properties were asked to exercise their option for transfer of these properties upto 31-10-59 on payment of initial instlament of 20% of cost and the balance in 7 yearly instalments with interest. No rent from 1-10-55 was to be charged from them. The above date of exercising the option was extended upto 31-1-61 but the allottees had to pay upto date rent and the instalments were to reckon as if the initial payment was made on 1-11-59. Properties for which the above option was not exercised till 31-1-61 were to be disposed of by auction/tender.

2. Most of the Harijan allottees in Ulhasnagar did not exercise the option even after 31-1-61 and asked for concessions of remission of rent and easier instalments. In view of their poor economic condition, the Harijan allottees have as a special case been allowed in February, 1965 to exercise the option of purchase of properties in their occupation on making an initial payment of 25% of the costs and the balance in 3 equal yearly instalments with interest. The arrears of rent upto date are also to be recovered from them in 4 equal yearly instalments alongwith the cost of the tenements.

3. On further representations from the Harijan allottees of Ulhasnagar, it was decided that after the initial payment of 25% of the cost and the 25% of the rent arrears, the next yearly instalment both of rent and cost could be made in equal monthly instalments. The Harijan allottees were also given another month's time to opt for transfer on the above terms in respect of undisposed of properties. Properties in respect of which the above option is not exercised by the Harijan allottees are to be disposed of by auction/tender, and there is no bar to such properties being sold to non displaced persons.

केरल विश्वविद्यालय के अधीन शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान

771. श्री अ० क० गोपालन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान अध्ययन वाक्पीठ के तत्वावधान में केरल में स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं तथा सहुलियतों के बारे में अनुसन्धान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन कार्य के हेतु कितने स्कूलों का दौरा किया गया ;

(ग) उसकी उपपत्तियां क्या है ; और

(घ) किन-किन उपायों का सुझाव दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठा की जा रही है और समय पर सभा-पटल पर रखी दी जायगी ।

केरल में किसानों की बेदखली

772. श्री अ० क० गोपालन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के किसानों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि बकाया लगान के कारण उनके विरुद्ध बेदखली के लिए की जाने वाली कार्रवाई रोक दी जाए;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि केरल के हजारों किसानों को बकाया लगान के कारण बेदखल कर दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) क्योंकि वे किसान जिन्हें बकाया लगान की तीन/छ महीने में अदायगी के लिये कुछ रियायतें दी गई थीं बकाया राशि अदा नहीं कर पाये, इस लिये अदालती कार्यवाही को रोकना जरूरी नहीं समझा गया। फिर भी किसानों को और सहायता देने तथा बकाया लगान को रियायती दरों पर चुकाने की अवधि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) सरकार को इस बारे में कुछ नहीं मालूम।

विटामिन 'ए' के सम्बम्ध मे अनुसन्धान

773. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव शरीर तथा पशुओं पर विटामिन 'ए' के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्था में एक चिकित्साअनुसन्धान परियोजना आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना अमरीका सरकार की सहायता से आरम्भ की गई है; और

(ग) क्या अमरीका सरकार ने परियोजना को चलाने के लिये कोई वित्तीय अनुदान दिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : विटामिन 'ए' मेटाबोलिज्म पर जीव रसायन के विभाग में 1953 में अनुसंधान कार्य आरंभ किया गया था। अब तक केवल प्रयोग शाला पशुओं पर ही कार्य किया गया है।

संस्थान को इस प्रयोजन के लिए 1955 से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की मदद मिल रही है।

अब इसे तीन वर्ष की अवधि के लिए पी एल 480 कार्यक्रम के अधीन एक योजना के रूप में जारी रखने का प्रस्ताव है। कुल अवधि के लिए पी एल 480 योजना के अधीन 2,13,490 रुपये का अनुदान अनुमोदित किया गया है। इस अनुदान के प्राप्त होते ही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् अपनी मदद बंद कर देगी।

विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा

775. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में सामान्य शिक्षा आरम्भ करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इसे उच्च शिक्षा की समस्त संस्थाओं में आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है और इस कार्य के लिये कितनी राशि नियत करने का विचार है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में किसी न किसी रूप में सामान्य शिक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं :

अलीगढ, आन्ध्र, बनारस, बडौदा, गुजरात, जाधवपुर, जोधपुर, केरल, मैसूर, उस्मानिया, पंजाब, पूना, पंजाबी, रवीन्द्र भारती, राजस्थान, रुड़की, एस.एन.डी.टी. विमेन्स, श्री वकटेश्वर, उत्तर प्रदेश कृषि और उत्कल। आगरा, बम्बई, जबलदुर, मराठवाडा, विक्रम और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालयों ने निकट भविष्य में सामान्य शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ करने का फैसला किया है। दिल्ली, जम्मू तथा काश्मीर, कुरुक्षेत्र और नागपुर विश्वविद्यालयों ने अपने अध्ययन कार्यक्रमों में सामान्य शिक्षा आरम्भ करने के बारे में विचार करने के लिय समितियां नियुक्त कर दी हैं। इलाहाबाद, भागलपुर, गोरखपुर, कल्याणी, लखनऊ, मगध, उत्तर बंगाल, पटना, रांची और सागर विश्वविद्यालयों में इस योजना पर विभिन्न प्रक्रमों में विचार किया जा रहा है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये विस्तृत प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रबन्ध-मंडल

776. **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किये गये उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रबन्ध-मण्डलों के सदस्य कौन कौन हैं ;

(ख) क्या प्रबन्ध-मण्डलों के सदस्यों पर वही शर्तें और विशेषाधिकार लागू होते हैं जो अन्य सरकारी कर्मचारियों पर; और

(ग) क्या इन मण्डलों के अधीन चलने वाले स्कूलों के अध्यापक राजनीतिक गति-विधियों में भाग ले सकते है ?

शिक्षा मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन) : (क) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें केन्द्रीय स्कूलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रबंधक समितियों का सामान्य गठन दिया गया है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 5166/65) अपवाद रूप में विभिन्नता की अनुमति दी जाती है।

(ख) क्योंकि प्रबन्धक समितियों के सभी सदस्य अवेतनिक रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू शर्तें और विशेषाधिकारों द्वारा ये शासित नहीं होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

भारत का गजेटियर

777. **श्री राम हरख यादव :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के गजेटियर, खण्ड एक का नया आद्यतन संस्करण प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हां, तो दूसरे खण्ड कब तक प्रकाशित हो जायेंगे ;

(ग) ब्रिटिश शासन काल में प्रकाशित किये गये भारत के गजेटियर के अन्तिम संस्करण के कितने समय बाद वर्तमान संस्करण प्रकाशित किया गया है; और

(घ) वर्तमान संस्करण की क्या विशेषताएं हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) शेष तीन खण्ड तैयार हो रहे हैं और चौथी योजना के दौरान में छपने वाले हैं।

(ग) 58 साल।

(घ) भारत के गजेटियर, भारतीय संघ के चार नये खण्ड इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया (1907-1909) के पहले चार खण्डों के पुनरीक्षण एवं प्रवर्धन (Revision and amplification) होंगे। तथ्य पूर्ण परिवर्तनों के अभिलेखन (Recording) के अतिरिक्त, नया संस्करण एक नया उपागम (approach) है। पूर्व संस्करण मुख्यत: ब्रिटिश शासकों के उपयोग के लिए था जबकि वर्तमान संस्करण सम्पूर्ण जनता के लिए है।

प्रव्रजकों का पुनर्वास

778. **श्री ब० कु० दास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए कितने नये प्रव्रजकों को अब तक दण्डकारण्य से बाहर की भूमि पर बसाया गया है ;

(ख) उन्हें किन-किन राज्यों में बसाया गया है;

(ग) क्या इन राज्यों में और प्रव्रजकों को भूमि पर बसाने का कोई कार्यक्रम है ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए किन-किन अन्य राज्यों में भूमि उपलब्ध की जायेगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) से (ग) : पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये अब तक लगभग 6,000 नये विस्थापित परिवारों को भूमि पर बसाने के लिये दण्डकारण्य से बाहर विभिन्न राज्यों में पुनर्वास स्थानों में भेजा गया है। तैयार किये गये कार्य-क्रम के अनुसार इन राज्यों में और 21,600 परिवारों को 1966-67 के वर्ष के अंत तक भूमि पर बसाने की आशा है।

परिवारों की राज्य-वार संख्या निम्न में दी गई है :—

राज्य का नाम	31-8-65 तक भूमि पर बसाये जाने के लिये पुनर्वास स्थानों पर भेजे गये परिवार	कार्यक्रम के अनुसार 1966-67 के वर्ष के अंत तक भूमिपर बसाने की संभावना
1 नेफा	1,112	2,000
2 मध्य प्रदेश	521	2,000
3 उत्तर प्रदेश	115	2,000
4 महाराष्ट्र	526	1,700
5 बिहार	254	600
6 आसाम	549	9,950
7 आन्ध्र प्रदेश	310	500
8 मनीपुर	175	78
9 त्रिपुरा	2,366	2,800
योग	5,938 या 6,000	21,628 या 21,600

(घ) जिन राज्यों के बारे में कहा गया है इनके अतिरिक्त अन्दमान में कुछ कृषि भूमी उपलब्ध होगी वहां पर पूर्वी पाकिस्तान से आये 500 नये विस्थापित परिवारों को 1966-67 में बसाने की आशा है। इसके अलावा कुछ कृषि भूमि मैसूर तथा उड़ीसा राज्यों में प्राप्त होने की संभावना है।

नजरबन्द व्यक्तियों के परिवार भत्ता सम्बन्धी नियम

779. श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री कोल्ला वेंकैय्या :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री उन नियमों को उदार बनाने से सम्बन्धित, जिनके अन्तर्गत साम्यवादी नज़रबन्द व्यक्तियों को परिवार भत्ता, मुलाकात आदि की सुविधायें दी जाती हैं, 22 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2593 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच इस बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरक्षा (दिल्ली के नजरबन्द) द्वितीय संशोधन नियम, 1965 के अंतर्गत फ़र्नीचर, बर्तनों, बिस्तर, कपड़ों, घर में खेले जाने वाले खेलों, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के बारे में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं और रियायतें दी गई हैं।

कर्मचारियों की संस्थाओं/संघों की मान्यता

780. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बूटा सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री कर्मचारियों की संस्थाओं/संघों को मान्यता प्रदान करने के बारे में जारी की गई हिदायतों के सम्बन्ध में 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 607 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की संस्थाओं/संघों की मान्यता सम्बन्धी हिदायतों के मसौदे को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनको कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य पंच फैसला योजना के सीमित उद्देश्य के लिये संस्थाओं/संघों की मान्यता के लिये हिदायतों का मसौदा इस अनुरोध के साथ मंत्रालयों को भेजा गया था कि वे उसे अधीन उन संस्थाओं/संघों को भेज दें जिनके प्रतिनिधियों से परामर्श आवश्यक समझा जाय। यह प्रश्न अभी विचाराधीन है कि क्या इन हिदायतों को अन्य उद्देश्यों के लिये भी लागू किया जाय।

विज्ञान के शिक्षकों के कमी

781. श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 632 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विज्ञान के शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्थापित चार प्रादेशिक शिक्षा कालेजों में विज्ञान के अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिये जोरदार कार्यक्रम के अन्तर्गत भी भारत सरकार ने स्नातकोत्तर विज्ञान अध्यापकों की कमी दूर करने के लिये स्कूलों में काम कर रहे स्नातक विज्ञान-अध्यापकों के लिय विशष पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकारों को धन दिया है।

विज्ञान के अध्यापकों की संख्या बढाने के लिये विशेष अल्प-कालीन और दीर्घ-कालीन उपायों का सुझाव देने के लिये ब्यौरेवार योजना बनाने के लिये राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में एक विशेषज्ञ समिति बनायी गयी है। इस समिति द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जायगी।

भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग

782. श्री भानु प्रकाश सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री 22 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2654 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग सम्बन्धी समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर इस बीच विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन पर कब तक विचार किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) सिफारिशों की संख्या काफी होने की वजह से निर्णय में कुछ समय लगेगा।

पेनिसिलीन का मूल्य

783. श्री भानु प्रकाश सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 685 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पेनिसिलीन की बिक्री के दामों को कम करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और किस सीमा तक ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) : निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरे होने और उत्पादनमूल्यों के आवश्यक दिक्षा को इकट्ठा करने के बाद बहुल पैनिसीलिन और छोटी शीशी में भरे हुए उत्पादों के मूल्य ढांचे के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

784. श्री भानु प्रकाश सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालयों के लिए उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की कितनी संख्या अलग अलग निश्चित की गई है;

(ख) इनमें से कितने स्थायी हैं तथा कितने अस्थायी ;

(ग) क्या उच्च न्यायालयों का काम बहुत बढ़ गया है ; और

(घ) क्या इन राज्यों के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 स्थायी तथा 6 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 24 स्थायी और 15 अतिरिक्त न्यायाधीश है।

(ग) दोनों उच्च न्यायालयों के काम में बढ़ौतरी हुई है।

(घ) अतिरिक्त न्यायाधीशों के तीन-तीन पद दोनों न्यायालयों के लिये और स्वीकृत करके इन दोनों उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या अभी हाल ही में बढ़ाई गई है। स्थिति का समय-समय पर पुनर्वलोकन किया जाता है।

बेतूल (मध्य प्रदेश) में चीनी का कारखाना

785. श्री भानु प्रकाश सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **पुनर्वास** मंत्री बेतूल मे चीनी के कारखाने से सम्बन्धित 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय में अब तक कितनी प्रगति हुई हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 680 दिनांक 25 अगस्त, 1965 के उत्तर में बताया गया था, चीनी का कारखाना लगाने की परियोजना ईख की खेती के प्रश्न के साथ सम्बद्ध की गई है जिसके लिये सिंचाई सुविधायें आवश्यक हैं। चीनी के कारखाने के लिये प्रस्तावित स्थान के पास तावा नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है और सिंचाई सुविधायें पहुंचाने के लिये उस बांध से एक नहर निकालने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है। नदी के ऊपर बांध के स्थान पर एक जलाशय बनाने का भी राज्य सरकार का प्रस्ताव है ताकि स्थायी सिंचाई सुविधायें दी जा सके।

हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्ज लिमिटेड

786. श्री सुबोध हंसदा : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक तथा रसायन कारखाने के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर दिये जाने के कारण अलवाय स्थित हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्ज बन्द हो गया था और वहां पर काम बिल्कुल बन्द हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो कितने समय तक उत्पादन नहीं हुआ था तथा प्रति दिन कितना नुकसान हुआ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० वी० अलगेसन) : (क) और (ख) : फर्टीलाइज़रज़ एण्ड केमीकल्ज़ ट्रावनकोर लि० के कारखाने में हड़ताल के कारण 24 अगस्त से 7 सितम्बर 1965 की अवधि में वे अलवायस्थित डी०डी०टी० (DDT) कारखाने को मुख्य कच्चे माल और सेवाओं की सप्लाई नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन 14,700 रुपये के मूल्य की तीन मीटरी टन तकनीकी डी०डी०टी० के उत्पादन में हानि हुई। इस अवधि में प्लांट की देखभाल और मरम्मत का कार्य किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकार संबंधी राष्ट्रीय समिति

787. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने सरकार से सिफारिश की थी कि शुद्ध तथा व्यावहारिक रसायनशास्त्र के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहकार सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति स्थापित की जाये ;

(ख) क्या सरकार ने यह समिति कर स्थापित दी है तथा क्या इसने अपना काम आरम्भ कर दिया है; और

(ग) समिति के कार्य-संचालन की क्या योजना है तथा उसके कार्यकलाप का क्षेत्र क्या है तथा इस समिति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को क्या व्यावहारिक स्वरूप दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) शुद्ध तथा व्यावहारिक रसायनशास्त्र की अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति के निम्नलिखित कार्य हैं :-

(1) रसायनशास्त्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना; और

(2) शुद्ध तथा व्यावहारिक रसायनशास्त्र की अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन और रसायनशास्त्र की उन्नति से संबंधित अन्य संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना तथा रसायनशास्त्र के किसी भी पहलू जैसे शुद्ध व्यावहारिक अथवा शैक्षिक विकास में सहायक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकलापों का सामान्य तौर पर समर्थन और सहायता ।

इनके कार्यों से संबंधित किसी मामले के उठने पर, राष्ट्रीय समिति का गठन इस मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

गृह-कार्य मंत्री की मिजो नेताओं से मुलाकत

788. श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री सिद्देश्वर प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो नेताओं के एक प्रतिनिधि मण्डल ने हाल ही में उन से मुलाकात की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन मुख्य विषयों पर बातचीत हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) बातचीत का विषय भारतीय संघ के अन्तर्गत एक पृथक मिज़ोराम राज्य का निर्माण था ।

Conference of International Council on Postal Education

789. Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the recommendations made by the Indian representative at the Seventh Conference of the International Council on Postal Education held at Stockholm under the auspices of the UNESCO;

(b) whether a copy of the report will be laid on the Table;

(c) the reaction of Government to the recommendation regarding the increase in the number of Evening Colleges and part-time classes and to popularise postal education ; and

(d) the details of the Scheme formulated by Government in the matter ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla). : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

United Nations Arts Fair

790. Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether India also took part in the United Nations Arts Fair ;

(b) if so, the articles exhibited therein ; and

(c) the names of the Indian artists who participated in the Fair and the total expenditure incurred by India in that Fair ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

पूर्वयोजित शिक्षा (प्रोग्राम्ड इन्स्ट्रक्शन्स)

791. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने पूर्वयोजित शिक्षा (प्रोग्राम्ड इन्स्ट्रक्शन्स) सम्बन्धी पाठ्यक्रम आयोजित किया है ;

(ख) अध्यापन के इस नये तरीके के द्वारा अध्यापकों की कमी की समस्या को किस प्रकार दूर करने में सहायता मिलती है ;

(ग) यह नई प्रणाली विद्यार्थी को किस प्रकार शिक्षा में सक्रिय रूप से रुचि लेने में सहायता देती है ;

(घ) औपचारिक कक्षा की शिक्षा में इस नये तरीके का प्रयोग कहां तक लाभदायक सिद्ध हो सकता है; और

(ङ) शिक्षा के इस तरीके को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) पूर्वयोजित शिक्षा से अध्यापकों की कमी की समस्या का समाधान नहीं होता लेकिन यह कई स्थितियों में जैसे प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, बड़े पढाई के कमरे, धीरे धीरे सीखने आदि में सहायक होती है ।

(ग) यह पद्धति एक दिये गये विषय के क्रमिक विकास के जरीये स्वयं सीखने पर आधारीत है ।

(घ) और (ङ) : राष्ट्रीय परिषद ने इस बात का पता लगाने के लिये एक परियोजना बनाई है कि पूर्वयोजित शिक्षा भारतीय परिस्थितियों में कहां तक लाभप्रद हो सकती है । जांच-पड़ताल के परिणाम के आधार पर इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

इन्द्रावती तथा साबरी नदी-क्षेत्र (बेसिन) का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण

792. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री पाराशर :
श्री चांडक :
श्री वाडीवा :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री दाजी :
श्री राम सहाय तिवारी :
श्री बड़े :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री अ० सिं सहगल :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्द्रावती तथा साबरी नदी-क्षेत्रों (बेसिनों) का प्रौद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण करने के बारे में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : इन्द्रावती तथा साबरी नदी क्षेत्र (बेसिन) का प्रौद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिये जो टीम बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। टीम की सिफारिशों पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

गोहाटी-सिलीगुड़ी पाइप लाइन

793. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौहाटी से सिलीगुड़ी तक अशोधित तेल की पाइप लाइन के साथ-साथ भारतीय तेल निगम के उत्पादों की पाइप लाइन डाली जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन के द्वारा कौन से उत्पाद ले जाये जायेंगे ; और

(ग) यह कब तक तैयार हो जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) से (ग) : अक्तूबर, 1964 से मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीज़ल (High Speed Diesel), मिट्टी का तेल और आयोमैक्स (Iomex) के परिवहन के लिए पाइप लाइन चालू है।

दिल्ली में दूसरी भाषा के रूप में पंजाबी भाषा

794. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राजनीतिक दलों ने सरकार से प्रार्थना की है कि पंजाबी भाषा को दिल्ली की दूसरी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) सरकार का राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 347 के अंतर्गत इस विषय में अनुदेश जारी करने की सलाह देने का कोई विचार नहीं है।

चित्रों का गुम हो जाना

795. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री दीनन भट्टाचार्य :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भारतीय संग्रहालयों से इकट्ठे किए गए 120 अमूल्य चित्र तथा मूर्तियां, जो पहले 1963 में जापान में आयोजित प्रदर्शनी में भेजे गये थे तथा उसके बाद अमरीका में हुई एक प्रदर्शनी में भेजे गय थ, आस्ट्रेलिया के बम्बाला जहाज में नहीं मिले, जब 7 अक्तूबर, 1965 को उस जहाज के कलकत्ता पहुंचने पर कलकत्ता के सीमा शुल्क अधिकारियों ने उनकी तलाश की थी ;

(ख) क्या जहाज कलकत्ता आते हुए 13 सितम्बर, 1965 को पूर्वी पाकिस्तान के चिटागांग बन्दरगाह पर रुका था ;

(ग) क्या पाकिस्तानी अधिकारियों ने चिटागांग में इन अमूल्य चित्रों तथा मूर्तियों को उतार लिया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अमरीका में प्रदर्शनी के बाद 118 चित्र 7 अक्तूबर, 1965 को कलकत्ता में पहुंचे बम्बाला जहाज में ठीक थे ।

(ख) और (ग) : चिटागांग को जो जहाज गया वह 'एस०एस०बहादुर' था । यह समझा जाता है कि वह जहाज वहां रोक लिया गया था और एक बार तो यह खबर मिली थी कि प्रेषण उतार लिया गया है ।

(घ) कूटनीतिक और वाणिज्यिक दोनों स्तरों पर प्रेषण छुडाने के लिये प्रयत्न किये गये । एस० एस० 'बहादुर' को छोड दिया गया और वह प्रेषण लेकर पेनांग चला गया; पेनांग में यह प्रेषण एस० एस० 'बम्बाला' में लादा गया, जो इसको कलकत्ता लाया ।

Ban on Listening to Pak Radio

796. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yashpal Singh : **Shri Kapur Singh :**
Shri Praksh Vir Shastri : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have banned the listening of Pakistan Radio after the recent Indo-Pak fighting ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). No, Sir. However, persons relaying the Pakistan Radio broadcasts in public contravene the provisions of rule 42 of the Defence of India Rules. In view of action taken by State Governments under this rule, no further action was considered necessary.

Secret Tunnel in New Delhi

797. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some mysterious articles in large quantity had been seized in a cave inside an old monument situated in Ramkrishnapuram, New Delhi ;

(b) whether the articles are of Indian make or of foreign make; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Delhi Police discovered some articles valued at about Rs. 1300 and later identified as stolen property from a cave in Sector No. 5, Ramakrishnapuram, on 25-9-65.

(b) They were of Indian make.

(c) Despite efforts made, the police have not so far been able to detect the persons who may have hidden the stolen property in the cave. A careful watch is being kept.

ज्वालामुखी में खुदाई (ड्रिलिंग)

798. श्री हेमराज : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वालामुखी (पंजाब) में खुदाई कार्य (ड्रिलिंग) पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो अब तक क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) अब तक किये गये परीक्षण के परिणामों ने प्राकृतिक गैस के व्यापारिक संचयों की विद्यमानता की पुष्टि नहीं की है।

केरल वक्फ बोर्ड

799. श्री मोहम्मद कोया : (क) क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केरल वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य है;

(ग) क्या बोर्ड में उलेमाओं के किसी प्रतिनिधि को भी लिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख) : जी हां। सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. श्री सैयद उस्मान
2. श्री टी० एम० हस्सन रावथर
3. श्री ए० आर० सुलेमान सैत
4. श्री हाजी इसा हाजी अबदुल सथर सैत

5. श्री अबदुल मजीद मरीकर
6. श्री वी० पी० पी० मोहम्मद कुनही
7. श्री कुनही कोया (पालट)
8. श्री टी० एम० अब्दुल्ला
9. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया
10. श्री पी० के० मोयदीन कुट्टी
11. श्री टी० ओ० बावा ।

(ग) और (घ) : नये निर्मित वक्फ बोर्ड में उलेमा का कोई प्रतिनिधि नहीं है क्यों कि वक्फ एक्ट के अन्तर्गत एसा प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। इन में से एक सदस्य श्री टी० एम० अबद्ल्ला, मुस्लिम कानुन में दक्ष (well versed) है।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षक

800. श्री दाजी :

श्रीमती बिमला देवी :

क्या शिक्षा मंत्री 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 683 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1-4-1966 से राष्ट्रीय अनुशासन योजना के सब शिक्षकों का दिल्ली प्रशासन में स्थानान्तरण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके स्थानान्तरण के बाद उनकी वरिष्ठता तथा वेतन-वृद्धि पर कुप्रभाव न पड़े, क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सीनियर प्रशिक्षक ग्रेड I के अलावा सभी राष्ट्रीय अनुशासन योजना (अब राष्ट्रीय कुशलता कौर कहलाती है) प्रशिक्षकों को विभिन्न राज्य सरकारों को, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, हस्तांतरित करने का विचार है।

(ख) यह विषय अभी विचाराधीन है।

नत्रा, पश्चिम बंगाल में छिद्रण (ड्रिलिंग) कार्य

801. श्री हेडा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 8 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1742 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में नेत्रा के समीप खोदे गये पहले कुएं की प्रगति क्या है ; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) अभी व्यधन-कार्य शुरू नहीं हुआ है। व्यधन स्थल पर रिग (rig) के लिये नीव का निर्माण कार्य और उक्त स्थल के लिये उप-मार्ग का कार्य भी प्रगति पर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शेख अब्दुल्ला के साथ श्री जय प्रकाश नारायण के दूतों की मुलाकात

802. **श्री दे० द० पुरी :**

श्री कोल्ला वेंकेय्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन दो दूतों ने जिन्होंने 5 और 6 अक्तुबर, 1965 को, श्री जय प्रकाश नारायण की ओर से शेख अब्दुल्ला से मुलाकात की थी, सरकार की अनुमति ले ली थी,

(ख) यदि हां, तो उस मुलाकात का क्या उद्देश्य था ; और

(ग) शेख के साथ हुई उस बातचीत का क्या परिणाम निकला?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : सर्वसेवा संघ के महामंत्री श्री राधाकृष्ण ने अपनी तथा शांति सेवा मण्डल के मंत्री श्री नारायण देसाई की ओर से कोडाईकनाल में शेख अब्दुल्ला के साथ पाक अधिकृत काश्मीर से घुसपैठ के फलस्वरूप भारत पर थोपे गए भारत-पाकिस्तानी संघर्ष पर उनके विचारों पर बातचीत करने के लिये सरकार की अनुमति मांगी थी । जहां तक सरकार का संबंध है इस मुलाकात का कोई परिणाम नहीं निकला ।

दिल्ली में होम गार्ड

804. **श्री शिव चरण गुप्त** क्या **गृह कार्य** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिये कितना होमगार्ड बल मंजूर है;

(ख) 31 मार्च, 1963; 31 मार्च, 1964; 31 मार्च, 1965 तथा 31 जुलाई, 1965 को क्रमश: होमगार्ड बल की संख्या क्या थी ;

(ग) इस समय होमगार्ड बल की संख्या क्या है; और

(घ) होमगार्ड को नागरिक सुरक्षा तथा शान्ति और व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न प्रयोजनों के लिये कार्यकारी बल का रूप देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 11,000 ।

(ख) (i) 3,153
(ii) 6,120
(iii) 7,601
(iv) 7,699

(ग) 9,047 ।

(घ) होमगार्डों को सहायता कार्यों प्राथमिक उपचार, अग्नि शमन तथा नियंत्रण-कक्षों में काम करने जैसे नागरिक सुरक्षा कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

दिल्ली में किंग्जवे का पुनर्विकास

805. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में गुड़ की मंडी में क्वार्टर बनाने तथा किंग्ज़वे बस्ती का पुनर्विकास करने की योजनाओं के लिये धन देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) इन योजनाओं के लिये सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कुल कितना धन देना स्वीकार किया है ;

(ग) अब तक कितना धन दिया गया है और 1965-66 में कितना धन दिया जायेगा; और

(घ) इन योजनाओं की वर्तमान प्रगति क्या है, और कब तक इनके पूरा हो जाने की संभावना है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी, हां।

(ख) (1) गुड़ की मंडी 16.55 लाख रुपये।

(2) किंग्जवे बस्ती का पुनर्विकास 190.23 लाख रुपये।

(ग)	गुड़ की मंडी	किंग्जवे बस्ती का पुनर्विकास
पहले दी गई धन राशि-1964-65 तक भुगतान)	7.00	36.37 लाख रुपये।
बजट प्राक्कलन 1965-66 में की गई राशि की व्यवस्था	4.00	20.00 लाख रुपये

गुड की मडी : 170 क्वार्टर बनाये जाने का प्रस्ताव है, इसमें से 93 क्वार्टरों के बारे में निगम ने कार्य आरंभ कर दिया है। इन क्वार्टरों का बहुत सा कार्य पूर्ण हो चुका है और चालू वित्तीय वर्ष में इन के कार्य को समाप्त करने की संभावना है। बाकी 77 क्वार्टरों के बारे में भूमि के सम्बन्ध में झगडा उत्पन्न होने के कारण निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका। मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है इस लिये इनके बनाये जानेके बारे में कोई निश्चित समय नहीं दिया जा सकता।

किंग्जवे बस्ती : योजना की प्रथम अवस्था में 700 क्वार्टर बनाने के लिए निगम ने 34 एकड भूमि अर्जित की है और दूसरी अवस्था में प्लाटों के विकास के लिये 139 एकड भूमि की व्यवस्था है। 700 क्वार्टर जो बनाये जाने है उनमें से निगम 468 क्वार्टरों को बनाना आरंभ कर दिया है और इनके सम्बन्ध में अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। 1966 के अंत तक शेष 232 क्वार्टरो के कार्य के पूर्ण होने की संभावना है। 139 एकड भूमि में प्लाटों के विकास का कार्य अभी निगम ने नहीं लिया है क्योंकि इसे अभी कुछ समय लगेगा प्रथम तथा द्वीतीय अवस्था का कार्य पूर्ण होने पर ही योजना की तृतीय अवस्था में वर्तमान औटरम तथा हडसद लाइनज़ के पुनर्विकास का कार्य आरंभ किया जायेगा। वर्तमान अनुमान के आधार पर सारी योजना के कार्य की चार/पांच वर्षों में पूर्ण होने की आशा है।

Contribution by Central Ministers to N.D.F.

806. Shri Hukum Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of money contributed by the Central Ministers and Deputy Ministers to the National Defence Fund upto the 1st November, 1965; and

(b) the nature of deductions for which they have volunteered apart from the said contributions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

उड़ीसा के तटीय जिलों में तेल

807. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर-अक्तूबर, 1965 में तेल की खोज करने वाले विशेषज्ञों को उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में तेल की संभाव्यताओं की जांच करने के लिये भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, हां । अक्तूबर, 1965 से एक गुरूत्व-चुम्बकीय दल (Gravity Magnetic Party) उड़ीसा के कटक भद्रपूर क्षेत्र में कार्य कर रही है ।

(ख) जी नहीं । ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती है ।

Pak Infiltration in Bihar

808. Shri Yogendra Jha : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the large-scale infiltration of Pakistani nationals in the Purnea district of Bihar ;

(b) whether Government are aware that Pakistani agents in Purnea District are in illegal possession of a wireless transmitter which is being used by them to transmit secret information to Pakistan ; and

(c) the steps taken to stop such infilteration of Pakistanis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) and (c). There is no evidence of any organised infiltration of Pakistani nationals in Bihar, which has no common border with East Pakistan. A close watch is, however, being kept by the State Police to prevent any possible infiltration of Pakistani nationals across the West Bengal border.

(b) Government are not aware of the existence of any such transmitter.

उत्तर प्रदेश में पोलिटेकनीक

809. **श्री कृ० चं० पन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश के पर्वतीय तथा सीमावर्ती जिलों में कितने पोलिटेकनीक हैं ;

(ख) क्या वहां बड़े पैमाने पर विद्यमान बेरोज़गारी को देखते हुए सरकार उस क्षेत्र में कुछ और पोलिटेकनीक खोलने का विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो कितने और किन स्थानों पर पोलिटेकनीक खोले जायगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) एक (नैनीताल में) ।

(ख) और (ग) : श्रीनगर में अगले वर्ष एक और खोला जायेगा (गढ़वाल) ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Adult Literacy

810. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the extent of progress made so far in each State as regards adult literacy ;

(b) the nature of contribution by the Centre in this regard ; and

(c) when it would be possible to eradicate illiteracy in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramchandran) : (a) The State-wise progress achieved by 1961 (the Census year) is given in the attached statement [**Placed in Library. See No. LT 5167(i)/65.**]. These are the latest figures available.

(b) and (c). The information is given in the attached statement. [**Placed in Library. See No. LT 5167/(ii)/65.**] No such target has been fixed so far. Efforts to eradicate illiteracy are proposed to be intensified in the Fourth Plan so that the progress is more rapid than hithertofore.

Central Advisory Board of Education

811. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Basappa :
Shri Yogendra Jha :
Shri T. Ram :
Shri Himatsingka :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri M. Malaichami :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently a meeting of the Central Advisory Board of Education was held at Chandigarh ; and

(b) if so, the main subjects discussed and the decisions taken thereat ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir, on the 28th and 29th October, 1965.

(b) A statement is enclosed.

Statement

The Board discussed the following important subjects :

I. *Subjects pertaining to School Education* :

1. Promotion of Science Education.
2. Introduction of diversified courses.
3. Basic Education.
4. Social Studies.
5. Extension Services Project for Primary Teachers Training Schools.
6. Improvement of condition of Service of Teachers in the 4th Plan.

II. *Subjects pertaining to Higher Education :*

1. Report of the Committee on Model Act for Universities.
2. Promotion of Higher Education through (i) Evening Colleges and (ii) Correspondence Courses.

3. Tentative proposals for Higher Education in the Fourth Five Year Plan.
4. Implementation and development of the programme of education in international understanding.
5. Problems created by the increasing rush of students for admission to colleges.

III. *Subjects pertaining to Social Education :*

1. Objectives and targets proposed for Social Education for the Fourth Plan.
2. Programme of Gram Shikshan Mohim.

IV. General features of the IV Plan of Educational Development and re-orientation of educational policies and plans in view of present emergency.

V. *Other items :*

1. Scheme of National Scholarships.
2. Training of instructors for the Integrated Programme of Physical Education.

The recommendations of the Board are being finalised.

डिग्री कालिजों के लिये मंजूर किये गये अनुदान

812. **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में डिग्री कालेजों के लिये विज्ञान की शिक्षा के प्रसार तथा उन्नति के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक कितनी धनराशि के अनावर्तक अनुदान मंजूर किये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाक्रम सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सार्वजनिक (पब्लिक) पुस्तकालय

813. **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सार्वजनिक (पब्लिक) पुस्तकालयों को किस आधार पर आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान देती है ; और

(ख) वर्ष 1964–65 में सरकार ने राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार सार्वजनिक पुस्तकालयों को आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदानों की कितनी राशि मंजूर की है और पुस्तकालयों की सूची क्या है ।

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5168/65।]

नेफा (उपूसी) का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

814. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 18 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 171 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) सर्वेक्षण अभी तक चल रहा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

कोरबा में उर्वरक कारखाना

815. **श्री वाडीवा :**
श्री राम सहाय तिवारी :
श्री चांडक :
श्री पाराशर :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दाजी :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री बड़े :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा सुझाव दिया था कि कोयले पर आधारित उर्वरक की उत्पादन-लागत लाभप्रद हो सकती है यदि कारखाना कोरबा के समीप हर्षदेव नदी के पश्चिम तट पर लगाया जाये;

(ख) क्या उस सुझाव पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) कोयले पर आधारित संयन्त्र के अर्थ-व्यवस्था की जांच की गई । पिछले कुछ सालों में नेफ्था के नई तकनीकि के विकास को दृष्टि में रखते हुए यह उचित नहीं समझा गया कि उत्पादन के उच्च लागत के अप्रचलित (out dated) तकनीकी पर आधारित एक यूनिट की अर्थ-व्यवस्था पर बोझ डाला गाए । क्योंकि इसकी एक नेफ्था आधारित संयन्त्र से अनुकुल रूप में तुलना नहीं होती थी, योजना आयोग की सलाह से परियोजना को स्थगित करने का निर्णय किया गया । इस के अतिरिक्त सहायता देने वाली संस्थाओं से इस परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा के प्राप्ति की सम्भावनाएं आशाजनक नहीं हैं ।

राजस्थान में उर्वरक कारखाना

816. **श्री इन्द्रजी लाल मल्होत्रा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजस्थान में कोटा में दो उर्वरक कारखाने स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) दूसरे कारखाने की मंजूरी कब दी गई थी और जब एक कारखाने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी थी तो दूसरे कारखाने की मंजूरी देने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ओ० वी० अलगेशन) : (क) और (ख) : कोटा में उर्वरक उत्पादन के लिए अब तक केवल एक लाइसेन्स दिया गया है । यह लाइसेन्स मैसर्ज़ राजस्थान फर्टलाइज़रज़ तथा केमीकल कारपोरेशन लि० को एक लाख मीटरी टन नाइट्रोजन की क्षमता से युक्त एक उर्वरक कारखाने के लिए है । पी० वी० सी० (PVC) कारखाने में उर्वरक

को गौण उत्पादन के रूप में विस्तार के लिए एक आशय पत्र भी जारी किया गया है। 25 जून 1965 को यह आशय पत्र दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्ज़ कम्पनी लि० को अपने वर्तमान यूनिट अर्थात मैसर्ज़ राजस्थान वाइनिल एण्ड केमीकल इण्डस्ट्रीज़ लि० को प्रति वर्ष 20,000 मीटरी टन तक पी० वी० सी० को तैयार करने और पी० वी० सी० निर्माण के गौण उत्पादन से यूरिया की शकल में नाइट्रोजन प्रति वर्ष 55,000 मीटरी टन की क्षमता को बढ़ाने के लिए था। ये सब नेफथा के कुल वार्षिक सप्लाई 80,000 मीटरी टन के अन्तर्गत है। आशय पत्र में अभी इतनी पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है कि इसे नियमित लाइसेन्स के ऊपर में बदला जा सके ।

इंजीनियरी की शिक्षा

817. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी की शिक्षा को 'समवर्ती' विषय बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या शिक्षा आयोग के तकनीकी शिक्षा के कृतिक बल (टास्क फोर्स) ने भी इसकी सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इंजीनियरी की शिक्षा को 'समवर्ती' विषय बनाने का कोई पृथक और विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । तथापि, मेरे मंत्रालय द्वारा स्थापित संसद, सदस्यों की एक समिति ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा को, जिसमें इंजिनियरी की शिक्षा भी शामिल है, 'समवर्ती' विषय बनाया जाये इस सिफारिश पर राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किये जा रहे हैं ।

(ख) तकनीकी शिक्षा के कृतक बल ने अभी शिक्षा आयोग को अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

(ग) इस समय यह प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तानी अन्सारों की गिरफ्तारी

818. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के 11 अन्सार एक नाव के द्वारा आसाम भेजे गये थे और उनमें से एक अन्सार धुबरी में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या ये अन्सार वे लोग हैं जिन्हें अवैध रूप से घुस आने के कारण आसाम से निकाला गया था; और

(ग) क्या अन्य अन्सारों को गिरफ्तार किया गया है अथवा नहीं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होती ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दण्डकारण्य में कपड़ा मिल

819. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार देने के लिए दण्डकारण्य में एक कपड़ा मिल स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा; और

(ग) इसमें उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी, हां, पुनर्वास उद्योग निगम ऐजेन्सी द्वारा जगदालपुर में एक कपड़ा मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) 900 से 1,000 तक ।

(ग) 1967 के मध्य तक ।

जीवाणु सृजन सम्बन्धी अनुसन्धान

820. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विशेषत: इलाहाबाद तथा नैनीताल में, निर्जीव अथवा अचेतन पदार्थों से जीवाणुओं का सृजन करने की संभाव्यता के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य किया गया है अथवा किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ है कि प्रोफेसर ओ० एन० पर्ती और श्री एच० डी० पाठक ने नैनीताल में, और डा० कृष्णा बहादुर और उनकी पत्नी डा० एस० रंगानायकी ने इलाहाबाद में, अपने अनुसंधान कर्त्ताओं की सहायता से फोटो-केमिकल प्रक्रिया से सेल माप (0·5 से 2·5 माइक्रान्स) के यूनिट तैयार किये हैं जिनमें वृद्धि, पुन: जनन और उपापचय-क्रिया के जैव लक्षण पाये गये थे ।

हमें इस बारे में कुछ नहीं पता कि वैज्ञानिकों उनके दावों को स्वीकार किया है अथवा नहीं ।

National Book Trust

821. Shri Bade : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of those books which are lying unsold with the National Book Trust and the languages in which they are written;

(b) the respective years in which the books referred to in part(a) above were released;

(c) the difference between the cost and sale price of those books; and

(d) the future business prospects for the sale of these books referred to in part (a) above ?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). The information has been collected, and is being tabulated. It will be laid on the Table of House, as soon as it is ready.

Expenditure of National Book Trust

822. Shri Bade : Will the Minister of **Education** be pleased to state the expenditure incurred by the National Book Trust during 1963-64 and 1964-65 separately on :

(i) Pay;

(ii) Travelling allowances;

(iii) Rent, electric charges, and miscellaneous items ; and

(iv) Publications?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):

	1963-64 Rs.	1964-65 Rs.
(i)	1,03,480·30 P.	1,05,361·31 P.
(ii)	19,241·49 P.	13,373·20 P.
(iii)	32,260·59 P.	62,298·87 P.
(iv)	32,521·68 P.	43,792·27 P.

National Book Trust

823. Shri Bade : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of the books released by the National Book Trust during the period from the 1st January, 1963 to 31st October, 1965 as also the languages in which those books were written ;

(b) the total number of books among those referred to in part (a) above, which were got printed as also the amount of expenditure incurred on each book after taking into account all the incidental charges ; and

(c) the number of books among those referred to in part (a) above which were distributed free and of those sold ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) to (c). The information has been collected, and is being tabulated. It will be laid on the Table of the House, as soon as it is ready.

उड़ीसा उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

824. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 1965 को उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक, में कितने मामले लम्बित थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

825. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965–66 में उड़ीसा में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की अब तक कुल कितनी खपत हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : जनवरी 1965 से अगस्त 1965 की अवधि में उड़ीसा में कुल 1.25 लाख मीटरी टन पेट्रोलियम उत्पादों की खपत हुई ।

पुनर्वास उद्योग निगम

826. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 1965 को उन विविध औद्योगिक सार्थों की ओर कितनी राशि बकाया थी जिन्हें पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा ऋण दिया गया था ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : एक विवरण जिसमें 15–10–65 तक के बकाया का ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5169/65।]**

उड़ीसा में पुलिस आवास योजना

827. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में अब तक उड़ीसा में पुलिस आवास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार के लिये कोई धन राशि मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) 4.69 लाख रुपये ।

सहायक पदालि परीक्षा, 1963

828. **श्री बूटा सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1963 में हुई सहायक पदालि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी प्रत्याशियों को अभी तक नियुक्ति की पेशकश नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रत्याशियों की संख्या कितनी है तथा उन्हें रोजगार न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें रोजगार देने में कितना समय लगेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

तेल वाले क्षेत्र

829. **श्री मलाइछामी :** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो स्थानों पर तेल वाले क्षेत्र पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों से पेट्रोलियम उत्पाद निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) पूर्वोत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तेल वाली संरचनाएं पाई गई हैं ।

(ख) इन में से कुछ संरचनाओं से तेल उत्पादित किया जा रहा है और अन्य संरचनाओं के विकास के लिए व्यधन कार्य जारी है ।

गुजरात में गैस का मूल्य

830. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गैस के मूल्य के सम्बन्ध में मध्यस्थ द्वारा पंचाट दिये जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या मध्यस्थ ने और समय की मांग की है ; और

(ग) पंचाट कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख) : हम ने मध्यस्थ को यथा-शीघ्र पंचाट देने के लिये कहा था पर क्योंकि मामला जटिल है और वह आजकल विदेश में हैं, अतः कोई विशेष तिथि नहीं बताई जा सकती ।

(ख) जी नहीं ।

समाज सेवा शिबिर

831. श्री दे० जी० नायक : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों द्वारा प्रायोजित समाज सेवा शिबिर योजना का कोई मूल्यांकन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। श्रम और समाज सेवा शिबिर योजनाओं विश्वविद्यालयों द्वारा चालू किए गए समेत, का पूर्वानुमान 1962 में श्री अशोक मेहता के सभापतित्व में मूल्यांकन दल ने किया था तथा डा० हृदय नाथ कुंजरू के सभापतित्व में 1959 में नियुक्त समिति ने भी किया था जिसने अपना प्रतिवेदन 1963 में पेश किया था ।

(ख) मूल्यांकन दल तथा कुंजरू समिति की उपपत्तियां तथा सिफारिशें उनके द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदन में है जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं ।

बच्चों के थियेटर सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी

832. श्री राम हरख यादव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में हुई बच्चों के थियेटर सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस गोष्ठी की सिफारिशों से अलग देश में आदर्श बाल थियेटर बनाने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस समय ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

आज के विश्व में श्री नेहरू का योगदान

833. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज के विश्व में श्री नेहरू के योगदान के सम्बन्ध में 'यूनेस्को' द्वारा सांस्कृतिक नेताओं की एक गोल मेज़ कांफ्रेंस आयोजित करने में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां तो कहां पर कांफ्रेंस करने का विचार है; और

(ग) इस सम्मेलन में भारत क्या योगदान देगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जैसी योजना बनाई गई थी मार्च 1966 में गोल मेज कांफ्रेंस हुई थी । भाग लेने वाले सदस्यों की सूची अभी अन्तिम रूप से नहीं बनाई गई है ।

(ख) और (ग) यूनेस्को ने गोल मेज का आयोजन किया था तथा वही संस्था भाग लेने वालों को आमंत्रण पत्र भेजेगी । भारत सरकार निवास स्थान तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगी । आशा है कि गोल-मेज कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निमंत्रित किया जायेगा ।

Central Schools

834. Shri Madhu Limaye :
Shri Kishan Pattnayak :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 11 on the 3rd November, 1965, and state :

(a) the total number of students studying in the Central Schools established and financed by the Central Government; and

(b) the number of students who have adopted Hindi and English separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran) : (a) 33,600 (approximately).

(b) Both these languages are taught in these schools to all students. The number of students who have adopted Hindi medium is 15,000 (approximately); the medium adopted by the rest of the students is English.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में मजदूरों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम कल की ध्यान दिलाने वाली सूचना को लेंगे, मंत्री महोदय दिये गये अपने वचन के अनुसार वक्तव्य दे ।

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : A report was lodged at Police Station Narela (Delhi) at 9·30 p. m. on 14th November, 1965 by a resident of Village Rathdana, Police Station Rai (Punjab) that at about 8 p. m. on the same day while he, along with six others, was present at his brick kiln situated near Village Bakner (Delhi), a stone was thrown at them; that they shouted as to who threw the stone, but suddenly they found gun shots being fired at them; that they tried to make for their jhuggi but in the mean time two of them received gun shot injuries.

According to the report received from Punjab Police, they were on the look out for two proclaimed offenders as they had information that they would be coming to Village Nare, District Rohtak. A naka-bundi was organised. A police party of one ASI, one Head Constable and two constables sighted the suspects in the dark. The suspects opened fire. The police returned the fire in self-defence. Two persons entered Village Goga in the Jurisdiction of Police Station Narela in Delhi. The Police pursued them. The persons had gone

to a brick kiln where there was a kotha (jhuggi) in a dilapidated condition. Firing was continued by the suspects from behind the bricks and the Police returned the fire. Two persons other than those wanted by the Police, were injured. The suspects made good their escape.

The Delhi Police took up the investigation. The Punjab Police have also registered at Police Station Rai a case under Section 307 of Indian Penal Code and Section 25 of Arms Act.

The District Magistrate, Delhi, has ordered a magisterial inquiry into this case.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या यह हमें अंग्रेजी में उपलब्ध हो सकता है? हम हिन्दी अच्छी तरह नहीं समझ सकते। बिहार की हिन्दी समझना हमारे लिये और भी कठिन है।

Mr. Speaker : It is translated into English.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : May I know whether the police of one State are required under the rule to take special permission of another State or to inform the later when they go there to apprehend a culprit; if not, whether the Minister proposes to prevent reoccurance of the incidents like the incidents which took place in Ghaziabad and the present one and if so, the steps proposed to be taken in this regard ?

Shri L. N. Mishra : As you know according to section 58 of Criminal Procedure Code, the police are not required to seek permission which chasing an offender to enter the jurisdication of other State and thus no Act or rule has been violated in this matter.

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : May I know whether the Delhi Police have taken any action against the Punjab Police or whether they have made any arrests so far?

Shri L. N. Mishra : The question of any arrest does not arise. They were performing their duty. They were in search of two proclaimed offenders. The District Magistrate, Delhi, has already ordered a magisterial inquiry into this matter. Further steps will depend on the result of the inquiry.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The hon. Minister has stated in his statement that the suspects opened fire and the police returned the fire in self-defence, may I know whether cartridges were found on the spot or whether the Punjab police have prepared a concocted version to save themselves?

Mr. Speaker : Reality will be known only after the inquiry is over.

Shri L. N. Mishra : I have already stated that both of them were proclaimed offenders and they had already opened fire in Punjab State. Two persons entered the village which is in the jurisdiction of the Police Station Narela in Delhi....

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether any empty cartridges were found on the spot after firing?

Mr. Speaker : The Magisterial inquiry is being conducted and the reality will come to light after the completion of the enquiry. Nothing can be said at this stage.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : क्या कई व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और अब उनकी हालत कैसी है ?

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether any empty cartridges were found on the spot after the suspects had fired?

Mr. Speaker : The hon. Member wants to know whether any empty cartridges were also found after the absconders fired?

Shri L. N. Mishra : According to our information there were 29 marks of cartridges at the door of the house in which they were hiding themselves. We have no further information in the matter.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : क्या सरकार को पंजाब पुलिस से पहले कोई सूचना मिली थी अथवा क्या उसने इसके लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेने के लिये स्वयं कोई जांच की है ?

श्री ल० ना० मिश्र : नरेला थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी ने हमें सूचना दी ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know whether all the alleged suspects have been arrested or whether some of them are still at large?

Shri L. N. Mishra : Nobody has been arrested so far.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : May I know whether the Delhi Administration had enquired from the Punjab Government about this report? If the Punjab Government does not give any report, what steps proposed to be taken by the Delhi Administration in the matter? As Punjab Police have filed a case against the Delhi Police, may I know the action proposed to be taken in this regard?

Shri L. N. Mishra : Mr. Speaker, since the incidence took place in Delhi, the Magistrate is conducting an inquiry into it and the statements of the concerned Punjab Police officers will be recorded in this case.

Shri Onkar Lal Berwa : As per our information in spite of the information asked for by the Delhi Police about the incident, the Punjab Police did not furnish it. May I know whether any information has been received so for or not?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether any compensation has been given to the injured persons?

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT (*Querry*)

कुछ माननीय सदस्य : उठे—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अब हम आगे की कार्यवाही करें ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir I request that my Adjournment Motion regarding famine may be admitted. The situation in Maharashtra is very grave. According to the people of Maharashtra this is the first time during the last 80 years when such situation has arisen there. Lakhs of cattle and people may succumb to death....

Mr. Speaker : I have understood the whole thing but I will not reply at this moment.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : महोदय, आपने अकाल की स्थिति के बारे में मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये कहा है।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्रीमती रेणू चक्रवती : हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय वक्तव्य दें क्योंकि स्थिति बहुत खराब है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम खाद्य स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं केवल यही कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस प्रकार अन्तर्बाधा नहीं डाल सकते। यदि संभव हुआ तो मैं उनसे वक्तव्य देने के लिये कहूंगा और यदि संभव नहीं हुआ तो मैं अपने पहले निर्णय पर कायम रहूंगा।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, at least admit a Short Notice Question, the notice of which has been given by me, on it.

Mr. Speaker : I will look into it but how can I reply just now in this manner?

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PEPERS LAID ON THE TABLE

भारत औद्योगिक संस्था, दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं भारतीय औद्योगिकी संस्था, दिल्ली, के सितम्बर, 1963 को समाप्त हुई अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—5162/65।]**

भारत प्रतिरक्षा (पांचवा संशोधन) नियम

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 41 की अन्तर्गत भारत प्रतिरक्षा (पांचवा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1584 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5163/65।]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधिन अधिसूचना

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1635, जो दिनांक 5 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०-5164/65।]**

मंत्री के विरूद्ध आरोपों के सम्बन्ध में विनिर्णय

RULING ON ALLEGATIONS MADE AGAINST A MINSTER

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को स्मरण होगा कि 2 सितम्बर, 1965 को श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 पर भाषण देते हुए कुछ वक्तव्य दिये थे जिनका पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री श्री हुमायून कबिर ने खंडन किया था। वे वक्तव्य मंत्री महोदय के प्रति आक्षेपकारी थे तथा उनके मानहानिकारक समझा गया था।

सभा में यह मांग की गयी थी कि :

"इसे निर्णायक मामला (टेस्ट केस) बनाया जाना चाहिए। श्री प्रकाशवीर शास्त्री को अपने आरोप सिद्ध करने चाहिये और संबद्ध मंत्री को भी आपके सामने (अध्यक्ष महोदय के सामने) तथ्य रखने चाहिए और आपको निर्णय करने की कृपा करनी चाहिए।"

श्री दी० चं० शर्मा ने आगे यह भी कहा कि :

"मैं समझता हूं कि एक ओर से विरोधी पक्ष के एक सदस्य तथा दूसरी ओर से एक मंत्री के बीच इस प्रकार आमने सामने कहा-सुनी से लोक सभा का वातावरण दूषित हो जाता है। इसे हमेशा के लिए खत्म किया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब कि आप इसे निर्णायक मामला बनायें और इस विषय में एक निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ निर्णय दे ताकि भविष्य में फिर ऐसी कोई बात न हो।"

मैं इस मामले को नहीं आगे बढ़ाना चाहता था और न ही इस के बारे में कोई छानबीन करना चाहता था। मैंने सदन को राय दी थी कि :

"मैं समझता हूं कि यह एकस्ट्रीम में जाना होगा कि इस को टैस्ट केस बनाया जाए। मेरे ख्याल में इस बात का हमें अफसोस तो है लेकिन शायद इस की तहकीकात करना ठीक नहीं होगा। इस को यहीं छोड़ दिया जाए।"

दुर्भाग्यवश मेरी राय नहीं मानी गयी और दोनों ही माननीय सदस्यों ने इस बात पर आग्रह किया कि मैं तथ्यों की छानबीन करूं। श्री हुमायून कबिर ने यहां तक सुझाव दिया कि :

"जिस का भी बयान गलत साबित हो, उसे संसद् में शेष अवधि के लिए अपने स्थान से वंचित हो जाना चाहिए।"

मैंने इस पर यह कहा कि दंड के बारे में पहले से कोई शर्तें नहीं रखी जा सकतीं, मैं तथ्यों की जांच करूंगा और उसका परिणाम सभा के समक्ष रखूंगा जो उन परिस्थितियों में किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है जिसे वह ठीक और उचित समझे। मुझे खेद है कि कुछ विलम्ब हुआ है। मेरी तबियत ठीक नहीं थी और मैं इस विषय पर ध्यान नहीं दे सका।

मैंने पक्षों से कहा था कि वे अपने अपने वक्तव्य और जो भी प्रमाण वे देना चाहें मुझे भेज दें। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा था कि श्री हुमायून कबिर जमीयते-उल-उलेमा के सदस्य थे, जमीयत के सदस्यों ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय अध्यादेश के संबंध में श्री छागला को बदनाम करने के लिये अभियान जारी किया हुआ था, श्री हुमायून कबिर तथा एक अन्य मंत्री ने अपने सहयोगी (मंत्री) का समर्थन करने की बजाय उन प्रचारकों का समर्थन किया था, कि श्री हुमायून कबिर अखिल भारतीय वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे और वक्फ बोर्ड का पैसा श्री छागला के खिलाफ इस कैम्पेन को चलाने के लिये गलत रूप में खर्च किया गया था।

ज्योंही 2 सितम्बर को यह आरोप लगाये गये त्योंही प्रधान मंत्री ने हस्तक्षेप किया और कहा कि उन्होंने श्री कबिर से खुद बातचीत की थी और श्री कबिर ने इस बात से इन्कार कर दिया था कि वे इस जमीयत के सदस्य थे। अगले दिन श्री कबिर ने इन दोनों आरोपों का जोरदार खंडन किया। इसकी

बजाय कि श्री हुमायून कबिर के इन्कार को स्वीकार कर लिया जाता अथवा इस विवाद को वहीं समाप्त करने के मेरे सुझाव को मान लिया जाता, श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने भी आग्रह किया कि मैं इसकी जांच करूं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने अपनी बात के समर्थन में कहा है :

"संसद् का कोई भी सदस्य विवेकसंगत प्राथमिक आधार से अधिक किसी तथ्य की जांच पड़ताल नहीं कर सकता। अन्यथा फिर किसी सदस्य का कोई वक्तव्य दे सकना ही कठिन हो जायेगा। मेरा वक्तव्य जमीयत के मुख-पत्र में उसके मुख-पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार और एक जिम्मेवार संस्था द्वारा प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन पर आधारित था। जमीयत के बारे में कोई समाचार हो तो उस संस्था के मुख-पत्र को प्रामाणिक मानना स्वाभाविक है। ज्ञापन प्रस्तुत किया गया इस सत्य का मैं जिम्मेवार हो सकता हूं ; उसमें उल्लिखित सभी तथ्यों की जवाबदेही मुझ पर कैसे डाली जा सकती है ?"

आगे उनका कहना है कि यह समाचार अन्य पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था और यू० एन० आई० समाचार एजन्सी द्वारा भी प्रसारित किया गया था।

मैं मानता हूं कि सदस्य के भाषण स्वातंत्र्य का अधिकार अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उसके अधिकारों को कोई आंच नहीं पहुंचनी चाहिए। किसी बाह्य हस्तक्षेप के संदर्भ में वह स्वातंत्र्य सम्पूर्ण होते हुए भी सभा द्वारा निर्बन्धित तथा नियंत्रित होना चाहिए। किसी समाचारपत्र में जो कुछ प्रकाशित किया जाता है या अन्यथा जो कहा या लिखा जाता है उसमें और सदन के अन्दर जो कुछ कहा जाता है उसमें अन्तर करना होगा। यदि कोई नागरिक मानहानि सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन करे तो उसके विरुद्ध न्यायालयों में दीवानी या फौजदारी कार्रवाई की जा सकती है और जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है उसके लिये उपचार है। लेकिन सदन के अन्दर सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। हमारे नियमों में यह उपबन्ध अवश्य है कि नियम 352 (7) के अधीन कोई सदस्य कोई मानहानिकारक शब्द नहीं करेगा। एन्सन (खंड 1) (पार्लियामेंट) के पृष्ठ 170 पर लिखा है : "इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संसद् में भाषण और कार्यवाही निर्बाध होती है और उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। किन्तु बाह्य प्रभाव अथवा हस्तक्षेप से स्वातन्त्र्य का अर्थ यह नहीं है कि सदन की दीवारों के अन्दर भाषण की कोई निरंकुश अनुमति है।" परिणामस्वरूप, कई बार कामन्स सभा में कहे गये आपत्तिजनक शब्दों के लिए सदस्यों से जवाब तलब किया गया है और उन्हें दंड दिया गया है।

यहां हमारी सभा में भी अध्यक्ष ने निर्णय दिया था कि जो सदस्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगाता है उसे पहले से ही तथ्यों की सचाई सुनिश्चित कर लेनी चाहिए और सदस्य के रूप में अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए। यह 1963 के लोक सभा वादविवाद में था।

वर्तमान मामले में भी मैंने कहा था कि समाचार पत्र में प्रकाशन ही पर्याप्त नहीं है और ये मानहानिकारक आरोप लगाने में पहले सदस्य को और आगे जांच कर लेनी चाहिये थी। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने स्पष्ट किया कि उनके पास कोई और स्रोत नहीं थे ; उनकी राय में जमीयता के पत्र पर विश्वास करना पूर्णतः उचित था। फिर जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था उसे वे आधार मानते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा था, और निश्चित रूप से कोई आरोप नहीं लगाये थे लेकिन श्री प्रकाशवीर शास्त्री के बाद के व्यवहार से इस तर्क की पुष्टि नहीं होती। यदि केवल बात ही पूछी गई थी या स्पष्टीकरण ही मांगा गया था तो प्रधान मंत्री ने उसे बीच जो बात कही उस से उनका समाधान हो जाना चाहिए था। किन्तु श्री प्रकाशवीर शास्त्री उसके बाद भी आग्रह करके अपनी बात पर अड़े रहे।

[अध्यक्ष महोदय]

यदि श्री प्रकाशवीर शास्त्री की सभी बात मान ली जाये और यहभी मान लिया जाये कि जमीयत के मुखपत्र "अलजमीयत" पर विश्वास करने के लिए तथा श्री असरार उल हक द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन को महत्व देने के लिए उनके पास कुछ युक्तियुक्त आधार है तो भी श्री प्रकाशवीर शास्त्री के व्यवहार में एक बात ऐसी रह जाती है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। जब श्री हुमायून कबिर ने सदन में दोनों ही आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया था तब श्री प्रकाशवीर शास्त्री को अलजमीयत के समाचार अथवा श्री असरार उल हक के ज्ञापन के मुकाबले में एक माननीय सदस्य को वास्तविक जानकारी में दिये गये उस वक्तव्य को ठीक मान लेना चाहिए था। मैं चाहता था कि मामला खत्म कर दिया जाये। श्री कबिर के स्पष्टरूप से घोषणा करने पर यदि उन्होंने खेद व्यक्त किया होता तो इससे उनका अपना सम्मान तथा इस सभा की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती। लेकिन मेरे कहने पर श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यह आग्रह किया कि मैं और आगे छानबीन करूं जिसका यह मतलब निकलता था कि उन्होंने अन्य सदस्य के वक्तव्य की अपेक्षा "अलजमीयत" के समाचार और उस ज्ञापन को अधिक विश्वसनीय समझा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री जानते थे कि उनके पास और कोई साक्ष्य नहीं था और वह कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने स्वविवेक का समुचित रूप से प्रयोग नहीं किया है।

देर से ही क्यों न हो, मुझे 15 नवम्बर को श्री प्रकाशवीर शास्त्री से एक अनुपूरक स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने अन्त में कहा है :

"मुझे खेद है उस समय मैं उसे इस रूप में न समझ सका।"

श्री हुमायून कबिर की स्थिति सही साबित हुई है। लेकिन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूं कि वर्तमान मामले में और आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं सभी सदस्यों को राय दूंगा कि लांछन लगाते समय वे अधिक सावधानी बरतें।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
इकतालीसवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझनू) : मैं असैनिक उड्डयन, वाणिज्य, सामुदायिक विकास तथा सहकार, शिक्षा और खाद्य तथा कृषि (कृषि तथा खाद्य विभाग) मंत्रालयों संबंधी विनियोग लेखे (सिविल), 1963–64; लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1965 और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1965 के बारे में लोक लेखा समिति का इकतालीसवां प्रतिवेदन पेश करता हूँ।

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE
भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर के विनियमों के विनियम 2.1 के साथ पठित उक्त संस्था की सम्पत्तियों तथा निधियों के प्रशासन और प्रबन्ध सम्बन्धी योजना के खण्ड 14(5) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, संस्था की आगामी अवधि के लिए उसकी परिषद् के सदस्यों, के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर के विनियमों के विनियम 2.1 के साथ पठित उक्त संस्था की सम्पत्तियों तथा निधियों के प्रशासन और प्रबन्ध सम्बन्धी योजना के खण्ड 14(5) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, संस्था की आगामी अवधि के लिए उसकी परिषद् के सदस्यों, के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव —जारी

MOTION RE : INTERNATIONAL SITUATION—*Contd.*

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : आरम्भ में मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा इस संबंध में अपनी नीति के बारे में हमें स्पष्टतया बताया। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान तथा चीन जैसे हमारे पड़ौसी, जो सत्य तथा औचित्य का आदर नहीं करते हैं उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। भारत सरकार को प्रतिरक्षा में हथियार उठाने पड़े तथा यह बड़े ही गर्व की बात है कि कुछ ही दिनों में हमारी सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान को सबक पढ़ा दिया है तथा उनकी हथियारबल गाड़ियों और प्रशिक्षित सेनाओं को तहस नहस कर दिया है। अमरीका तथा ब्रिटेन से हथियार मिलने के बाद भी पाकिस्तान भारत के जवानों का बहादुरी के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाया। इसीका असर है कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका तथा अमरीका को भारत के बारे में अपनी धारणायें बदलनी पड़ी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों तथा अलजीयर्स सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए रुख से ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया है कि अब काश्मीर के बारे में आत्मनिर्णय की पाकिस्तान की मांग के बारे में इन सभी देशों को सही स्थिति का पता लग गया है।

भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण को मैं भारतीय सेनाओं के लिए स्वर्ण अवसर मानता हूं कि जब उन्हें चीन के आक्रमण के समय तीन वर्ष पहले अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिला। आज यह हालत है कि पाकिस्तान को अपनी हार के लिए बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ वर्तमान युद्ध से भारत को यह भी मालूम हुआ है कि पाकिस्तान तथा चीन से युद्ध होने पर किन देशों पर विश्वास किया जा सकता है।

हम जानते हैं कि अमरीका से पाकिस्तान को काफी सहायता मिली है तथा इसी के बल पर प्रेसीडेंट अय्यूब ने यह आन्दोलन तथा नारा उठाया था कि "पाकिस्तानी सेना कुछ घंटों में दिल्ली पहुंच सकती है"। यह बड़े ही खेद की बात है कि भारतीय प्रतिनिधि ने अमरीका पर आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान की मदद कर रहा है तथा उसने पाकिस्तान को नहीं रोका कि वह भारत के विरुद्ध अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल न करे। परन्तु इसके विपरीत उसने भारत को होने वाले अत्यावश्यक आयात रोक दिए और ऐसा करने के लिए पाकिस्तान से कुछ नहीं कहा। हम जानते हैं कि सुरक्षा परिषद की दूसरी बैठक बुलाने में बड़े राष्ट्रों का भी हाथ था।

हमारे विदेश मंत्री को यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं तथा हमारे शत्रु राष्ट्र कौन कौन से हैं। हमें कौटिल्य के अनुसार तटस्थ राष्ट्रों को भी शत्रु समझना चाहिए। हमें वास्तविकता समझ कर आगे बढ़ने के लिए सर्वदा तैयार रहना चाहिए।

अन्त में मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह विवाद दो दिनों तक चला है तथा माननीय सदस्यों ने देश की कई समस्याओं के बारे में बताया है तथा कुछ सुझाव दिए हैं। कल हमने प्रधान मंत्री जी को सुना उन्होंने सरकार की नीति स्पष्ट की और पड़ौसी देशों से संबंधों की चर्चा की कि हमारे संबंध लंका, बर्मा तथा नेपाल से किस प्रकार के हैं। इसी संबंध में मैं अपने अफगानिस्तान से संबंधों की चर्चा करना चाहता हूं। अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध बड़े मैत्रीपूर्ण तथा निकट के हैं। वह पाकिस्तान से हमारे संघर्ष के बारे में भलीभांति जानता है। अफगानिस्तान के प्रधान मंत्री अपने साथियों के साथ भारत आए थे तथा उन्होंने भारत का दौरा किया था। सदस्यों ने अफगानिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार के निवास का जिक्र किया। हम उनका बहुत आदर करते हैं। हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन में उनका बहुत बड़ा हाथ था। हमने उन्हें सुझाव दिया है कि भारत में आने के लिए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। पख्तूनिस्तान के मामले में हम पूरी तरह जानते हैं कि पख्तून लोगों को जो मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए वह उनको नहीं मिले हैं तथा खान अब्दुल गफ्फार खां ने इस दिशा में जो कदम उठाये हैं हम उनका समर्थन करते हैं।

[श्री स्वर्ण सिंह]

दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर देखने पर हमारी दृष्टि सीधी मलेशिया पर पड़ती है। सभा के सभी सदस्यों ने इस मित्र देश की सराहना की है। यही देश पहला देश है जिसने हमारी सही स्थिति को समझा है तथा समझा है कि पाकिस्तान तथा चीन का हमारे प्रति क्या रवैया है। यह बड़े ही खेद की बात है कि जब मलेशिया ने बिना किसी डर के सच बात कहीं तभी सत्य बोलने के कारण ही पाकिस्तान ने उससे अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान देशों की सत्य राय को सहन भी नहीं कर सकता। इससे केवल यह निर्णय निकलता है कि जो देश पाकिस्तान के दृष्टिकोण से सहमत न हो उससे वह कोई राजनयिक संबंध नहीं रखना चाहता। आज दुर्भाग्यवश मलेशिया पर इण्डोनेशिया की बुरी दृष्टि है। हमारी मलेशिया के साथ सहानुभूति है तथा हम आशा करते हैं कि दूसरे देश किसी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सामान्य सिद्धान्त का निश्चित रूप से पालन करने का प्रयत्न करेंगे।

सिंगापुर स्वतंत्र हो गया है और हमें प्रसन्नता है कि हमने सिंगापुर के उप प्रधान मंत्री का भारत आने पर स्वागत किया। आरंभ से ही हम उन राज्यों के कल्याण तथा उन्हें शक्तिशाली बनाने में मैत्री-पूर्ण रुचि लेते रहे हैं। हमने उनके अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन में शामिल होने के मामले को उठाया है और सिंगापुर के नये देश को शक्तिशाली बनाने में हम मैत्रीपूर्ण तरीके से रुचि लेते रहेंगे। दोनों ही देशों का हमारे लिए बड़ा महत्व है तथा दोनों ही लोकतंत्रीय पद्धति का पालन करते हैं। दोनों ही देश बहुभाषाभाषी, बहु जातीय, बहु-धार्मिक हैं और इसीलिए हमारे देश से बहुत सी बातों में मिलते जुलते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने एशिया के अन्य देशों के साथ हमारे निकट संबंधों को बढ़ाने के लिए कहा। हमारा प्रयत्न है कि जापान और आस्ट्रेलिया हमारे से संबंध अच्छे हों। जापान और आस्ट्रेलिया इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश हैं तथा दोनों ही यह हमारे मित्र हैं। हमारे उनके साथ आर्थिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं तथा हम उनको बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस क्षेत्र में और भी देश हैं तथा लाओस के अन्त-राष्ट्रीय आयोग के हम सभापति हैं। ये सभी देश हमारे चीन तथा पाकिस्तान के संघर्ष को समझते हैं।

एक सुझाव माननीय सदस्यों ने यह दिया कि किसी प्रकार का सुरक्षा प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इस संबंध में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 10 या 11 वर्ष पूर्व जिस प्रकार के सैनिक समझौते चालू थे वह इस समय बुरी तरह विफल हुए हैं और इस बात के प्रत्यक्ष चिन्ह हैं कि यह सन्धियां न केवल दक्षिण-पूर्व एशिया में बल्कि यूरोप में भी समाप्त हो जायें। मैं इस समय विस्तार में जाना नहीं चाहता। परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि दो देश जैसे तुर्की और ग्रीस आदि एक नैटो जैसी सन्धि के सदस्य होने पर भी आपस में लड़े हैं। फ्रान्स का भी रवैया कुछ ठीक नहीं है। इसलिए इन सन्धियों का होना, न होना बराबर है। भारत ने अपने महत्व, एतिहासिक कर्तव्य तथा स्वतंत्रता की इच्छा के कारण इसलिए यह निर्णय किया है कि हमें किसी प्रकार की सन्धि में शामिल नहीं होना चाहिए बल्कि किसी भी गुट में रहे बिना अपनी नीति पर दृढ़ रहना चाहिए जिसमें विश्व को हम बता सकें कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।

पाकिस्तान स्वयं नैटो का सदस्य है तथा उसको हमारे संघर्ष में इसके सदस्य राष्ट्रों से अवश्य सहायता मिलनी चाहिए थी। परन्तु उसको कोई सहायता नहीं मिली। इसी आधार पर यह आवश्यक हो जाता है कि हम समझें की इन सन्धियों का कोई लाभ नहीं होता है और हमें इनसे अलग रहना चाहिए।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान से संघर्ष के समय जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण करने की धमकी दी तो अमरीका तथा रूस दोनों ने चीन को चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई भी देश इस संघर्ष में हस्तक्षेप करेगा वह आग में घी डालने का काम करेगा। इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम किसी सैनिक सन्धि के सदस्य होते तो अमरीका और रूस कभी भी हमारी इतने जोरदार शब्दों में हिमायत नहीं करते।

इसके अतिरिक्त अपनी प्रतिरक्षा संबंधी क्षमता बढ़ाने के मामले में भी हमारी किसी भी गुट में न रहने की नीति का लाभ हुआ है। इसी नीति के कारण हमको हथियार आदि बिना अधिक कठिनाई के मिल सके। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान प्रेजीडेंट अय्यूब के हाल के भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें उन्होंने स्पष्टतया कहा है कि यह हमारी गलती थी कि हमने सैनिक सामान के लिए केवल एक ही ओर का ध्यान रखा। ऐसी स्थिति थी। हमें तो ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिससे हमारी शक्ति बढ़े। आर्थिक स्थिति दृढ़ हो। हमारे लिए इनको सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यदि हम शक्तिशाली होंगे तो कोई हमारी ओर आंख उठा कर नहीं देख सकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

हमारा पाकिस्तानी से संघर्ष के बारे में दृष्टिकोण बताने के लिए हमारे राष्ट्रपति ने कुछ मित्र देशों का दौरा किया। हमारे राष्ट्रपति ने यूगोस्लाविया, चेकोस्लावाकिया, रुमानिया और इथोपिया का दौरा किया। ये दौरे बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उन देशों ने हमारे दृष्टिकोण को समझा है और इसका पता जारी की गई संयुक्त विज्ञप्तियों से चलता है।

हमारे दृष्टिकोण पर हमें साइप्रस से भी समर्थन मिलता रहा है।

यह कहना सही नहीं है कि अरब देशों ने हमारे दृष्टिकोण को नहीं समझा है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि अरब देशों को केवल मुसलमान राजदूत ही भेजे जाते हैं। यह गलत है। अरब देशों को भेजे गये 11 या 12 राजदूतों में से केवल 4 मुसलमान हैं। यद्यपि हमने इसको उस दृष्टिकोण से कभी नहीं देखा है।

कुछ अरब देश ऐसे हैं जिन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया है। जोर्डन ने सुरक्षा परिषद में हमारा विरोध किया। सुना है एक और देश पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा का ऋण दे रहा है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सऊदी अरब।

श्री स्वर्ण सिंह : सारे अरब देशों के लिये एक जैसी बात कहना सही नहीं है। हमने अरब देशों को बता दिया है कि काश्मीर में कुल 25 लाख मुसलमान हैं जबकि सारे देश में 5 करोड़ मुसलमान हैं। इसलिये काश्मीर के प्रश्न को धर्म का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता।

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि कैसेब्लांका में राष्ट्रपति नासर की कोशिशों के परिणामस्वरूप ही इस प्रश्न पर पक्षपात रहित रवैया अपनाया जा सका था। सुरक्षा परिषद में भी अरब गणराज्य की यह स्थिति रही है कि यह मामला केवल भारत और पाकिस्तान के बीच है और जो बात इन दोनों देशों को स्वीकार नहीं होगी वह अरब गणराज्य को भी स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए हमें उनको गलत नहीं समझना चाहिये।

यह सही है कि पाकिस्तान ने अफ्रीकी एशियाई देशों में स्वयं निर्णय के सिद्धान्त के आधार पर कुछ उलझन पैदा कर दी है और कुछ देशों ने वास्तविक स्थिति को देखे बिना ही इसका समर्थन किया है। परन्तु देश के भाग पर इस सिद्धान्त को लागू नहीं किया जा सकता। जब उनको यह बात बताई जायेगी तो निश्चय ही उनके रवैये में परिवर्तन आयेगा।

यह भी कहा गया है कि हमारे प्रचार प्रबन्ध अपर्याप्त हैं। इस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। हमने टेलीप्रिंटर लगाये है ताकि दूर दूर के देशों में महत्वपूर्ण समाचारों को भेजा जा सके। अब 14 विदेशी भाषाओं में प्रचार सामग्री तैयार कर रहे हैं। प्रचार के लिये अच्छे प्रबन्ध करने के लिये हम स्वयं

[श्री स्वर्ण सिंह]

जागरूक हैं। परन्तु मैं यह बता दूं कि प्रचार से केवल सीमांत लाभ ही हो सकता है। कई ऐसे देश हैं जो काश्मीर के मामले में वास्तविक स्थिति को जानते हैं और उनपर पाकिस्तानी प्रचार का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। जो देश हमारे मामले को समझने में कुछ कमी दिखा रहे हैं उसका कारण केवल प्रचार की कमी नहीं है, कुछ और कारण भी हो सकते हैं और उनकी ओर हम ध्यान दे रहे हैं।

मंत्रालय के कार्य और हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों के बारे में कुछ कहा गया है। मोटे तौर पर हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों ने अच्छा कार्य किया है। हमारी विदेश सेवा को मजबूत बनाने के प्रश्न पर जांच करने के लिये जैसा कि सभा जानती है हमने एक समिति नियुक्त की है। उसपर हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है और यह समिति शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन देगी। हमारे राजनयिक प्रतिनिधि मंडलों को जो कार्य करना पड़ता है वह बहुत कठिन होता है। हमें बिना सोचे समझे कोई आरोप नहीं लगाना चाहिये इससे लोगों का हौसला गिरता है और वे निर्णय करने में हिचकिचाते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने हमारी राष्ट्रमंडल की सदस्यता का प्रश्न उठाया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि राष्ट्रमंडल कोई ब्रिटिश का ही नहीं है। इसमें अफ्रीकी और एशियाई देश बड़ी संख्या में हैं। हमारे मित्र देश मलेशिया और सिंगापुर भी इसके सदस्य हैं। अब ब्रिटिश के रवैये में भी कुछ परिवर्तन आ रहा है **(अन्तर्बाधा)**।

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : कोई भी यह आशा नहीं कर सकता है कि यह सरकार राष्ट्रमंडल छोड़ देगी।

श्री स्वर्ण सिंह : इसलिये हमें राष्ट्रमंडल के प्रश्न पर द्विपक्षीय आधार पर विचार नहीं करना चाहिये। तिब्बत के लोगों की स्वतन्त्रता और उनके मूल अधिकारों के दमन का प्रश्न एक ऐसा मामला है जिसपर हम संयुक्त राष्ट्र को अपना पूरा समर्थन देंगे जब भी यह मामला वहां आयेगा। वहां पर जो स्थिति है उस पर हमने अपनी गहरी चिन्ता प्रकट की है।

मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 को स्वीकार करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री ने इजराइल का कोई ज़िक्र नहीं किया है। क्या सरकार का अब भी यही मत है कि अरब देश और इज़राइल दोनों के साथ मैत्रिक संबंध बनाने असंभव है?

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसा मत नहीं है। हमने एक निश्चित नीति का अनुसरण किया है और हम उसी पर चलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं सुझाव प्रस्तावों को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3, 5, 7, 8, 10, 11, 18, 20 और 21 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*The substitute motions Nos.* 3, 5, 7, 8,10, 11, 18, 20, *and* 21 ***were put and negatived.***

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अस्वीकृति प्रस्तावों को मतदान के लिये रखूंगा। पहले मैं श्री मधु लिमये के अस्वीकृति प्रस्ताव संख्या 2 को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/*The subsititute motion No.* 2 *was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4, 6 और 9 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*The substitute motions Nos.* 4, 6 *and* 9 ***were put and negatived.***

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकार द्वारा स्वीकार किये गये स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 को मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये अर्थात :—

'यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार की नीति का अनुमोदन करती है ।'

लोकसभा में मतविभाजन हुआ ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 123, विपक्ष में 31; Ayes 123, Noes 31.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—जारी

TAXATION LAWS (AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) BILL—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी । श्री उ० मू० त्रिवेदी बोल रहे थे । वह इस समय उपस्थित नहीं हैं ।

श्री बड़े (खारगोन) : मुझे बोलने की आज्ञा दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

Shri Bade (Khargon) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I was surprised to note the contents of this Bill. Through this Bill you are going to exonerate all the corrupt people, the black-marketeers and the blood-suckers of the society. You will be giving an interest of Rs. 2 per annum per 10 grams of gold and besides that they will be exempted from the Wealth Tax, the Gift Tax, the Capital Gains Tax and the Estate Duty Tax.

[**डा. सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई**
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

And the strange thing about this is that the courts will be barred from requiring any public servant to give any evidence pertaining thereto. This is the gravest of the sinns that this Congress Government is doing. The man who gives gold to the Government cannot be questioned by anybody as to how he accumulated that wealth.

Some of my friends gave the suggestion that gold should be nationalised. I completely oppose it. I think that instead of nationalising gold and giving protection to the thieves, the Government should leave the Congress Committee and go round the village and convince the people. This way they can make huge collections. When our women did not hesitate sacrificing their sons

[Shri Bade]

for the course of the country should they refuse for gold? They will not. Government can get gold only when it rises from the party level and take public into confidence. Government has miserably failed in preventing tax evasion. Every now and then a law is made to extract some thing from the rich people but nothing is forthcoming.

In the beginning we had a big amount of sterling balance. Government squandered that money on its partymen and tips of the Ministers to foreign countries. The needy member of Congress party flourished on that money and nothing practically was done to improve agriculture in this country. Eighteen years have passed and still we have not manufactured an atom bomb and are not prepared to sight.

I think the people of this country are not going to be benefited at all by this Bill, rather it will encourage black marketeers and the corrupt people in their malpractices. This Bill is most dangerous and absurd. World will think that India is far collecting state if not a police state. The Government is making one experiment after the other. When all the experiments failed they decided to make this law. This means that the purchase of gold bonds is a licence for indulging in malpractices. Therefore I oppose this Bill and appeal the Government not to make such an absurd law.

श्री हिम्मतसिंहका (कच्छ) : 19 अक्तूबर 1965 को सरकार ने सर्वण बांडों की योजना घोषीत की, उसके अन्तर्गत कुछ रियायतें दी जानी जरूरी हो गयी । इसके लिए कर विधानों में कुछ संशोधन की अपेक्षा अनुभव की गयी । मुझे आश्यर्य हुआ कि कुछ माननीय सदस्यों ने इसका भी विरोध किया है । श्री मसानी का कहना है कि इसके द्वारा काला बाजार करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा । उन्होंने बाद में स्वयं यह बात स्वीकार की सोना देश में 20 प्रतिशत तो ईटों के रूप में है और 80 प्रतिशत जेवरों के रूप में हैं । यदि यह बात ठीक है तो सरकार इस 80 प्रतिशत सोने को जो कि आभूषणों के रूप में है, स्वर्ण पत्रों में बदलने को तैयार है । और जो लोग सोना देने को तैयार हो, उन्हें कुछ रियायतें देना अनैतिक नहीं कहा जा सकता है । मेरा विचार तो यह है कि यदि हम सोना लेने की शर्तों को तनिक आकर्षक बना दे तो कोई कारण नहीं कि देश की महिलाये अपना सोना देश के हित की दृष्टि से सरकार को न दे दे । जो लोग अपनी छिपी हुई सम्पत्ति को प्रकट करना चाहते है, उन्हें कुछ सुविधायें देने के बारे में सभा द्वारा दो विधानों में उपबन्ध किये जाने का निश्चय हो चुका है । उसके अतिरिक्त कोई अन्य सुविधायें उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है । न कानून द्वारा कोई ऐसी कोई फालतू रियायत भी दी गयी है । सोना बांड योजना के बारे में मेरा विचार यह है कि जनता काफी अन्धकार में है । इस योजना को सफल बनाने के लिए पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए । भारत रक्षित बैंक की तरह भारत राज्य बैंक, सहायक बैंकों तथा कुछ अन्य बैंकों को भी इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए । जब भी कोई उद्योगपति किसी समवाद को आरम्भ करते है तो कुछ बड़े बड़े औद्योगिक अभिकरणों को अपने शेयरों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है । वे लोक अपने शेयर बेचने के लिए अन्य व्यक्तियों को काम पर लगाते हैं । इस दिशा में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि इस योजना से सभी व्यक्ति परिचित हो जाय । और इस तरह ये विभिन्न अभिकरण से बांड खरीद सके ।

इस बांड योजना के बारे में मेरा यह मत है कि यदि अधिक नहीं तो कमसे कम 10 वर्षों के लिए तो इसे चालू करना ही चाहिए । इस कार्य में आय कर अधिकारी भी सहायता कर सकते है । वे कर दाताओं से यह अपील कर सकते है कि वे कम से कम 5 तोले सोना प्रतिव्यक्ति के हिसाब से इस योजना में लगाये । विधान मंडलों के सदस्य का इस दिशा में काफी काम कर सकते हैं । वे अपने अपने निर्वाचन

क्षेत्रोंसे काफी सोना इकटठा कर सकते है। ऐसा सब कुछ होगा तो ही यह योजना सफल हो सकती है। यह सुविधा भी दी जानी चाहिए कि बांड का विनिमय हो सके। इसके अतिरिक्त यदि अधिक नहीं तो इसे पृष्ठांकन द्वारा सरलता से किसी दूसरे के नाम पर किया जा सके। इस करने पर यह योजना लोगों में काफी लोकप्रिय हो जायेगी। विभिन्न स्टाक एक्सचेजों में भी इसे पेश किया जा सके, यह भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह इसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ जायेगा। यह भी किया जाये कि किसी को जरुरत हो तो सरकार इसे प्रत्याभूति के रूप में भी स्वीकार किया जा सके।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि श्री मुरारका के सम्पत्ति शुल्क में रियायते देने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। ऐसे बांडों के मूल्य तक उपहार-कर से छूट भी दी जानी चाहिए। यह सुविधा मिलती रहनी चाहिए, चाहे यह बांडों की बिक्री मूल रूप से की गयी हो अथवा किसी से आगे खरीदे गये हो। यदि ये सब बात हो जाये तो लोग काफी संख्या में ये बांड खरीदेंगे। यह देश की प्रतिरक्षा के हित में किया ही जाना चाहिए। इन शब्दों से मैं इस विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन का प्रत्येक सदस्य इस योजना को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैंने जब प्रधान मंत्री की देश रक्षा के लिए सोना देने की अपील पढ़ी, तो मेरा विचार इस विधेयक का समर्थन करने का था। इस लिए कि इसके बिना शस्त्र बिदेशों से नहीं खरीदे जा सकते। चीन के आक्रमण के समय भी हमने इसी तरह का नारा लगाया था। परन्तु इस बार विधेयक का अध्ययन करने से मेरा विचार यह बना कि यह तो अनैतिकता को प्रोत्साहन देने वाली बात है। सरकार का विचार था कि सोने की कीमतें कम हो जायेगी। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। लोगों की प्रतिक्रिया कुछ उत्साहजनक नहीं है। बेचारे सुनारों को छोड़ सभी ने स्वर्ण नियन्त्रण से लाभ ही उठाया दिखाई देता है।

प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा तो क्या होगा? क्या अमीर लोग जिनके पास सोना है, वे अपना सोना देंगे। देश में यह अनुभव किया जा रहा है कि 15 वर्षो के पश्चात सरकार सोना कैसे लौटायेगी। इसके लिए हमे देहातों में प्रचार करना होगा और लोगों को यकीन कराना होगा कि इस मामलें में किसी साथ बेईमानी नहीं होगी। इस का पूरा उपयोग ईमानदारी से किया जायेगा। जब तक यह विश्वास नहीं दिलाया जाता कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। गत 90 दिनों में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है सब के सामने हैं। परन्तु इन घोषणाओं के साथ व्यवसायियों ने 5 करोड़ निकाल लिया। 40 प्रतिशत आयकर बचा और 150 प्रतिशत जो सजा मिलती थी वह बच गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह घोषणा में कुछ लोगों के लाभ के लिए की जा रही है। क्या यह ठीक है कि मेसर्स ति० त० कृष्णमाचारी एण्ड कम्पनी ने 45 करोड़ का धन अघोषित बताया गया है। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न का नोटिस दिया था। जिसे रद्द कर दिया गया। एक बात तो साफ हो जाती है सोना बिना छिने के नहीं मिल सकता।

There is gold worth 4 thousand crores. People in this Country has a desire to give gold, but there are doubts which must be dispelled. Our Government is of the opinion that people should give gold in the interest of the defence of the country. It has been stated there is gold worth three thousand crores. If Government is serious to get the gold the tactics must change. I hope Government will consider this matter.

श्री मुरारका (झुनझनु) : जो भाषण सदन में हो रहे हैं, उनसे लगता है कि इस विधेयक का बड़ा भारी विरोध होगा। विधेयक का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि इस विधेयक द्वारा काला बाजार करने वालों को बहुत रियायते दी जा रही है। उन्हें अघोषित धन को निकालने का अवसर दिया जा रहा है। परन्तु रियायते दी जा रही है वे तो इससे एक वर्ष पूर्व ही दी जा चुकी है। वित्त मंत्री ने इसे माना

[श्री मुरारका].

था कि यह एक जटिल प्रश्न है छुपें धन को निकालना सरल नहीं है । अत: उन्होंने इस तरह का धन निकालने का एक और ढंग निकाला है । अत: योजना में कुछ संशोधन करने की बात उन्होन सोची । मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक द्वारा कोई अधिक अधिकार नहीं किये गये, जो कि इससे पूर्व न दिये गये हो। और इन रियायतों को सभा की अनुमति प्राप्त हो चुकी है । मेरा कहना है यदि इस विधेयक से काला बाजार करने वालो को लाभ पहुंचा है तो वे क्यों नहीं अपना धन अथवा सोना निकाल रहे । कल तक केवल 1150 किलोग्राम सोना प्राप्त हुआ जो कि 1.24 करोड़ का हुआ । पहली योजना में 8.25 करोड़ का सोना मिल गया था और दूसरी योजना के अन्तर्गत 3.29 करोड़ रुपये का प्राप्त हुआ था । परन्तु इस योजना के अन्तर्गत कुछ भी नहीं हुआ है ।

अत: मेरा निवेदन यह है कि वर्तमान विधेयक द्वारा कोई नई रियायत प्राप्त नहीं हो रही । बाजार में चालू ब्याज की दर से, जो आज 12 प्रतिशत है, इस हिसाब से 100 रुपया 15 वर्षों के बाद 560 रुपये बने जायेगा । अत: हमे इस संदर्भ में यह ध्यान रखना है कि सोना बांड योजना के अन्तर्गत इन लोगो को जो रियायते उपलब्ध हुई है वह अनुचित है । वर्तमान योजना में जो रियायते हैं उससे इसके प्रति आर्कषण तो बनता है, परन्तु यह आकर्षण केवल उन्हीं लोगों को ही होगा जिनका सोना ईमानदारी से इकट्ठा हुआ है । जिन लोगों के पास जेवरों के रूप में सोना है उन्हें कम से कम प्रतिवर्ष कुछ आय प्राप्त हो जाती है । ऐसा न हो तो जेवरों पर आय होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता । इसके अतिरिक्त आयकर, पूंजी लाभकर सम्मत्ति कर इत्यादि सब चीजों से छूट है । जिन लोगों के पास छिपा हुआ सोना है, वह इस पर कोई कर नहीं देते हैं । उनके लिए इन रियायतों का कोई प्रभाव ही नहीं है । न इससे उन्हें कोई इसके प्रति आकर्षण ही पैदा होता है । बात बड़ी स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति के पास ऐसा सोना है, जिसे आप छिपा हुआ सोना कह सकते है, तो वह निश्चित उसे धन में बदला सकता है । और उसे वह आय के रूप में दिखा सकता है । और बिना किसी कठिनाई के वह इस द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओ के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकता है । अत: मेरा निवेदन यह है कि यह कहना ठीक नहीं है कि इस विधेयक से चोर बाजारी को प्रोत्साहन मिलेगा, अथवा यह विधेयक ऐसे लोगों के लिए है ।

इस सब के बाबजूद मैं कुछ बातों की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं । मेरा कहना यह है कि यह विधेयक जल्दी में तैयार किया गया है और इसमें कई एक त्रुटिया हैं । विधेयक के खंड 2, 3, और 6 के द्वारा समय, दरजा अथवा व्यक्ति के सबन्ध में किसी शर्त के बिना स्वर्ण-पत्रों को आय-कर, पूंजी लाभ कर तथा सम्पत्ति कर से पूर्ण छट दी गई है । परन्तु सम्पदा-शल्क के सम्बन्ध में एक शर्त यह है कि स्वर्ण पत्रों के सम्बन्ध में केवल एक छूट ही होगी । यदि स्वर्ण-पत्रों का एक व्यक्ति की आस्तियों में शामिल कर लिया जाये तो उन्हीं स्वण-पत्रों पर किसी अन्य व्यक्ति की आस्तियों की संगणना करते हुये छुट नहीं मिल सकती यदि वे पत्र अन्य व्यवित की सम्पत्ति हों । परन्तु जहां तक मृत्यु का सम्बन्ध है, वह एक ऐसी घटना है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती । इसलिए इससे उन स्वर्ण पत्रों का परिचालन सीमित होगा ।

जहां तक धन-कर का सम्बन्ध है, इससे एक बहुत महत्वपूर्ण त्रूटि है क्योंकि जैसा इसका रूप तैयार किया गया है, एक ही वर्ष मे एक स्वर्ण प्रमाण-पत्र पर तीन या चार बार छूट दी गई है । विभाग का यह आशय नहीं हो सकता कि एक स्वर्ण प्रमाण-पत्र पर एक ही वर्ष में तीन व्यक्तियों को तीन छटे दी जाये । उपहार-कर के बारे में उपबन्ध और भी सीमित प्रकार का है । इस विषय में जब तक मूल अंशदाता इस उपहार को नहीं देता, उस "बांड" पर कोई छूट नहीं दी जा सकती । धन-कर तथा सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में मूल अंशदाता सम्बन्धी उस शर्त को नहीं रहने दिया गया । उचित समय और अधिक विचार के बाद इस विधेयक को अधिक युक्तियुक्त तथा स्वीकार्य बनाया जा सकता था ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इस संदर्भ में मुझे केवल यह कहना है कि स्वर्ण-पत्र कम से कम समय के लिए रखा जाना चाहिए। यदि बहुत लाभ-किया जाय तो उसका लोग अनुचित लाभ भी उठाने लगेंगे। मेरा कहना यही है कि विधेयक को बहुत ही शीघ्रता से प्रारुपित किया गया है। उपबन्धों को ठीक ढंग से रखा जा सकता था। इस विधेयक के सिद्धान्त से सहमति प्रकट करते हुए मेरा कहना है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है। अन्त में मेरा यह भी निवेदन है कि डाक घरों को 62 प्रति तोले के हिसाब से सोने का दाम देना चाहिये जो कि सोने का अन्तराष्ट्रिय मूल्य है। यदि जरूरत के वक्त इनका प्रयोग करन की अनुमति होती तो इसमें सफलता प्राप्त करने के अधिक अवसर थे।

Shri Kanjhi Ram Gupta (Alwar) : It has become clear from the arguments advanced by the various speakers that the Bill is meant to benefit the big people. Income-Tax, Property-tax, Estate-duty tax, Wealth-tax etc. are given by the rich people. It is they who are going to get some concessions. In my opinion the basis of the Bill is wrong. The response that we are having of this scheme is very poor. This is coming on the basis of an Ordinance. I am of the opinion that this has hit the poor and honest people very badly.

The concessions are being given to the black marketeers and hoarders. Government first made the law of 14 Carat Gold, but today they want gold which is pure. Government are responsible for the contradiction, by which the difficulties for foreign exchange are created. Government have lost confidence in ordinary people, and are running after the rich. It has been stated that there are gold worth 4,000 crores in the country. But people are not giving it to the Government owing to their wrong policy.

The Government should try the following steps to face the foreign exchange crisis created by this evasion. Increase exports, stop import of cotton for manufacturing fine cloth, export excess petrol. The Governments of other countries resort to obtaining gold from public only when other avenues have been explored. But we do not find any necessity for this legislation, hence it would not be effective. Sound Legislation should have a scientific basis. The present one has not been framed scientifically, resulting in not getting anything either from the evaders or the rich people. And since this is certain fate of the Bill, the Government had better withdrawn it. They should also annul Gold Control Order, seize all gold in the country and nationalise this business. The restriction on purity of ornaments should be withdrawn.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : On a point of order Sir, there is no quorum in the House.

Mr. Deputy Speaker : The Bell is being rung Now there is quorum.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरि) : मेरे विचार से हमें इस विधेयक को दो दृष्टिकोणों से देखना होगा। पहला विदेशी मुद्रा सबन्धी कठिनाई दूर करना और दूसरा देश के अन्दर उपलब्ध सम्पत्ति का अधिक अच्छे तरीके से अर्जन करना है। आज जो धन जमा कराया जाता है वह राष्ट्रीय आय का केवल 14 प्रतिशत है। एक तो देशमें बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है दूसरे जनता में धन उद्योगों की अपेक्षा सोने पर लगाने का रुढ़ीवादी स्वभाव है। इसके लिये सरकार दो कार्य कर सकती है एक अनिवार्य

[श्रीमती शारदा मुकर्जी]

बनाकर और दूसरे सहयोग द्वारा। छिपा हुआ धन निकालने के लिये सरकार ने जनता को दो बार अवसर दिया परन्तु इसके परिणाम अुत्साहवर्धक नहीं निकले। आशा करनी चाहिय कि इस विधेयक द्वारा जो तीसरा अवसर दिया गया है उसका फल अच्छा होगा।

1962 में चीनी आक्रमण के समय और उसके पश्चात जनता ने अत्याधिक उत्साह प्रदर्शित किया और सरकार को 58 करोड़ के मूल्य का सोना प्राप्त हुआ था। कभी कभी सरकार की नीतियों में जो अकस्मात् परिवर्तन हो जाता है उससे उसके मन में भय और संदेह उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि यद्यपि सरकार द्वारा छिपे सोने को जमा करवाने वाले व्यक्तियों के नाम आदि प्रगट न करने विश्वास दिलाया गया है परन्तु फिर भी उन्हें यही भय बना हुआ है कि जाने कब सरकार अपनी इस नीति में परिवर्तन कर दे। मेरे विचार में सरकार को इसका आश्वासन देना चाहिये। मेरे विचार से सोना जमा करने के लिये छोटे पैमाने पर जमा करने वालों को पर्याप्त सुविधायें दी जानी चाहियें विशेषकर ग्राम्य क्षत्रों में बकं संबंधी सुविधाय नहीं के बराबर हैं और वहां के लोगों को यह समझाने के लिये बहुत कम प्रयत्न किये जा रहे ह कि यह योजना कसे कार्यान्वित की जायेगी और किस प्रकार उन्हें और देश के विकास को लाभ पहुंचेगा। वर्तमान स्वर्ण नियंत्रण आदेश और यह विधेयक परस्पर विरोधी हैं इसके अतिरिक्त जब तक वह आदेश लागू रहेगा इस योजना की कार्यान्विति में बाधक होगा क्योंकि उसके अनुसार तो 14 कैरट से अधिक की शुद्धता वाला सोना एक निश्चित मात्रा से अधिक अपने पास रखना गैर कानूनी है।

अन्तर्राष्ट्रीय विश्व कोष पिछड़े देशों की अपेक्षा विकसित देशों को कहीं अधिक सहायता देता है। हमें उन से यह भी पुछना चाहिये कि यदि हम उन्हें सोने के रुप में, बराबर की जमानत देकर ऋण लें तो उसे लौटाने में वह हमें क्या सुविधायें देंगे क्योंकि यदि हमें यह ऋण डालर मुद्रा में अथवा व्यापार रुप में देना है तो यह हमारे लिये लाभदायक न होगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Since this Bill seeks to reward the tax-evaders, smugglers and those people who have acquired gold and wealth by unfair means, though its purpose is to collect credit and gold for the country, therefore, I strongly oppose this Bill and I would like the Finance Minister to withdraw it.

Those anti-social and Law-breaking elements who are sought to be let off by this bill and they do not deserve to be let off socially as well as legally. What could not be achieved by Gold Control Crder is now being tried to be accomplished by unfair means.

When the Prime Minister had given the country the slogan of victory for the farmers, this Bill sought to crown the rich with victory. When the Government rate of Gold is just half the rate in the market it could not be expected that people could offer gold to the Government. It is wrong to presume that Gold or black money has been hidden by people in their safes. It is already in circulation in the form of Hundies etc. Big Government Officials and the Ministers themselves have hidden large amount of black money, which would never see the light of the day or fall into the hands of Government.

Shrimati Sahodra Bai Rai (Damoh) : Gold has generally gone underground after the Gold Control Order and now people are afraid to bring it out and deposit it in the bank lest the Government might not confiscate it after sometime. This fear has to be alleged from the people's minds if the Government really wants people to come forward with Gold. There is no dearth of Gold in the country. Women belonging to Gujarati, Marwari and other big families have

huge quantities of gold and if they get such assurance they would be ready to part with it. I want to say that even if we might not get back the gold donated to Government, we should not lower the prestige of the country, because at present our prestige is at stake. I declare on behalf of the entire womenhood of the nation that we are prepared to part with our gold for the defence of the Country.

The Bill concerns gold which is needed for the defence of the country and therefore I support it and request my friends of the opposition not to raise objections to it as this is not the opportune time to criticise such measures and their views get publicity in foreign countries.

Shri Sheo Narain (Bansi) : I feel the Government have belatedly brought forward this Bill. In fact it should have been brought at the time of Chinese aggression. Today, the whole nation stands solidly behind the Government and, therefore there is no doubt why every Indian would not participate in this programme of collection of Gold. Today the same spirit is manifest as was that of Bhama Shah for Rana Pratap.

There is no political game involved in bringing this legislation and therefore I want the Government to open Branches of the State Bank in villages so that the villagers, the farmers might participate in the scheme.

I was surprised to see that even a Communist Member Shri Daji opposed this Bill. They have thus exposed themselves. They are neither for socialism nor patriotism. Their only aim is the fulfilment of their objectives even at the cost of the well-being of the country.

I may add that whereas our jawans have given their blood our people would give gold. It is better to ask for help from our own people rather than beg from foreign countries and pay huge amounts by way of interest, that is why I opposed that proposal. Why not get gold from our own people and give them interest and other amenities like making gold bonds tax-free as has now been proposed and thus conserve our wealth within our own country. In a way gold bonds are a security to villagers against theft, dacoity and murders.

I would urge the Government to go ahead with this Bill and apply this legistion as early as possible. For villages, running banks should be started.

With these words, I support this Bill.

Shri Bishan Chander Seth (Etah) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the criterion of the success of any legislation lies in the manner how it is received by the public at large, and we have seen that all the laws brought forward in connection with Gold Control and all the facilities provided therefor have met with failure. Some hon. Members have said that so far Gold worth only Rs. 60 lakhs have been deposited. I consider it a matter of shame that such a small quantity should be forthcoming from 44 crores people, and though it has been said that it is only the beginning but only a good beginning have bright future prospects. I want to point out that like Gold Control Order, Gold Bonds Scheme is also facing defeat. It is unfortunate that the Government is meddling with the purity of Gold with the people.

How do the Government expect people to donate Gold ornaments when they are offering less than one-third their actual value. Considering the present situation I feel that Gold would be available only when all restrictions on Gold are

[Shri Bishan Chander Seth]

withdrawn. Today the people feel very much diffident and uncertain about the Government's assurance regarding return of Gold after 15 years, and who knows what would be its value then. When the Government clearly knows that 85% of Gold deposited was foreign which meant that they are encouraging people to part with this kind of Gold. It was also apparent that smuggling of Gold increased thereafter so that people got their black money converted into Gold. This situation would have to be properly studied and for this they would have to properly utilised the experience of those people who have long standing experience in the line. The officials sitting in air-conditioned offices would not help you to solve this problem.

I agree that there is enough gold in the country and Government should get it and that is why I plead that proper atmosphere might be created to bring it out.

The Government should scrap all legislation regarding Gold Control and they should take it over and nationalise it.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : On a point of order Sir. There is no quorum in the House.

Mr. Deputy Speaker : The bell is being rung. Now there is quorum.

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : हम युद्ध कर रहे हैं । उसके लिए हमें अपने सारे साधन उपलब्ध हैं । अतः हमें इस दिशा में साधन जुटाने होंगे । गत दो विश्वयु-द्धों में ब्रिटेन तथा फ्रांस ने अपना सारा सोना अमरीका को दे दिया था और उसके आधार पर युद्ध सामग्री उससे प्राप्त की थी । हम भी आज जीवन और मृत्यु के संघर्ष से गुजार रहे हैं । यदि हमने जीवित रहना है, और राष्ट्र की रक्षा करनी है तो हमें अपने सोने का मोह छोड़ना होगा और बिना संकोच उसे राष्ट्र के हित के लिए दे देना होगा । इस समय हमें और कुछ नहीं देखना है, केवल देश की सुरक्षा को ही अपने समक्ष रखना है । इसके लिए यदि साधारण विधि को त्याग कर विरोध विधि की व्यवस्था करनी पड़े तो करनी चाहिए ।

Shri R. S. Tiwary (Khajuraho) : I support this Bill which is before the House. Today the country needs gold. In this context we should not talk of Gold Control. Today what we have to face is the problem of the defence of the Country. It is no good at this moment to criticize the Government. Government want to have gold in order to buy arms for the defence of the country. I hope the response to this will be considerably good. I would also like to draw the attention of the Government as well as this House towards the villages. For their purpose the resources of the villages should be mobilised. We should have the greed for gold and save it for the defence of the motherland. We should strengthen the hands our Government and create such atmosphere in the country so that people may become defence conscious.

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : यह विधेयक जिस सिद्धान्त और लक्ष्य पर आधारित है,वह तो बहुत ही शानदार है । परन्तु प्रश्न तो यह है कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाय । मेरे विचार में यह विधयक एक ऐसे सिद्धान्त पर आधारित है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते । यह सिद्धान्त लोक नैतिकता का घोर उल्लंघन है । इस विधेयक के उपबन्धों द्वारा वास्तव में कानून तोड़ने वालों, चोर बाजारी करने वालों, कर अपवचंन करने वालों, मुनाफाखोरों तथा समाज विरोधी तत्वों के प्रति श्रद्धांजली अर्पित की गयी है । हम कसे इसका समर्थन कर सकते है । इसके विपरीत यदि सरकार छिपाये हुए सोने तथा धन का पता लगाने के लिए खुले तौर पर कोई विधेयक लाये, तो हम उसका पूरा समर्थन

करेंगे । इस विधयक से तो यह पता चलता है कि सरकार स्पष्ट रूप से यह मानती है कि वह छिपाये हुए सोने का पता लगाने के अपने लक्ष्य में नितान्त असफलता प्राप्त कर चुकी है। यह विचार व्यक्त किया गया था कि हमारे देश को दूसरे देशों से भीख नहीं मांगनी चाहिए, परन्तु अब सरकार चोर बाजारी करने वालों, जमाखोरों तथा समाज-विरोधी तत्वों से स्वयं ही भीख मागने का काम कर रही है । यह कितनी खेदजनक बात है ।

यह बात भी रक्षित बैंक के बुलेटिनों से स्पष्ट हो जाती है कि सरकार स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को भी लागू करने में असफल रही है । इस बात से स्वर्ण नियन्त्रण आदेश पर पहला आघात हुआ है कि 99 प्रतिशत शुद्ध का सोना लिया जायेगा, और वापिसी पर इतनी शुद्ध मात्रा का सोना वापिस किया जायेगा । 14 कैरेट का सोना पसन्द नहीं किया जा रहा है । इस से यह बात बड़ी स्पष्ट हो गयी है कि स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम द्वारा सोने की कीमतों को कम करने का जो उद्देश्य था उसमें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है । सरकार को यह भी बताना चाहिए कि वह स्वर्ण दरों की पहली दो श्रृखलाओं का सर्वाधिक लाभ क्यों नहीं उठा सकी है । और इस बात का क्या सबूत अथवा गारन्टी हो सकती है कि यह इस दिशा में अन्तिम अवसर होगा ।

सरकार को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि अवैध सोना देश में आ रहा है, और इस प्रकार के स्वर्ण पत्र जारी करके सरकार उस आ रहे अवैध सोने को वैध रूप प्रदान कर रही है। यह ठीक है कि विदेशी मुद्रा का संकट है, परन्तु उस संकट का मुकाबला सरकार को अन्य साधनों से करना चाहिए । इस अनैतिक विधान को इसके लिए प्रयोग करना ठीक नहीं कहा जा सकता ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल (मेहसाना) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार छिपा सोना निकालने की इच्छुक है । सरकार उन लोगों को रियायतें देगी जो कि अपना सोना बांडों में लगा देंगे । इस प्रकार का सोना 150 लाख लोगों से प्राप्त होने की आशा है । लोग वैसे भी तो कर देते ही है, अतः इसमें अनैतिकता का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता । इससे पूर्व हमने छिपा धन निकलवाने का सिद्धान्त स्वीकार किया था । इस प्रयत्न को सोना और छिपा धन निकालने का दूसरा अथवा तीसरा प्रयास कहा जा सकता है । सरकार को इस दिशा में पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि पिछले दो या तीन विधानों में हमें काफी मात्रा में सोना मिले ।

इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जिन लोगों पर इस विधेयक का प्रभाव नहीं पड़ता । निश्चय ही लोग इस विधेयक की भावना से प्रभावित होंगे । अधिकार गरीब लोग भविष्य में अपना निर्वाह करने के लिए सुरक्षा के तौर पर सोना रखते है । इस लिए मेरा निवेदन यह है कि ऐसा विधान इस विषय पर बनाया जाना चाहिए जिससे डाक घर उन पत्रों के लिए ऋण दे सकें तो कुछ और अधिक सोना उपलब्ध हो सकेगा । सरकार को इस बारे में एक बात और स्पष्ट कर देनी चाहिए कि चाहे अधिनियम में आगे चल कर कोई भी संशोधन किया जाय, 15 वर्षों के पश्चात पत्रों में लगाया गया सोना निश्चित रूप से ही सोने के रूप में वापिस किया जायेगा । इस बारे में सरकार को पूर्ण निष्ठा के साथ आश्वासन देना चाहिए । और यह भी ठीक ही है कि लोगो के दिलों में इस तरह की विश्वास की भावना केवल लोगो के प्रतिनिधियों द्वारा ही निर्माण की जा सकती है ।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

यह भी ठीक ही है कि सभी लोगों को छूट देने की कोई आवश्यकता नहीं है । अधिकतम मात्रा में सोना देने वालों को भी छूट देने की आवश्यकता नहीं है । कुछ सीमा निर्धारित हो जानी चाहिए और उसके बाद जो भी कोई आए उन पर कर लगाया जाना चाहिए । स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम केवल नाम मात्र ही है । यदि सरकार यह अनुभव करती कि पहले दो उपायों से पूर्वानुमान के अनुसार काफी मात्रा में सोना मिल नही रहा है, तो उसे स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को समाप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए । फिर यह कानून नहीं बना रहना चाहिए ।

श्री मुथिया (तिरूनेलवेली) : हम बड़े संकट काल से जा रहे है । देश के समक्ष चीन और पाकिस्तान ने भयंकर खतरा पैदा कर दिया है। इमें अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत बनाना है । अपनी सैनिक शक्ति बढानी है । अमरीका और इंग्लैंड ने हमें सैनिक सहायता देना बन्द कर दिया है । अन्य देशों से जो हमें शस्त्र दे सकते है, शस्त्र खरीदने होंगे । उसके लिए हमे सोना चाहिए ताकि विदेशी विनिमय प्राप्त कर शस्त्र खरीदे जाय । प्रधान मंत्री ने इसी बात को कहा है । हमारा विदेशी विनिमय 100 करोड़ से कम है । इस लिए ही तो राष्ट्रीय सुरक्षा बांड 1980 चलाये है । स्वर्ण बांड को तनिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ करों में रियायत देना जरूरी है । इस दृष्टि से अक्तूबर 1965 को प्रधान मंत्री जी ने जो योजना घोषित की है उसका स्वागत किया जाना चाहिए । यह सरकार का व्यवहारिक रूख है । सरकार चाहती है कि देश में जो भी स्वर्ण बांड के संसाधन है उन्हें एकत्रित कर लिया जाय । इसके दो ढंग हैं। एक तो यह कि सोना बड़े बड़े लोगों से लिया जाय, जिनके पास है । और जिन लोगों के पास काला धन है। दूसरा यह भी है कि सामान्य लोगों से प्राप्त किया जाये जिनके पास सोना तो नहीं, परन्तु सोने के जेवर हैं ।

वर्तमान योजना की सफलता आम लोगों की इसके प्रति उदार प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है जो जमा किये गये अपने सोने में से कुछ सोना देने के लिये बहुत ही देशभक्त हैं । परन्तु सामान्य जनता के मन में कुछ शंकायें हैं जिनका सरकार को समाधान करना चाहिए । यदि सरकार चाहती है कि लोग सोना बांडों में भारी मात्रा में सोना लगायें तो सोना नियंत्रण अधिनियम के उन कड़े उपबन्धों में, जिनसे लोगों के मनों में शंकायें उत्पन्न हो गई हैं, या तो रूपभेद किया जाये अथवा आपात में उन्हें लचीला बनाया जाय । आम व्यक्ति के इस डर को कि यदि वह एक बार अपने पुराने आभूषण दे देगा तो वह बाद में इतनी शुद्धता के नये आभूषण नहीं बना सकेगा, सरकार द्वारा पर्याप्त गारंटी देकर तथा प्रचार करके इसे पूर्णतया दूर किया जाना चाहिये ।

भारत में लगभग 5000 करोड़ रूपये के मूल्य का कुल सोना है । सरकार को लोगों की देशभक्ति की भावना को प्ररित करके तथा उचित प्रोत्साहन देकर इसे बाहर निकालना चाहिये । इस प्रयोजन के लिये प्रेस, सभामंच, रेडियो तथा फिल्मों का पूरा उपयोग किया जाना चाहिये । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये केन्द्र, राज्य, जिला और पंचायत संघ स्तर पर संगठन स्थापित किये जाने चाहिये । विधेयक के खण्ड 8 पर इस आधार पर आपत्ति की गई है कि इससे करापवंचन तथा सोना और धन जमा करने के लिये उत्साह मिलता है । परन्तु यह महसूस किया जाना चाहिये कि इस खण्ड के अन्तर्गत आयकर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा हुआ साधारण प्रक्रिया से तलासी लेने तथा सोना तथा छिपा हुआ अथवा लेखा-बाह्य धन को पकड़ने की मनाही नहीं है । पन्द्रह वर्ष की अवधि समाप्त होने पर सोना वापस करने की सरकार में क्षमता है, इस बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिये । देश में कितनी ही सोने की खानें हैं और सरकार में, निर्यात बढ़ा कर, अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमाने की क्षमता है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं केवल एक सुझाव माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं । इस विधेयक का लक्ष्य बहुत महान है, यह तो मान लिया गया है अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी वर्गों को सरकार की सहायता करनी चाहिए । यही बात मैं विरोधी दल के माननीय मित्रों को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक के विरोध में बड़े बड़े भाषण दिये हैं ।

मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना से पूर्व 1962 तथा 1965 में जिन लोगों ने स्वर्ण बांड योजना के अन्तर्गत स्वर्ण बांड खरीदे थे, यदि वे चाहें तो उन्हें यह वैकल्प किया जाये कि वे अपने स्वर्ण बांडो को वर्तमान स्वर्ण-पत्र योजना की शर्तों के अन्तर्गत ला सके ताकि उन्हे भी वही रियायतें दी जा सकें जो उन लोगों को दी जा रही हैं जो आजकल स्वर्ण-पत्र खरीद रहे हैं ।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर मध्य-दक्षिण) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं इस लिये नहीं कि यह अच्छा है प्रत्युत इस लिये कि यह बड़ा आवश्यक है । हम संकट काल में से गुजर रहे हैं और सरकार के संसाधन बढ़ाने की अभी भी बहुत आवश्यकता है, हमें यह महसूस कर लेना चाहिये

कि इस संकट के काल में सरकार को किसी भी मूल्य पर सोना मिलना ही चाहिये। विधेयक के अन्तर्गत जो रियायतें दी जा रही है उन पर तो उपलब्ध होना ही चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि आपात-कालीन स्थिति न होती तो कोई भी इन रियायतों का समर्थन न करता। सामान्य शांति के समय में इस तरह की रियायतों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता।

नई स्वर्ण बाँड योजना के अन्तर्गत आज तक जो भी स्वर्ण बाँड खरीदे गये है, उनकी मात्रा अधिक नहीं, अतः हम यह कह सकते है कि जो भी रियायतें दी गयी हैं वे बहुत अधिक नहीं है। मतलब यह है कि हमें सोना मिल नहीं रहा और हमें हर कीमत पर प्राप्त करना है।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिबसागर) : विधेयक का लक्ष्य यह है कि सोना प्राप्त किया जाय। क्योंकि प्रतिरक्षा तथा विकास के लिए सोना अपेक्षित है। सामूहिक तौर पर विधेयक का विरोध किसी ने न किया। खंड 8 के अन्तर्गत जो रियासतें दी गयी है उसकी काफी अलोचना की गयी है। यह बात ठीक ही है कि इससे इमानदार करदाताओं को काफी निराशा होगी। इस पर भी विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना ही पड़ता है। 10 प्रतिशत सोना छिपा हुआ है, उसे बाहर निकालना ही है।

मुझे इस सम्बन्ध में चार सुझाव देने है :

पहला—योजना के अन्तर्गत प्रति 10 ग्राम सोने पर मिलने वाला 2 रुपये ब्याज को आयकर-युक्त कर दिया गया है। सोने के प्रचलित मूल्य जो कि लगभग 125 रुपये प्रति 10 ग्राम है, के आधार पर यह 1.6 प्रतिशत निकलेगा, यदि इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मूल्य के आधार पर निकाला जाए, तो भी लाभ केवल $3\frac{1}{2}$ बैठता है। इसे और अधिक वास्तविक स्तर पर लाने के लिये ब्याज की इस दर में वृद्धि कर जानी चाहिए।

दूसरा यह कि इस योजना के अन्तर्गत जेवरों के रूप में सोना देने वाले लोगो को दस ग्राम पर तीन रुपया देने की व्यवस्था की गई है। यह दर कम है क्योंकि जेवरों को बनाने का खर्च 10 से 12 रुपये तक होता है। अतः यह दर कुछ और बढ़ा देनी चाहिए।

तीसरा यह कि स्वर्ण बाँडों को बदलने की व्यवस्था की गई है, और यहां तक कि इन बांडो की प्रत्याभूति पर, धन भी प्राप्त किया जा सकता है, इन स्वर्ण बाँडो को बियरर बोंडों के रूप में जारी किये जाने पर ये और भी अधिक आकर्षक बन जायेंगे।

अन्त में सरकार इस प्रश्न पर भी विचार कर सकती है कि क्या कम से कम 31 जनवरी, 1966 तक सोने के क्रय-विक्रय पर कानूनी तौर पर रोक लगाई जा सकती है अथवा नहीं।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूँ।

योजना मंत्री (श्री ब०रा० भगत) : यद्यपि प्रस्तुत विधेयक का आशातीत स्वागत तो नहीं हुआ है, तथापि उसे ठोस समर्थन अवश्य प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत विधेयक पर कुछ माननीय सदस्यों द्वारा मुख्यतः दो अथवा तीन कारणों से आपत्ति की गई है। प्रथम कारण यह बताया गया है कि इससे सार्वजनिक नैतिक स्तर गिर जायेगा और इससे इस कानून के प्रति अश्रद्धा तथा सन्देह उत्पन्न हो जायेगा। दूसरा यह कि अधिकतर लोग यह विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं कि सरकार 1980 में सोना अवश्य वापस लौटा देगी। तीसरा जो एक विचित्र कारण है वह यह कि प्रस्तुत योजना को सफल अथवा आकर्षक बनाने के लिए ब्याज के रूपमें पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिये जा रहे हैं। आलोचक सदस्यों का कथन यह है कि प्रस्तुत योजना में सफलता केवल तभी मिल सकती है जब कि सरकार स्वर्ण नियंत्रण आदेश रद्द कर दे। माननीय सदस्यों ने केवल यही एक रचनात्मक सुझाव दिया है।

[श्री ब० रा० भगत]

मैं सदस्यगणों से फिर से यही अनुरोध करुंगा और जोर दूंगा कि वे इस विधेयक पर वर्तमान आपातकाल के सन्दर्भ में विचार करें। स्थिति से अत्यधिक विवश होकर सरकार इसे जाने के लिए बाध्य हुई है। जहां तक दी गई रियायतों का सम्बन्ध है, वे न तो किसी प्रकार हानिकारक हैं और न ही उनसे सार्वजनिक नैतिकता अथवा अन्य किसी नैतिकता पर कोई आघात नहीं पहुंचता है। ये रियायतें निश्चित कारणों से दी जा रही हैं। हमने यह उद्घोषणा की है कि हम आत्म निर्भर बनेंगे और स्वत: सब दबावों का मुकाबला करेंगे और उनके समक्ष नहीं झुकेंगे। अत: हमें सभी संसाधनों को बढ़ाना है। हम योजना को नया रूप दे रहे हैं और अपनी नीतियों को नया रूप दे रहे हैं और आयात में कमी कर के, आयात-स्थानापन्न की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी प्रकार निर्यात में वृद्धि करने के प्रयत्न किये जा रहे ह। ऐसे समय में जब कि विदेशों से सहायता मिलने की भविष्य में आशा कम है क्योंकि दिये गये वचन इस समय भी पूरे नहीं किये जा रहे हैं, और हमारी योजना तथा प्रयत्नों को प्रभावी होने में दो एक-वर्ष का समय लग सकता है, तो इस अन्तर्कालीन अवधि के दौरान, जब हमें निकट भविष्य में ही बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्या किया जाए? इस संदर्भ में, हमने सोचा कि सोना ही केवल इस समय एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे कि आगामी महिनों मे आने वाले भयंकर विदेशी मुद्रा सम्बन्धी संकट का निवारण किया जा सकता है। हमारे देश में सोना बहुत है। प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री अथवा पुरुष के लिए सोना, जेवर अथवा अन्य किसी रूप में रखना परम्परागत एक राष्ट्रीय पद्धति बनी हुई है। सोना विदेशी मुद्रा में अबाद्य रूप से परिवर्तन किया जा सकता है और आगामी माहों में यदि हमें सोना काफी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, तो हम अपनी सभी, अविलम्बनीय आवश्यकताओं यथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी, या अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं सम्बन्धी या खाद्यान्नों सम्बन्धी अथवा उर्वरकों की जिनकी शख्त जरुरत है, को पुरा कर सकते हैं। अवाद्य विदेशी मुद्रा के अभाव में हमें यहां तक कि अत्यावश्यक आवश्यकताओं में भी कटौती करनी पड़ेगी। हमें ऐसी अत्यधिक आवश्यकता के समय और इस बिकट स्थिति में सोने की शरण लेनी पड़ी है। प्रस्तुत विधेयक में मुख्य अपील विशेषत: इस वातावरण में लोगों की देशभक्ति की भावना की एक अपील की गई है। हमने उन सभी व्यक्तियों न्यासों, मन्दिरों, संस्थाओं, जिनके पास सोने के काफी बडे भंडार हैं, रियायतें दी हैं। स्वर्ण नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत काफी मात्रा में सोना घोषित हो चुका है। किन्तु अभी काफी अघोषित भी बकाया है जो छिपा हुआ है। वर्तमान संदर्भ में यह एक व्यवहारिक प्रस्तावना नहीं है कि हम घर-घर जा कर सोने के लिए तलाशी करते फिरें और इस प्रकार सोना प्राप्त करें। ऐसा करना प्रजातंत्रीय ढंग नहीं है। और सरकार ने कभी किसी कानून को नहीं तोड़ा है, अत: निसन्देह, कोई भी समझदार तथा होशियार व्यक्ति कम से कम यह नहीं सोच सकता कि प्रस्तुत विधेयक अप्रजातंत्रीय है। और वह नैतिकता का उपहास करने वाला है।

इस सभा ने काले धन को बाहर निकालने के लिए स्वत: रियायतें दिये जाने के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। इसी प्रकार की रियायतें उन व्यक्तियों को दी गई हैं जिनके पास सोना है। वर्तमान स्थिति का लाभ उठाकर सरकार ने उन्हें इस सम्बन्ध में काफी प्रोत्साहन दिया है कि वे अपना सोना दें और उससे लाभ उठावें। धनी व्यक्ति जिनके पास पर्याप्त मात्रा में सोना है, संभवत: आर्थिक पहलुओं से प्रेरित हो सकते है। इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली रियायतें अथवा व्याज-दरें न्यायोचित हैं। यद्यपि सरकार ऐसी आशा करती है कि कुछ श्रेणी के लोग इस पर आर्थिक लाभ की दृष्टि से विचार करेंगे किन्तु देश की अधिकतर जनता जिस पर सम्पत्ति अथवा उपहार-कर या अन्य बातों का प्रभाव नहीं पड़ता, के लिए इन रियायतों का कोई अर्थ नहीं है। सरकार को सोने की आवश्यकता है, चाहे उसे कहीं पर दो ही तोला क्यों न मिले, वह उसे भी स्वीकार कर लेगी। अत: सरकार प्रस्तुत विधेयक के जरिये समस्त देश की जनता से पुनीत देशभक्ति की अपील करती है। देश में ऐसे व्यक्तियों अथवा संस्थाओं की संख्या बहुत ही कम है जिनके पास सोने के बड़े भंडार हैं और जो केवल रियायतों में रुचि रखते ह—उनके लिए सरकार ने इन रियायतों की व्यवस्था की है।

एक और बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि सरकार ने काले-धन को स्वेच्छा से प्रकट किये जाने के सम्बन्ध में अतिरिक्त रियायतें तथा प्रलोभन दिये हैं और लोग अपने काले-धन को सोने में परिवर्तित करके उसे दे देंगे। यदि ऐसी बात होती, तो आज सरकार के पास बहुत सोना इकट्ठा हो गया होता। श्री मसानी को जो इन लोगों की लीलाएं जानते हैं, प्रारम्भ में ही यह नहीं कहना चाहिए था कि स्वर्ण बॉन्ड योजना असफल हो गई है। उन्होंने अपने दल के लिए यह उद्घोषणा कर दी है कि वे इस योजना में योगदान न दें क्योंकि इस के अन्तर्गत उन लोगों को रियायतें अथवा प्रलोभन दिये गये हैं जिनके पास सोना है। किन्तु आर्थिक लाभ की दृष्टि से विचार किये जाने वाले पहलू इस प्रकार काम नहीं करते। हां, मैं अन्य किसी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये इस प्रश्न को मानता हूँ कि इससे चोरी-छिपे और अधिक सोना लाने-ले जाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और इस काले धन से नया तस्करी सोना खरीद कर उसे स्वर्ण बॉन्डों में परिवर्तित कर दिया जायेगा। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार तस्कर-व्यापार विरोधी उपायों को काम में लाने के सम्बन्ध में यदि अधिक नहीं, तो कम से कम पहले की भांति कठोर बन रहने के लिए प्रयत्नशील है। अतः हम इस ओर से सतर्क हैं, फिर भी ऐसा माना जा सकता है कि इस प्रकार तस्कर व्यापार से प्राप्त सोना कुछ न कुछ मात्रा में जरूर आ सकता है। अगर उद्देश्य केवल यह है कि ऐसा सोना सरकार को लौटा दिया जाये और कुछ काले धन को उचित रूप दिया जाए, तो इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा देश से तत्काल बाहर नहीं जाती। इस लिए, ऐसी सभी प्रकार की आशंकायें कि स्वर्ण बॉन्ड योजना के जरिये काला धन उचित धन का रूप ले लेगा अथवा सोने के बड़े-बड़े भंडार धारियों को दी गई रियायतों का दुरुपयोग किया जायेगा, उचित नहीं हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत योजना को 'देशभक्ति के साथ लूट' की संज्ञा दी है, किन्तु ये शब्द आलोचना अथवा विरोध करते समय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये कठोर विचारों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं।

अब मैं इस मुख्य रचनात्मक सुझाव के प्रति सरकार का दृष्टिकोण सामने रखूंगा कि योजना की सफलता के लिए स्वर्ण नियंत्रण आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि वह प्रस्तुत योजना की सफलता के मार्ग में बाधक सिद्ध होगा। स्वर्ण नियंत्रण आदेश में ऐसे उपबन्ध हैं जिनके अनुसार सोने को उसी शुद्धता के साथ जेवरों में बदलने के लिए विभिन्न रूपों में छूट की शक्तियां दी गई हैं। सुनारों के पक्ष में भी यह रियायत दी गई है। इसी प्रकार सरकार के पास राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए छूट देने की शक्तियां हैं। इस तरह सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण आदेश के उपबन्धों के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार स्वर्ण बॉन्ड योजना के अन्तर्गत सोना देने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वर्ण नियंत्रण आदेश के उपबन्धों से छूट दी जायेगी। अतः यह कहना कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश प्रस्तुत योजना की सफलता के मार्ग में बाधक होगा, सच नहीं है।

एक दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि लोगों को ऐसी आशंका है कि 15 वर्ष बाद उनका सोना शायद ही लौटाया जायेगा। जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है, स्वर्ण बॉन्ड अन्य किसी प्रतिभूति की तरह सरकारी प्रतिभूति है। उन्हें सभी सुविधायें प्राप्त हैं। सरकार केवल अपने लोगों से ही नहीं अपितु बाहर से भी बहुत मात्रा में सोना ऋण ले रही है। सरकार ने निकट से विकट परिस्थितियों में भी सदैव देय धन का भुगतान किया है। वर्तमान सरकार चाहे 15 वर्ष तक रहे अथवा न रहे, किन्तु निश्चित रूप से, देश में कोई अराजकता नहीं फैलेगी। प्रति वर्ष बजट में बाह्य ऋण के भुगतान की व्यवस्था की जाती है। इसलिए देश में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करना कि स्वतः हमारी देश की जनता को हमारी सरकार की साख में विश्वास नहीं है, जब कि बाह्य देशों तथा उन देशों की जनता को हमारी सरकार की साख में पूरा विश्वास है, और यह कहना कि सरकार निश्चित अवधि के पश्चात् उन्हें सोना नहीं लौटायेगी, यदि खतरनाक नहीं, तो भ्रान्तिजनक धारणा अवश्य है। यह उपाय अत्यधिक आवश्यकता की समय निकाला गया है—जिसमें देश के जीवन सम्बन्धी तथ्यों पर विचार किया गया है और इस के अन्तर्गत दी गई रियायतें न्यायसंगत तथा उचित हैं। केवल आर्थिक अथवा भौतिक लाभ की दृष्टि से ही योजना की सफलता नहीं आंकी जा सकती अथवा उन पहलुओं पर ही उसकी सफलता निर्भर नहीं रहती। मैं तो अब भी यह महसूस करता हूं कि स्वर्ण योजना अब आरम्भ होगी, किन्तु यह 'आरम्भ' सभी दलों तथा देश के तत्वों के समर्थन के आधार पर ही आरम्भ हो सकता है।

[श्री ब० रा० भगत]

यह कहना सर्वथा गलत है कि सरकार दबाव में आकर इस योजना को समाप्त कर देगी अथवा इस सम्बन्ध में और अधिक रियायतें देगी। जहां तक आम जनता का सम्बन्ध है, सरकार उस के दिल को उचित तर्कों से प्रभावित कर के, इस योजना को सफल बनाना चाहती है और जहां तक काले-बाजारियों तथा जमाखोरों का सम्बन्ध है, सरकार डंडे का प्रयोग करने के लिए तैयार है।

अब मैं श्री मुरारका द्वारा उठाये गये कुछ विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा है कि जैसा धन-कर (वेल्थ टैक्स) के सम्बन्ध में बाद में किये जाने वाले सौदों पर छूट देने की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार सम्पदा शुल्क (इस्टेट ड्यूटी) तथा दान-कर (गिफ्ट टैक्स) के सम्बन्ध में भी छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने इस बात को माना है कि धन-कर एक ऐसा कर है जो सालाना लगाया जाता है और जिसकी दर कम होती है। यह कानून ही इस प्रकार बनाया गया है कि चाहे वह प्रारम्भिक करदाता हो, या न हो, उसे छूट मिलती है। सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में हमने यह व्यवस्था की है कि जिस व्यक्ति के पास बॉन्ड हों और यदि वह मर जाए तो, सम्पदा शुल्क नहीं लगाई जायेगी, चाहे वह प्रारम्भिक करदाता हो या बॉन्ड का खरीददार हो, इसलिए कम से कम एक मृत्यु तक छूट दी जाती है। दान कर के सम्बन्ध यह छूट केवल प्रारम्भिक कर-दाता को ही दी जाती है वह एक प्रकार का प्रोत्साहन होता है जिससे कि वह अपनी पूंजी लगा सके। दान-कर में जहां पर अत्यधिक अधिक होती है वहां भी छूट दी जाती है। सम्पदा शुल्क में भी छूट दी जाती है। दान-कर के मामले में उसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए वह धन कर से भिन्न है। धन-कर, जैसा कि मैंने कहा, सालाना कर है और दर भी 1 प्रतिशत अथवा 1½ प्रतिशत है। दान-कर की दर 50 प्रतिशत तक और सम्पदा-शुल्क की सर्वाधिक ऊंची दर अर्थात् 85 प्रतिशत है। इसलिए, इन की भिन्नता समझना आवश्यक है और माननीय सदस्य द्वारा इतने योग्यतापूर्ण ढंग से किये गये प्रस्ताव को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं यह आशा करता हूं कि यह सभा प्रस्तुत विधेयक की अविलम्बनीय तथा विधेयक की इस योजना और वर्तमान आपातकाल को दृष्टि में रखकर सरकार द्वारा दी गई रियायतों के सम्बन्ध में सराहना करेगी। मैं जानता हूँ कि आज देश देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत है, मैं अब भी यही कहता हूँ कि यह एक आर्थिक योजना नहीं है, यद्यपि इस पर आर्थिक लाभ की दृष्टि से भी कुछ विचार करके कुछ रियायतें दी गई हैं और यह एक लोकप्रिय योजना होनी चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्तिसे जिसके पास सोना हो, अनुरोध करना है। विशेषत: महिलाओं को बहिनों के पास जाकर उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि देश को उनके सोने के रूप में योगदान की आवश्यकता है; क्योंकि उनके देश की स्वतन्त्रता अन्तर्ग्रस्त है। देश को निकट भविष्य में विकट समस्याओं तथा बाहरी चुनौती का सामना करना है, इसी उद्देश्य से देश ने आत्मनिर्भर होने का निर्णय किया है। मैं जानता हूँ कि लोगों की देशभक्ति ही केवल इस योजना की सफलता का आधार है। अत: सरकार ने डंडे के स्थान पर अनुनय की शरण ली है। इसी भावना को लेकर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले तथा राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बॉन्ड, 1980 में विनियोजित अप्रकट आय के कतिपय मामलों में कर से छूट देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।/*The Lok Sabha was divided.*

पक्ष में 55, विपक्ष में 14. Ayes 55, Noes 14.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/ *The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : कल इस पर खण्डवार विचार आरम्भ किया जायेगा।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय को जो पत्र भेजा था उसमें बताये गये कारणों के फलस्वरूप मैंने यह प्रार्थना की है कि जीवन बीमा निगम पर रखे गये मेरे अनियत दिन वाला प्रस्ताव जिसे कल की कार्य-सूची में रखा गया है, अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया जाए।

श्री ब० रा० भगत : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अगले सप्ताह तक स्थगित कर दिया गया। अब सभा श्री कपूर सिंह द्वारा उठायी जाने वाली आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेगी।

---

*पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सिख लड़कियों तथा महिलाओं का बलपूर्वक अपहरण
*FORCIBLE CAPTURE OF SIKH GIRLS AND WOMEN BY PAKISTAN ARMY PERSONNEL

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पूर्व, जब मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया तो मुझे मालूम हुआ कि इस भारत-पाक संघर्ष के दौरान, सितम्बर के प्रथम सप्ताह में, पाकिस्तानी सैनिक कर्मचारी भारत के कुछ विशेष उन गावों में घुस आये जिनमें पूर्णत: सिख लोग रहते थे और लगभग 70–80 जवान लड़कियों तथा औरतों को अपनी ट्रकों में बिठा कर उठा ले गये। सेना ने उन्हें छुड़ाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इनमें से 8 जवान लड़कियों को एक उस पाकिस्तानी चौकी पर रात के लिए रोक लिया गया जहां 8 पाकिस्तानी सिपाही ठहरे हुये थे, अन्य औरतों को पाकिस्तान ले जाया गया। दूसरे दिन प्रात: हमारे कुछ सैनिक विमानों ने उस क्षेत्र के ऊपर उड़ान की और वहां के पाकिस्तानी सिपाही भय से खाइयों में जा छुपे, इससे लाभ उठा कर वे आठ सिख लड़कियां उनके चन्गुल से बच कर भाग निकली। अन्त में, एक लड़की सतलज नदी में डूब जाने के कारण मर गई और अन्य सात लड़कियां नदी पार करके भारतीय राज्य क्षेत्र में सुरक्षित लौट आईं।

पूछ ताछ करने पर मुझे यह भी पता चला कि पंजाब सरकार ने इस घटना को दबाये रखने की हिदायतें दी हुई थीं और मुझे यह भी मालूम हुआ है कि सेना ने आदेश दिये थे कि इन अपहृत औरतों को बचाने के सम्बन्ध में कोई कारवाई न की जाये। अपने निर्वाचन-क्षेत्र से विदा होने के पूर्व, मैंने डाक्टर गुरुबचन सिंह से, जो उस क्षेत्र के सर्वाधिक जुम्मेवार व्यक्ति तथा एक सेवा-निवृत्त सहायक सर्जन हैं, मैंने इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तृत विवरण तथा वास्तविक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके मुझे पत्र लिखने को कहा था, उन्होंने इस सम्बन्ध में मुझे एक पत्र लिखकर भेजा है जिसे मैं उसके लिफाफे सहित † सभा-पटल पर रखता हूँ।

कुछ दिन पूर्व इस सम्बन्ध में मेरा एक तारांकित प्रश्न था जिसका सभा में उत्तर न दे कर, एक लिखित उत्तर मेरे पास भेजा दिया गया, जिसके आधार पर मैं अब इन तीन विशिष्ट प्रश्नों पर एक चर्चा उठाना चाहता हूँ :

(1) इस मामले में भारत सरकार तथा पंजाब में उसके एजन्टों की संदिग्धता तथा टाल-मटोल सिख लोगों सहित समूचे देश के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है।

---

*आधे घंटे की चर्चा

** Half an-hour discussion.

†अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में आवश्यक अनुमति न दिये जाने के कारण पत्र सभा-पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

† The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission the letter was not treated as laid on the Table.

[श्री कपूर सिंह]

(2) इन अभागी औरतों को बचाने के लिए आवश्यक सैनिक कार्यवाही न करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला भारत सरकार के प्रतिरक्षा मंत्री का उत्तरदायित्व।

(3) पाकिस्तानी प्राधिकारियों की इस मामले में जूरल तथा दण्डनीय उत्तरदायित्व।

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे केवल यह कहना है कि पंजाब सरकार तथा भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में जो रवैया अपनाया है, जैसा कि 15 नवम्बर के मेरे प्रश्न के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर से स्पष्टत: जाहिर है, वह या तो उनकी एकदम अयोग्यता है, अथवा यह दण्डनीय टाल-मटोल है।

जहां तक दूसरे प्रश्न अर्थात् प्रतिरक्षा मंत्री के उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है, मैं उन्हें महाभारत की याद दिलाउंगा। यह युद्ध केवल एक स्त्री को अकारण अपमानित किये जाने पर उसका बदला लेन के लिए लड़ा गया।

महाभारत को ओर न जाकर मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान आधुनिक काल के पानीपत के तृतीय युद्ध की ओर दिलाऊंगा जो 14 जनवरी, 1761 में मराठों तथा अफगान आक्रमणकारी महमद शाह अबदाली के बीच हुआ। राजपूत इस युद्ध से अलग रहे, जाटों का अपमान किया गया और सिखों को कभी आमंत्रित नहीं किया गया। इसके बावजूत भी सिखों ने मराठों के लिए सामान आदि की व्यवस्था की और इसके अतिरिक्त—यद्ध में मराठों को हार हो जाने पर, इतिहासकारों के कथनानुसार, अब्दाली के हाथ लगभग 5,000 सर्वोच्च ब्राह्मण खानदान के मराठों तथा राजवाडों की औरतें लगा, इस पर उसने कहा कि यदि मझे इन औरतों के लिए उचित धन दिया जाये, तो मैं उन्हें मुक्त कर सकता हूं किन्तु कोई भी धन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब सिखों को इस घटना के बारे में मालूम हुआ तो यद्यपि वे अच्छी प्रकार संगठित नहीं थे तथापि, वे गोइंदवाल में नदी पार करते समय आक्रान्ता पर झपट पड़े और 2,200 स्त्रियों को मुक्त कर दिया। खालसा घुड़सवारों ने प्रत्येक बहिन को उसके घर हजारों मील दूर महाराष्ट्र में सुरक्षित पहुंचाया। स्त्रियां संपूर्ण मार्ग में घोड़ों पर सवार थीं और सिख उनके साथ-साथ पैदल चलकर सन्तुष्ट थे। क्यूनिंघम ने अपने इतिहास में इस घटना को "पूर्व में शूरता का महानतम् कार्य" कहा है।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा कि इस दुष्कृत्य के लिये पाकिस्तान कहां तक दोषी ठहराया जा सकता है और वह कहां तक उत्तरदायी है? इसका एक वैधानिक और सांस्कृतिक पहलू है और जहां तक हमें पता है जेनीवा और हेग सम्मेलनों में आक्रान्ता को प्राप्त असाधारण शक्तियों का परिसीमन कर दिया गया है। परन्तु इन में शत्रु की स्त्री जाति का अपहरण शामिल नहीं है—यह कोरी पशुता है और सभी अन्तर्राष्ट्रीय विधानों तथा परम्पराओं के विपरीत है।

जहां तक सांस्कृतिक पहलू का संबंध है गुरु गोविन्द सिंह जी ने इस कुकर्म की बिलकुल मनाही की है और यह हमारे हिन्दु धर्म के विपरीत है। क्योंकि हम कदापि ऐसा नहीं करेंगे इसलिये मैं पाकिस्तानी प्रेजिडेण्ट अय्यूब और जनरल मूसा से अनुरोध करूंगा कि वह इस कुकर्म की ओर ध्यान दें, हम इन दोनों व्यक्तियों को भली भान्ति जानते हैं और इसीलिये आशा करते हैं कि यह अपने नाम पर बटा नहीं लगते देंगे।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं जानना चाहता हूं कि इस गांव में रहने वालों का क्यों उचित बचाव नहीं किया गया और यह दुर्घटना हो जाने पर क्यों उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया?

श्री बड़े (खारगोण) : सरदार कपूर सिंह जी के वक्तव्य को सुनकर हमारा रक्त खौल उठा है और आशा है कि श्री चव्हाण भी ऐसा ही अनुभव कर रहे होंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि इस घटना की कोई जांच की गई है और अपने स्वभावानुसार सरकार ने क्या पाकिस्तान को इस संबंध में कोई विरोध-पत्र भेजा है?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी (जोधपुर) : माननीय सदस्य द्वारा सरकार की इस दु:खद घटना को सूचना दिये जाने के पश्चात क्या उन्होंने इन सात लड़कियों के बयान दर्ज किये हैं और इनकी जांच करायी है ? हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I want to know as to what the Government or the Ministry of Defence contemplate to do so that it might create a good impression and some positive action taken ?

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Whereas our officers and Jawans have treated the families captured in the Lahore Sector in a very civilised manner. Pakistan has flouted all tenets of civilisation. Whether the Ministry of Defence have ascertained facts of the case and if the statement of these girls have any truth in them. What action the Government have taken against this barbaric action ?

Shri Buta Singh (Moga) : When danger was apprehended in the border areas consequent on our forces crossing the border, I want to know why the Government of India and the Punjab Government did not inform the people in those areas before hand ? Secondly the Sikhs there are not given weapons because they are suspected. Otherwise they could save their sisters. I want to know how long this policy will continue ?

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : When the Government knew that these border villages of Punjab are open to attack, why the Government did not get them vacated and why Government did not make adequate arrangements for the defence of these people ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Whether Government had received any complaints from the Guardians etc. of the girls kidnapped by Pakistanis ? If so, what progress the Government have made regarding the investigation ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस मामले का वास्तविक विवरण देने से पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ माननीय सदस्य ने बताया है वह मैं पहली बार यहां ही सुन रहा हूं। जब उन्होंने एक तारांकित प्रश्न की सूचना दी तो हमें पंजाब सरकार ने टेलीफोन द्वारा यही बताया कि इन दो गावों में कुछ परिवारों का पता नहीं चल रहा है, परन्तु इस सूचना की पुष्टि नहीं हुई थी, इसलिये मने लापता स्त्रियों की संख्या नहीं बतायी थी।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मुझे यह ब्योरे केवल गत रविवार को ही प्राप्त हुये हैं। हुआ यह कि जब हमारी सेनाओं ने लाहौर क्षेत्र में प्रवेश किया तो इन दो गावों में कुछ गोलीबारी हुई और आक्रमण आरम्भ हो गया।

कुछ सदस्यों ने जो इन क्षेत्रों को खाली कराने का कहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे मन में पंजाब के ग्रामीणों के प्रति बहुत श्रद्धा है और जहां भी सैनिक चौकियां थी वहां के ग्रामवासियों ने वहां से जाने से इन्कार कर दिया था और हम उन्हें चले जाने को बाध्य करके आतंक नहीं फैलाना चाहते थे और न ही हमें यह पता था कि आक्रमण कहां आरंभ होगा। फिर भी कुछ ग्रामीण वहां से चले गये थे। कुछ स्त्रियों के खाइयों में छिपने और वायु सेना द्वारा उनकी रक्षा किये जाने और उन स्त्रियों के नदी पार करने पर यह संरक्षण हटा लिये जाने की बात मैं पहली बार सुन रहा हूं और यदि प्रश्न पूछने से पूर्व मुझे यह सूचना मिलती तो मैं वश्य ही जांच कर के सभा को आगे की सूचना दे सकता था।

[श्री० यशवंतराव चव्हाण]

मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रगट की गई चिन्ता और रोष में पूरी तरह शामिल हूं और स्वयं मेरे सहित जो कोई भी इन महिलाओं के सम्मान की रक्षा में बेपरवाही करने का दोषी होगा उसे निश्चय ही इसका परिणाम भुगतना होगा। परन्तु भारतीय सेनाओं की परम्परा को देखते हुये यह सम्भव नहीं है कि कोई भी ऐसा कर सकता है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हमारी सेनाओं में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार महिलाओं को अपमानित नहीं होने देगा। और माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उस संबंध में मैं अग्रेतर जांच करुंगा और यदि किसी ने जान बूझ कर चूक की होगी तो उसे अवश्य ही दण्ड मिलेगा।

इस बीच हम ने इन्टरनैशनल रैड क्रास को यह पता लगाने के लिये कहा है कि इन महिलाओं से कैसा व्यवहार वहां किया गया है। भारत का सम्मान केवल इसकी भूमि का ही सम्मान नहीं है परन्तु इसमें उसके प्रत्येक देशवासी का सम्मान भी शामिल है, और हम इसीकी रक्षा के लिये लड़ रहे हैं।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 18 नवम्बर, 1965/27 कार्तिक, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November, 18th 1965/Kartika 17, 1887 (Saka).

GIPN—S6—52 Lok Sabha/66—26-8-66—600

P.L.S. 48. XLVII. 10-65(N)
600

© 1965 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित ।

© 1965 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK.